लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड २७, १९५९/१८८० (शक)

[६ से १९ मार्च १९५९/१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय मात्रा, खंड २७, अंक २१ से अंक ३०—६ से १६ मार्च, १६५६
१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक २१—शुक्रवार, ६ मार्च, १६५६/१५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ६६४ से ६७०, ६७३ से ६७५ और ६७७ से ६८१ २४३७—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७१, ६७२, ६७६ और ६८२ से १०१२ . २४६२—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १५३८ और १५४० से १५४५ . २४७५—२५०१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अमरीका पाकिस्तान प्रतिरक्षा संधि . . . . २५०१—०३

आयव्ययक पत्रों का समय से पहले प्रकट हो जाने के बारे में . २५०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २५०४

विशेषाधिकार समिति

नवां प्रतिवेदन २५०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम में विद्रोही नागाओं का उपद्रव . २५०५-०६

महेश्वरी देवी जूट मिल्स के बंद होने के बारे में वक्तव्य . २५०६-०७

सभा का कार्य २५०७

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरःस्थापित . . २५०८

कार्य मंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५०८

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १६५८-५६ . . . २५०८—२१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५२२

विधेयक पुरःस्थापित . . . २५२२,२५२४-२५

(१) तेलों का जमाना (अपराध) विधेयक . . . २५२२

(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक . . . २५२४

(३) बैंक ऑफ पटियाला विलय विधेयक . . २५२५

सहकारी समितियां विधेयक—

पुरःस्थापन की अनुमति नहीं दी गयी . . . . २५२२—२४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापिस लिया गया . . २५२५—३६

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . . . . २५३७—३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २५४०—४६

पृष्ठ

अंक २२—सोमवार, ९ मार्च, १९५९/१८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०१६, १०१८, १०२०, १०२२ से १०२६, १०२८ और १०२९ . २५४७–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१९, १०२१, १०२७, १०३० और १०३२ से १०४६ . . . २५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४६ से १६३८ . . . २५८०—२६१९

स्थगन प्रस्ताव

पंजाब में सुधार शुल्क . . २६१९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६१९-२०

सभा का कार्य

अनुदानों की मांगों के लिये समय का आवंटन . २६२०-२१

विधेयक पुर:स्थापित किये गये . . २६२१-२२

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक . २६२१

(२) भारतीय प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक २६२२

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित . . २६२२

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा २६२२–६४

दैनिक संक्षेपिका २६६५–७०

अंक २३—मंगलवार, १० मार्च, १९५९/१९ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ से १०५६, १०७५ और १०५७ से १०६० २६७१–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ से १०७४ और १०७७ से १०९६ २६९६–२७१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३९ से १७०६ . . २७१३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९ दिनांक १९-११-५८ के उत्तर में शुद्धि २७४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २७४१-४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २७४२

राज्य सभा से सन्देश . . २७४२

विशेषाधिकार का प्रश्न

मनीपुर आयव्ययक प्राक्कलनों का समय से पहले पता लग जाना २७४३–४५

सामान्य आयव्ययक के बारे में विशेषाधिकार का कथित उल्लंघन २७४५–४७

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

गिरिडीह कोयला खान में अग्निकांड २७४७--४९

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक--पारित २७४९

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा २७४९--८५

दैनिक संक्षेपिका . . २७८६--९१

अंक २४--बुधवार, ११ मार्च, १९५९/२० फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०९७ से ११०५, ११०७ से ११०९ तथा १११२ से १११५ . २७९३--२८१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६, १११०, १११९, १११६ से ११२५, ११२७ से ११३७ तथा ११३९ से ११४५ २८१७--३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०७ से १७७८ २८३१--६१

डा० एम० आर० जयकर का निधन . २८६२

सरकारी कर्मचारी आचार नियमों के बारे में २८६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २८६३

सदस्य की गिरफ्तारी . २८६३

सदस्य को सजा २८६३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . २८६४

सरकारी समवायों के प्रतिवेदन के बारे में घोषणा . २८६४

आसाम सीमा पर गोली वर्षा के बारे में वक्तव्य २८६४--६५

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा २८६५--९४

दैनिक संक्षेपिका . २८९५--२९००

अंक २५--गुरुवार, १२ मार्च, १९५९/२१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११४६ से ११५३, ११५५ से ११५८, ११६० से ११६२ और ११६४ २९०१--२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५४, ११५९, ११६३ और ११६५ से ११९० २९२६--३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १८६५ २९३९--७५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव

सीमा पर गोली वर्षा . . . . . २९७६—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९८०–८१

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २९८१—३०२२

लेखानुदानों की मांगें . . . . . ३०२२—२७

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरःस्थापित . . . ३०२८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पारित . . . ३०२८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३०२९—३२

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली वर्षा . . ३०३२—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३०४३—४९

अंक २६—शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९/२२ फागुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से ११९४, ११९६, ११९८ से १२०१, १२०३, १२०५, १२०८, १२०९, १२१२, १२१३, १२१६, १२१८, १२२० तथा १२३० . . . . . ३०५१—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९१, ११९५, ११९७, १२०४, १२०६, १२०७, १२१०, १२११, १२१४, १२१५, १२१७, १२१९, १२२१ से १२२९ तथा १२३१ से १२३५ . ३०७६—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६६ से १९३३ . . . ३०८७—३११५

स्थगन प्रस्ताव—

पंजाब में सुधार शुल्क ३११६-१७

अमरीका और टर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता के लिये हुए करार के बारे में वक्तव्य . . . ३११७—२१

सभा पटल पर रखे गये पर ३१२१-२२

सभा का कार्य ३१२२-२३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक . . . . ३१२३—३७

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३१२३—३५

खण्ड २ से २६, १ और अधिनियमन सूत्र ३१३६-३७

पारित करने का प्रस्ताव ३१३७

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३१३७

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प ३१३८—५५

सहकारी कृषि के सम्बन्ध में संकल्प . . . ३१५५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ३१५७—६३

अंक २७—सोमवार, १६ मार्च, १९५९/२५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ से १२४२, १२४४, १२४६, १२४८, १२४९, १२५१ से १२५३ और १२५६ से १२५९ . . ३१६५—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४७, १२५०, १२५४, १२५५, १२६० से १२८७ और १२८९ . . . ३१९०—३२०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३४ से १९५९, १९६१ से १९९३ और १९९५ से १९९९ . ३२०७—३७

श्री काशीनाथ राव वैद्य का निधन ३२३७

सभा पटल पर रखा गया पत्र . ३२३७

राज्य सभा से सन्देश . ३२३८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३२३८

सदस्य का निकाला जाना ३२३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पुनर्वास विभाग का बन्द किया जाना . . ३२३८—४२

घरेलू कर्मचारियों की मांगों के बारे में वक्तव्य . . ३२४१

अनुदानों की मांगें . . . ३२४२—९४

अणु शक्ति विभाग . . . ३२४२—५६

वैदेशिक कार्य मंत्रालय . . . ३२५६—९४

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२९५—३३००

अंक २८—मंगलवार, १७ मार्च, १९५९/२६ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९१ से १२९८, १३००, १३०१, १३०४, १३०७, १३०९, १३१०, १३१३, १३१४, १३१६, १३१८, १३१९, १३२१ और १३२२ . . . ३३०१—२८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९०, १२९९, १३०२, १३०३, १३०५, १३०६, १३०८, १३११, १३१२, १३१५, १३१७, १३२०, १३२३ और १३२४ . . . ३३२८–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०६३ ३३३४–५९

स्थगन प्रस्ताव—

मालद्वीप में रायल एअर फोर्स स्टेशन . ३३५९–६०

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३३६१

चिनाकुरी खान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ३३६१

अनुदानों की मांगें . ३३६२–३४२७

वैदेशिक कार्य मंत्रालय ३३६२–७४

शिक्षा मंत्रालय ३३७५–३४२७

दैनिक संक्षेपिका . . ३३२८–३२

अंक २९—बुधवार, १८ मार्च, १९५९/२७ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ से १३२८, १३३० से १३३४, १३३६, १३३७, १३३९ से १३४१, १३४५, १३४८ और १३४७ . ३४३३–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५, १३२९, १३३५, १३३८, १३४२ से १३४४, १३४६ और १३४९ से १३६३ . . ३४५६–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६४ से २१३५ ३४६५–९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३४९५

राज्य सभा से सन्देश ३४९६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . ३४९६

लोक लेखा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन . ३४९६

प्राक्कलन समिति—

बयालीसवां प्रतिवेदन ३४९६–९७

अनुदानों की मांगें ३४९७–३५३६

वित्त मंत्रालय ३४९७–३५३६

मध्य प्रदेश में धान के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३४३७–४२

दैनिक संक्षेपिका . ३५४३–४८

अंक ३०—गुरुवार, १९ मार्च, १९५९/२८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६४ और १३७३, १३६५ से १३६७, १३६९ से १३७२, १३९४, १३७४, १३७५ और १३७७ से १३८१ . ३५४९–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६८, १३७६, १३८२ से १३९३ और १३९५ से १४०४ . . . . ३५७९–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३६ से २१७९ . . . ३५९०–३६०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य के निलम्बन के बारे में . . ३६०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६०९

अनुदानों की मांगें ३६१०–६४

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ३६१०–६४

दैनिक संक्षेपिका . ३६६५–६८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, १० मार्च, १९५९

---

१९ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

युद्धोपकरणों की खरीद

+

†*१०४७. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री किस्तैया :
श्री कोडियान :
श्री परुलेकर :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५२ में एक योरोपियन फर्म से युद्धोपकरणों की खरीद विषयक विभिन्न सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार करलिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकला है;

(ग) कितने युद्धोपकरण बेकार पाये गये थे; और

(घ) उनकी कुल कितनी लागत थी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) से (घ). सरकार ने सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार तो कर लिया है लेकिन कुछ अतिरिक्त पूछताछ आवश्यक प्रतीत होने के कारण इस मामले की और आगे जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गयी है । समिति से अपना

---

†मल अंग्रेजी में

प्रतिवेदन अप्रैल, १९५९ के अंत तक दे देने के लिये कहा गया है और यह प्रतिवेदन आ जाने पर सरकार इस मसले से सम्बन्धित विभिन्न विषयों के बारे में ज्यादा अच्छी तरह अपने विचार कायम कर सकेगी ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : कुछ दिन पहले सरकार ने यह उत्तर दिया था कि एक बार फिर इस मामले की जांच होनी जरूरी है और अब फिर हम से कहा जा रहा है कि युद्धोपकरणों की खरीद के मामले की जांच के लिये एक और समिति नियुक्त की गयी है । किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये सरकार को इतनी सारी जांचों की जरूरत क्यों पड़ रही है ?

†**सरदार मजीठिया** : मुख्य कारण यह है कि पहले और दूसरे प्रतिवेदन में मतभेद है । इसलिये मंत्रालय में उस पर चर्चा की गई और उसके परिणामस्वरूप यह आवश्यक समझा गया कि इस मामले की और आगे जांच करा कर और भी व्यौरा प्राप्त किया जाय । इसलिये हमने एक और समिति नियुक्त की है और उससे अप्रैल, १९५९ के अन्त तक अपना प्रतिवेदन देने के लिये कहा है । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि विधि उपमंत्री इस समिति की अध्यक्षता करेंगे ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : युद्धोपकरणों की इस खरीद में कितनी राशि लगी थी और क्या इनका उपयोग कभी भी अभ्यास या अन्य किसी प्रयोजन के लिये किया गया है ? जो युद्धोपकरण खरीदे गये हैं वास्तव में उनमें खराबी क्या है ?

†**सरदार मजीठिया** : इन में १९ लाख रुपये के लगभग १ लाख गोले हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इनका प्रयोग किया गया है ?

†**सरदार मजीठिया** : दोनों समितियों में कुछ मतभेद होने के कारण इनका प्रयोग नहीं किया गया है । जब तक हमें इस बात का पक्का निश्चय न हो जाय कि वह ठीक हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जायगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या ये युद्धोपकरण एक स्विस फर्म से खरीदे गये थे और क्या उसी स्विस फर्म के विशेषज्ञ अम्बरनाथ के युद्धोपकरण-कारखाने में कार्य कर रहे हैं, और यदि हां, तो क्या उनकी नौकरी खतम कर दी जायगी ?

†**सरदार मजीठिया** : ये युद्धोपकरण ओयरलिकोंस से, जो एक स्विस फर्म है, खरीदे गये थे । लेकिन जहां तक इस जांच और खराबियों का सम्बन्ध है, उसका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है । मैं कह चुका हूं कि हमारे मंत्रालय में इस मसले पर चर्चा हो चुकी है और अब विधि उपमंत्री की अध्यक्षता में यह समिति इसकी जांच करेगी ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता था कि क्या इस फर्म के विशेषज्ञ अब भी अम्बरनाथ के युद्ध-सामग्री कारखाने में काम कर रहे हैं या उनके ठेके समाप्त कर दिये जायेंगे ?

†**सरदार मजीठिया** : ये विशेषज्ञ और इस फैक्टरी में काम करने वाले बिल्कुल दूसरे ही लोग हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : और आगे जांच करने का यह काम उसी समिति को क्यों नहीं सौंपा गया और समिति के सदस्यों में परिवर्तन क्यों कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि यह उसी समिति को सौंपा गया होता तो माननीय सदस्य यह कहते कि उसी समिति को सौंपना बेकार है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** मैं यह जानना चाहता हूं कि जब निर्देश पद वही हैं तो इसे उसी समिति को क्यों नहीं सौंपा गया ?

†**अध्यक्ष महोदय :** दोनों ही पक्षों की ओर से बहुत कुछ कहा जा सकता है । यह सब प्रशासनिक व्यौरे की बातें हैं । यदि इसे उसी समिति के सुपुर्द किया जाता तो वे कहते कि यह बेकार है और उसमें गड़बड़ी होगी; यदि इसे किसी और समिति को सौंपा जाता है तो उसको भी अनुचित ठहराया जाता है ।

गुप्तचर संस्थायें

†*१०४८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित संस्थायें किन-किन स्थानों पर स्थित हैं :—

(१) सेन्ट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल,

(२) सेन्ट्रल फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो, और

(३) सेन्ट्रल फोरेन्जिक साइन्स लैबोरेटरी;

(ख) उनकी स्थापना की लागत क्या है;

(ग) क्या इन संस्थाओं के कोई प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किये जाने वाले हैं; और

(घ) क्या इन संस्थाओं के लिये सभी आवश्यक उपकरण अब तक प्राप्त कर लिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) कलकत्ते में ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७२]**

(ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) सेन्ट्रल फोरेन्ज़िक लैबोरेटरी के लिये आवश्यक कुछ यंत्रों को छोड़कर, जिनका विदेशों से आयात होना है, उपकरणों सम्बन्धी वर्तमान प्रायः सभी आवश्यकतायें पूरी हो गयी हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या माउंट आबू के सेन्ट्रल पुलिस ट्रेनिंग कालेज में यह प्रशिक्षण दिया जाता है, और यदि हां, तो क्या वहां पर्याप्त उपकरण हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** जी नहीं । यह विशेषतापूर्ण प्रशिक्षण वहां नहीं दिया जाता ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** विवरण से यह पता चलता है कि १९५६-५७ के लिये कुल राशि २,०८,४८४ रुपये और १९५७-५८ के लिये ४,६३,४४९ रुपये है और १९५८-५९ का पुनरीक्षित

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन ७,४९,६०० रुपये है। यह वृद्धि क्यों हुई—क्या अपराध बढ़ गये हैं या यह विस्तार के कारण है ?

†श्री गो० ब० पन्त : ये संस्थायें अभी हाल ही में आरम्भ की गयी हैं। इसलिये प्रशिक्षार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के सम्बन्ध में व्यवस्था करने और यंत्र-उपकरण आदि लगाने में खर्च करना ही पड़ता है।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच नहीं है कि कुछ को छोड़कर सभी आवश्यक यंत्रोपकरण विदेशों से मंगाये गये हैं ? इनकी कुल कीमत कितनी है ?

†श्री गो० ब० पन्त : इस प्रयोजन के लिये कुछ लाख रुपयों का उपबंध किया गया है। १९५८-५९ में उपकरणों की खरीद के लिये ३२,१०० रुपये की विदेशी मुद्रायें दी गयी थीं।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या सेन्ट्रल फोरेन्सिक साइन्स लैबोरेटरी में काम करने वालों को विधि सम्बन्धी ज्ञान होना जरूरी है ?

†श्री गो० ब० पन्त : कोई जरूरी नहीं है।

अन्दमान और नीकोबार द्वीप-समूह का नौ-विभाग

+

†*१०४९. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और नीकोबार द्वीप-समूह के नौ-विभाग के विभिन्न सेक्शनों के काम में घाटा होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी वजह क्या है ; और

(ग) इस प्रकार के घाटे से बचने के लिये क्या कार्यावाही की जाने वाली है या की जा चुकी है?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७३]**.

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण की मद (१) से पता चलता है कि घाटा प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है। यह घाटा कब तक चलने दिया जायेगा ?

†**श्रीमती आल्वा** : मद (१) संतरण संस्थापन* से संबंधित है। अन्तर्द्वीपीय व्यापार और यात्रियों के यातायात के लिये एक नयी फैरी-सर्विस शुरू की गयी है। लाभ या घाटा जो भी होता है होता रहेगा—हम खर्च को यथा संभव कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब यातायात अपने पूरे जोर पर आ जायगा तो घाटा भी कम हो जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Afloat Establishment.

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि नौ-सामग्री विभाग में बकाया सामान हर वर्ष बढ़ता जाता है और क्या यह सच है कि इस घाटे की मुख्य वजह यह है कि सामान बिगड़ता जाता है ?

†**श्रीमती आल्वा** : यह बात सच नहीं है। हम इस पर कड़ी नज़र रखे हैं।

†**श्री स० चं० सामंत** : जहां तक संतरण संस्थापन का प्रश्न है यह बात समझ में आती है कि उसमें अन्तर्द्वीपीय यातायात में घाटा होता है। इसमें आय कितनी हुई थी ?

†**श्रीमती आल्ववा** : मेरे पास आय के आंकड़े नहीं हैं। लेकिन यातयात का और कोई साधन न होने के कारण अन्तर्द्वीपीय संचार सेवा में सदा घाटा ही होता रहा है।

†**श्री रा० च० माझी** : क्या गोदामों में सामान के संग्रह की कोई सीमा निर्धारित की जायेगी ?

†**श्रीमती आल्वा** : मुझे पता नहीं।

†**श्री तंगामणि** : वहां राज्य बस सर्विस की कितनी बसें चलती हैं। पैट्रोल के भाव बढ़ जाने से प्रत्येक बस पर कितना घाटा होता है ?

†**श्रीमती आल्वा** : वहां पांच बसें हैं। मेरे पास प्रत्येक बस के संबंध में अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं।

रूरकेला में विश्रामगह

+

†*१०५०. **श्री उस्मान अली खां :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है किं कारखाने के स्थान पर हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड के डाइरेक्टरों के इस्तेमाल के लिये रूरकेला में भारी लागत पर एक लग्ज़री विश्राम गृह[1] का निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) उस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्रप्रसाद सिन्हा)** : (क) से (ग). रूरकेला में लगभग ७.१५ लाख रुपये की लागत पर एक बंगले का निर्माण किया गया है। यह रूरकेला जाने वाले अभ्यागतों, अतिथियों और हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के डाइरेक्टरों की रूरकेला यात्रा के समय इस्तेमाल के लिये है। उपयुक्त अतिथिशाला न होने के कारण इस भवन का निर्माण आवश्यक था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Luxury Rest House.

†**श्री उस्मान अली खां :** क्या सरकार ने भविष्य में इस प्रकार के भारी खर्च से बचने के लिये कोई कार्यवाही की है, और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वे इस बात से सहमत नहीं हैं । माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि यह भारी खर्च है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या यह सच है कि मूलत : ६.४२ लाख रुपये की लागत पर इस भवन के निर्माण की मंजूरी दी गयी थी लेकिन बाद में बढ़िया किस्म के सैनटरी और बिजली के फिटिंग्स लगाने की व्यवस्था करने के लिये इन प्राक्लनों में लगभग २ लाख रुपयों की वृद्धि कर दी गयी और यह ७.१५ लाख रुपयों की लागत पर पूरा हुआ । क्या यह सच है कि निर्माण की लागत में बचत होने पर भी सैनिटरी और बिजली की फिटिंग्स बढ़िया किस्म की होने के कारण लागत बढ़ गयी ? यदि हां, तो अन्य विश्राम गृहों में लगने वाली सैनिटरी और बिजली की फिटिंग्स न लगाकर इसमें बढ़िया किस्म की फिटिंग्स लगाने का ठीक-ठीक कारण क्या था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** यह बात सच है कि प्राक्कलनों का पुनरीक्षण किया गया था । लेकिन बाद में कुछ मदों को काट दिया गया और इस प्रकार लगभग १.३ लाख रुपयों की बचत हो गयी है । क्योंकि वहां कीमती फिटिंग्स लगाना ठीक नहीं समझा गया ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि रूस और चीन के इस्पात कारखानों के क्षेत्र के विश्रामगृहों की तुलना में यह भवन सादगीपूर्ण लगता है या ज्यादा आलीशान लगता है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** जहां तक हमें पता है, प्राय: अधिकांश औद्योगिक केन्द्रों में इससे बेहतर व्यवस्था होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जो माननीय सदस्य वहां हो आये हैं वे वहां के सुन्दर भवनों से अवश्य ही प्रभावित हुए होंगे ।

कच्चा लोहा

†***१०५१. श्री उस्मान अली खां :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में देश में कच्चे लोहे का उत्पादन कितना होने की संभावना है और उसी अवधि में देश में उसकी कितनी मांग होगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** १९५९–६० में कच्चे लोहे का उत्पादन ९७०,००० टन कूता गया है और उसी अवधि में देश में ७००,००० टन कच्चे लोहे की मांग होने की संभावना है ।

†**श्री उस्मान अली खां :** क्या सरकार फालतू कच्चे लोहे का निर्यात करने वाली है, और यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** फालतू कच्चे लोहे निर्यात की व्यवस्था करने के प्रयास किये जा रहे हैं । इसके लिये हम विदेशों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दामानी** : पिछले दो वर्षों में देश में कच्चे लोहे की खपत और निर्यात में कितने-कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : चालू वर्ष की खपत लगभग ७ लाख टन कूती गयी है। माननीय सदस्य इसकी प्रतिशत निकाल सकते हैं। पिछले वर्ष के आवंटन से वृद्धि हुई है ।

†**श्री मुरारका** : कुल उत्पादन में से सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों का कितना उत्पादन होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह अनुमान लगाया गया है कि कुल ९७०,००० टन में से रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ५७०,००० टन का उत्पादन करेंगे और इंडियन आयरन एण्ड स्टील में २५०,००० टन का, टाटा में १००,००० टन का और मैसूर आयरन में ५०,००० टन का उत्पादन होगा ।

†**श्री पाणिग्रही** : इस कच्चे लोहे का निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा ? क्या सरकारी क्षेत्र के कच्चे लोहे की कीमत टाटा के कच्चे लोहे की कीमत की तुलना में अनुकूल बैठती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह बता सकना कठिन है कि कौन-कौन से देश यह कच्चा लोहा खरीदेंगे। स्पष्ट है, कि जो देश सब से बढ़िया शर्तें देंगे वही हमसे कच्चा लोहा खरीदेंगे। जहां तक सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने के कच्चे लोहे का उत्पादन लागत का संबंध है, इस के संबंध में अंतिम रूप से हिसाब लगाने में कुछ समय लगेगा। लेकिन मुझे इनकी उत्पादन लागत गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की लागत से अधिक होने की आशा नहीं है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : कच्चे लोहे के विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के हमारे इस्पात कारखानों में उत्पादन में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार उसके निर्यात के लिये नये बाजार ढूंढ़ने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : स्पष्ट है कि यदि कुछ कच्चा लोहा फालतू बचा तो हमें नये बाजारों की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि अनियोजित ढंग से कुछ लोहा बच रहेगा। वर्त्तमान वर्ष में अधिक लोहा फालतू इसलिये है क्योंकि उसे इस्पात में परिवर्त्तित करने के लिये हमारे पास भट्टियां, इस्पात ढलाई घर और रोलिंग मिलें नहीं हैं। बाद के लिये ऐसे सुनियोजित ढंग से उत्पादन चलाया जायेगा जिससे हमारी सम्पूर्ण आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी। थोड़ा बहुत फालतू भी बच रह सकता है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** । क्या यह सच नहीं है कि मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व में इसके लिये बड़ा बाजार मौजूद है ? इन बाजारों की खोज के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि कच्चे लोहे के निर्यात के लिये बाजार बढ़ता जा रहा है। यदि हमें उपयुक्त और उचित शर्तें मिलीं तो हम उसका लाभ हठाने से न चूकेंगे ।

†**श्री दलजीत सिंह** : दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला के कारखानों में पूरे जोर से उत्पादन आरम्भ हो जाने पर कच्चे लोहे का उत्पादन कुल कितना हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं चालू वर्ष के उत्पादन के बारे में बता चुका हूं। आगे के वर्षों के उत्पादन के संबंध में अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्यों कि अभी तो यह देखना है कि इस्पात को गलाने और उसकी रोलिंग का कार्य किस ढंग से प्रगति करता है।

†**श्री दासप्पा :** क्या इस्पात और कच्चे लोहे के उत्पादन का अनुपात बनाये रखने के बारे में उन्होंने कोई योजना बनायी है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह बात ठीक है। इस बात की निश्चित योजना है कि इतना कच्चा लोहा फालतू बचेगा। शेष से इस्पात बना लिया जायेगा।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह कहा कि हमको इस लोहेको बाहर भी भेजना पड़ेगा तो क्या कुछ देशों से इस सम्बन्ध में अभी से लिखा पढ़ी हो रही है या अभी यह शुरू नहीं हुई है और अगर हो रही है तो हमारे कुछ पड़ौसी दोस्त भी उसमें हैं या नहीं?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** हम लगभग २०,००० टन कच्चा लोहा बेच चुके हैं। और भी ६०,००० टन के बारे में पूछताछ की गयी है। हम सम्भावित खरीदारों से निरन्तर सम्पर्क रखे हुए हैं। मैं यह स्पष्ट करदूं कि हमें इस सम्बन्ध में कोई अनावश्यक परेशानी जाहिर करने की जरूरत नहीं क्योंकि यह हमारे हित में नहीं होगा। यदि हम यह कहेंगे कि इतना कच्चा लोहा फालतू है तो हो सकता है कि उसके भाव गिर जायं।

†**श्री च० द० पाण्डे :** हमने उपभोक्ताओं को कच्चे लोहेकी उनकी लागत से भी कम कीमत पर कच्चा लोहा देकर स्वयं ही बात बिगाड़ ली है। इसका क्या इलाज है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जहां तक लौह अयस्क के निर्यात का सम्बन्ध है, यह सच है कि हमने उसके सम्बन्ध में कुछ दीर्घकालिक व्यवस्था कर ली है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि लौह अयस्क का हमारे पास एकाधिकार है। लौह अयस्क अन्य देशों से भी मिल सकता है। इसलिये यदि हम इन देशों को लौह अयस्क न बेचें तो अन्य देश उन्हें दे देंगे। यह कहना सब जगह सच नहीं होता कि लौह अयस्क प्रयोग करने वाला प्रत्येक देश आवश्यक रूप से कच्चा लोहा लेने लगेगा। जैस हम चाहते हैं कि लौह अयस्क को कच्चा लोहा बना कर तब उसका निर्यात किया जाय उसी प्रकार अन्य देश भी यह चाह सकते हैं कि वे अपन देशों में ही लौह अयस्क से कच्चा लोहा तैयार करें। इसलिये हमें अपनी संभरण सम्बन्धी स्थिति और अन्य देशों के बीच संतुलन रखना पड़ता है।

†**श्री दामानी :** मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर की उत्पादन लागत टाटा और इंन्डयन आयरन से अधिक होगा....

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैंने यह नहीं कहा।

इस्पात कारखानों के लिये आयात किये हुए इंजन

+

†*१०५२. { **श्री नागी रेड्डी :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयात किये हुए इंजनों के लापता या क्षतिग्रस्त पुर्जों की जांच के लिये नियुक्त की गयी समिति का प्रतिवेदन मिल गया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) से (ग). हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ।

इस समिति की उपपत्तियां यह हैं :—

(क) आयात किये हुए इंजनों के कुछ पुर्जे गोदी में उतारे जाते समय या कलकत्ते से रूरकेला लाये जाते समय रास्ते में लापता या क्षतिग्रस्त हो गये ;

(ख) कुछ पुर्जे दोषपूर्ण दशा में आये थे ; और

(ग) कुछ पुर्जे भेजे ही नहीं गये थे ।

निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही की गयी है :—

(क) जहाज़ पर से माल उतारे जाते समय या रास्ते में हुई हानि या क्षति के लिये इंडियन इंश्योरेंस कम्पनीज़ एसोसियेशन पूल पर दावा किया गया है । इन पुर्जों को दुबारा मंगाने का खर्च इंश्योरेंस एसोसिएशन पूल से दिया जायगा ।

(ख) ठेकेदारों से खराब पुर्जों को बदलने के लिये कहा गया है और वे मुफ्त में यह कार्य कर रहे हैं ।

(ग) जो पुर्जे भेजे ही नहीं गये थे ठेकेदारों से उन्हें भी भेजने के लिये कहा गया था और यह कार्य भी हो रहा है ।

†**श्री नागी रेड्डी:** जो पुर्जे भेजे ही नहीं गये, या जो पुर्जे भेजे गये थे लेकिन खराब हालत में थे या रास्ते में खराब हो गये थे उनके सम्बन्ध में कुल कितनी हानि का अनुमान लगाया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये फालतू पुर्जे आसानी से बिकने वाले नहीं होते और न इनकी कीमत बतायी जाती है । इस मामले में कुछ भी घाटा नहीं हुआ है क्योंकि जो घाटा हुआ भी है वह बीमा कम्पनियां या सम्भरणकर्त्ता स्वयं पूरा किये दे रहे हैं ।

†**श्री नागी रेड्डी** : पिछले कई महीनों में इन इंजनों का उपयोग न कर पाने से कम्पनी को कितनी हानि होने का अनुमान है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी नहीं । कुछ भी हानि नहीं हुई है ।

†**श्री मुरारका** : क्या दोषपूर्ण पुर्जे भेजने या कुछ पुर्जे बिल्कुल न भेजने के सम्बन्ध में सम्भरण-कर्त्ताओं से कुछ पूछताछ की गयी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : पूछताछ की गयी थी । जो पुर्जे उन्होंने नहीं भेजे थे उन्होंने उन्हें भेजने का वादा किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा जान बूझ कर नहीं किया गया था । जो पुर्जे पिछली खेप में नहीं आये थे उन्हें उन्होंने अब भेजने का वादा किया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

नक्शों की छपाई

†१०५३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब देश के कुल कितने भागों के नक्शे तैयार हो चुके हैं ;

(ख) यदि यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसके पूरे होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ;

(ग) क्या भारत के भूपरिमाप में इस कार्य को पूरा करने के लिये पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसे पूरा करने के लिये कितने कर्मचारियों के रखे जाने की सम्भावना है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) देश के कुछ क्षेत्र के ८४ प्रतिशत भागों के सम्बन्ध में विभिन्न पैमानों के टोपोग्राफिकल नक्शे मौजूद हैं । शेष १६ प्रतिशत भागों के सम्बन्ध में १९०५ के सर्वेक्षणों पर आधारित अन कनटूर्ड[1] नक्शे हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या नक्शा प्रकाशन निदेशालय के विस्तार का कोई कार्यक्रम है, और यदि हां तो इसमें कितना विस्तार किया जायेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : पंचवर्षीय योजना के अधीन सामान्य विस्तार का कार्यक्रम है ।

†**श्री हेम बरुआ** : भारत-बर्मा और भारत-चीन की सीमा पर की अनिश्चित सीमा के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० म० मो० दास** : इसके उत्तर के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि टोपोग्राफिकल सर्वे के अनुसार केवल ८४ प्रतिशत देश का भाग अभी तक सर्वे हो चुका है और उसका नक्शा बन चुका है । मैं जानना चाहता हूं कि बाकी १६ प्रति भाग के लिए क्या तैयारी की जा रही है और वह कब तक समाप्त हो जायगा ?

†**डा० म० मो० दास** : शायद माननीय सदस्य ने उत्तर नहीं सुना । "शेष १६ प्रतिशत भागों के सम्बन्ध में १९०५ के सर्वेक्षण पर आधारित अनकनटूर्ड नक्शे हैं ।" सारे देश के नक्शे तैयार हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : कुछ देशों ने कुछ राज्य क्षेत्र को अपना कह कर दिखाते हुए जो नक्शे प्रकाशित किये हैं उनको शुद्ध करने के लिये क्या किया जा रहा है ? अपनी ओर से हमने क्या जवाबी कार्यवाही की है ?

†**डा० म० मो० दास** : वह और भी व्यापक प्रश्न है । मैं अभी उसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Uncontoured.

भारत-विभाजन का इतिहास

*१०५४. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत के विभाजन का विस्तृत इतिहास लिखवा रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक तैयार हो जायेगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) सरकार नहीं समझती कि अभी ऐसा करना ज़रूरी या उचित है ।

[इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जहां तक भारत विभाजन का सम्बन्ध है, अब तक जो साहित्य उपलब्ध है उस में कुछ प्रामाणित व्यक्तियों के द्वारा भी लिखित साहित्य है, जिस तरह से कि भारतवर्ष के भूतपूर्व गवर्नर जनरल श्री लार्ड माउंटबैटन के प्रैस अटैची ने एक पुस्तक लिखी है, इसी प्रकार इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री श्री चर्चिल महोदय ने अपनी आत्मकथा के कुछ भाग में भारत विभाजन के सम्बन्ध में लिखा है, और अभी एक ताजा पुस्तक भारत सरकार के सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री हुमायून् कबिर द्वारा लिखी गयी है जोकि मौलाना आजाद के नाम से प्रकाशित हुई है । इन सारी ही पुस्तकों में भारत विभाजन का भिन्न भिन्न रूपों में इतिहास दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि जब इस प्रकार की पुस्तकों में सरदार पटेल जैसे गौरवशाली व्यक्तित्व को विपरीत चर्चा का विषय बनाया जाता है, तो भारत सरकार अपनी ओर से कोई प्रामाणित साहित्य तैयार करके देश को दे ?

†**डा० म० मो० दास** : यह तो कार्य के लिये सुझाव है । अभी ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के सामने नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इसे प्रश्न के रूप में नहीं पूछ सके । यह सुझाव नहीं है । वह यह जानना चाहते हैं कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये जाने और आरोप लगाये जाने पर भी सरकार चुप कैसे है । यह प्रश्न है ।

†**डा० म० मो० दास** : यदि सभा चाहे तो हम इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं ।

दवा बनाने के काम आने वालीं बूटियां

†*१०५५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दवा बनाने के काम आने वाली बूटियों के बारे में जानकारी का संग्रह और गवेषणा किन-किन स्थानों में की जाती है ;

(ख) क्या इस गवेषणा का कोई समन्वय किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस प्रकार संग्रहीत जानकारी और की गई गवेषणा का लाभ उठाने के लिये क्या व्यवस्था है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४]**.

(ख) और (ग). हाल ही में जिस सेन्ट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स आर्गनाइज़ेशन की स्थापना की गई है वही इस क्षेत्र में गवेषणा का समन्वय करता है । यही संगठन गवेषणा के परिणामों और संग्रहीत जानकारी के उपयोग के ढंग और तरीकों के बारे में भी परामर्श देगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस नव-स्थापित केन्द्रीय संगठन में कौन-कौन शामिल हैं, और यह किस प्रकार से अपना काम करेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : पिछले अक्तूबर में ही वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा बोर्ड के शासी निकाय ने इस संगठन की स्थापना का अनुमोदन किया था । ११ सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई है । यदि आप कहें तो मैं नाम पढ़ कर सुना दूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई जरूरत नहीं है ।

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक इस संगठन की ब्यौरेवार योजना का सम्बन्ध है, वह साइक्लोस्टाइल के ५–६ पृष्ठों में मेरे पास है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं एक प्रति उन्हें भेज दूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे पुस्तकालय में रख दिया जाय ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या आप यह नहीं समझते कि अन्य प्रश्नों की तरह इस के संबंध में भी यह जानकारी पहले ही दे दी जानी चाहिये थी ताकि हम कुछ प्रश्न पूछ सकें ? वह कहते हैं कि "यह जानकारी उपलब्ध है और यदि आप चाहें तो मैं इसे सभा-पटल पर रख दूं ।" ऐसे तो हम कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब भी मंत्री महोदय यह समझें कि किसी प्रश्न में उठाये गये प्रश्नों का स्पष्टीकरण करने के लिये कोई लम्बा विवरण देना जरूरी है तो वे अपने आप उस की एक प्रति नोटिस आफिस में रख दें और यह सूचना निकाल दें कि अमुक विवरण नोटिस आफिस में उपलब्ध हैं ताकि माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्नों के द्वारा उस मामले में आगे कार्यवाही कर सकें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या इस संगठन की स्थापना से पूर्व भी समन्वय के लिये कोई प्रयास किया गया था और यह संगठन किस व्यवस्था के स्थान पर स्थापित किया गया है ?

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक मुझे मालूम है, सिम्पो—सेन्ट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स आर्गनाइज़ेशन—की स्थापना से पहले कोई समन्वय करने वाली केन्द्रीय व्यवस्था नहीं थी ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : इस संगठन की स्थापना करने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय के उस सेक्शन की राय ले ली गई थी जो इस प्रकार के विषयों का काम करता है ?

†**डा० म० मो० दास** : जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कोडियान** : विवरण से पता चलता है कि दवायें तैयार करने के काम आने वाली बूटियों के बारे में जानकारी संग्रह करने और गवेषणा का काम विभिन्न विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के भी विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है । क्या गवेषणा करने वाले इन विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार कोई वित्तीय सहायता देती है, और यदि हां, तो कितनी ?

†**डा० म० मो० दास** : गवेषणा की पृथक्-पृथक योजनाओं के लिये गवेषणा आरम्भ करने पर विभिन्न संस्थाओं को अलग अलग वित्तीय सहायता दी जाती है । अब एक केन्द्रीय संगठन बन गया है और वह अधिक विस्तार पूर्वक इस प्रश्न पर विचार करेगा ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या इस प्रयोजन के लिये विख्यात वनस्पति शास्त्री श्री किंगडन वार्ड से, जिन्होंने हिमालय के दक्षिणी भाग से बहुत सी जड़ी बूटियों का संग्रह किया है, सम्पर्क किया जा रहा है, और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**डा० म० मो० दास** : अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस प्रयोजन के लिये बजट में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है और इस प्रयोजन के लिये, विशेष रूप से देशी दवाओं के सम्बन्ध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**डा० म० मो० दास** : इस केन्द्रीय संगठन के कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है और अगले वित्तीय वर्ष से काम शुरू हो जायेगा । हमारा ख्याल है कि मौजूदा हिसाब के अनुसार आगामी दो वर्षों में ७ लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं ने इस संगठन के लिये नहीं वरन् इस गवेषणा के खर्च के बारे में पूछा था । क्या इन तीन वर्षों में इस पर कोई राशि व्यय हुई है ?

†**डा० म० मो० दास** : संगठनों की जो सूची दी गई है उस में १५ विभिन्न प्रकार के संगठनों के नाम हैं । केन्द्रीय सरकार के, राज्य सरकारों के और विश्वविद्यालयों के संगठन यह गवेषणा कर रहे हैं । यह कहना कठिन है कि कौन सा संगठन कितना धन व्यय कर रहा है ।

†**श्री मनायन** : क्या सरकार को पता है कि दार्जिलिंग जिले के ऊपरी हलकों में औषधीय बूटियां पैदा करने की बड़ी अच्छी जगह मौजूद है और विशेष रूप से दार्जिलिंग और भूटान की सीमा पर रोंगो नामक स्थान पर प्रयोगात्मक आधार पर जड़ी-बूटियों के पौधे लगाये गये हैं ; और यदि हां, तो सरकार उन्हें कितनी सहायता दे रही है ?

†**डा० म० मो० दास** : पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कार्य को अपने हाथ में ले कर जांच-पड़ताल आरम्भ कर दी है । इस काम के लिये उन्हों ने कर्मचारी भी नियुक्त किये हैं । यदि पश्चिम बंगाल सरकार हम से सहायता मांगे तो हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आमले जैसी दवा बनाने के काम आने वाली बूटियां नष्ट होती जा रही हैं, क्या गवेषणा करने वाले सम्बन्धित फ़ार्मों में इन को पैदा कराने का कोई प्रयास कर रहे हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं बता चुका हूं कि अब बहुत से संगठन यह काम कर रहे हैं । केन्द्रीय संगठन की स्थापना अभी हाल ही में हुई है और वह इस कार्य को करेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जयपाल सिंह** : प्रश्न संख्या १०५६ और १०७५ को एक साथ ले लिया जाय ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां प्रश्न संख्या १०७५ का उत्तर भी इसी के साथ दे दिया जाय ।

भारत इलैक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†*१०५६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में भारत इलैक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड का उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) केवल आंशिक रूप से ।

(ख) चालू वर्ष का उत्पादन कार्यक्रम सम्भावित आर्डरों के आधार पर बनाया गया था । लेकिन आर्डर काफी जल्दी न मिल सके और इसीलिये योजनानुसार कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया जा सका ।

भारत इलैक्ट्रानिक्स का उत्पादन

+

†*१०७५. { **श्री मोहम्मद इमाम** :
कुमारी मो० वेदकुमारी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में बंगलौर के भारत इलैक्ट्रानिक्स में कुल कितने मूल्य का उत्पादन हुआ ; और

(ख) क्या नयी वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) पिछले तीन वर्षों के इलैक्ट्रानिक्स उपकरणों की कीमत इस प्रकार है :—

१९५५-५६	कुछ नहीं ।
१९५६-५७	६ लाख रुपये ।
१९५७-५८	२८ लाख रुपये ।

(ख) जी हां । अन्य वस्तुओं के अलावा पोर्टेबल ट्रांस-रिसीवर सेटों के निर्माण के लिये एक करार किया गया है । अन्य प्रकार के उपकरणों के निर्माण के संबंध में बात चीत अभी चल रही है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच है कि भारत इलैक्ट्रानिक्स ने अब तक उत्पादन कार्यक्रम का पालन नहीं किया; यदि हां, तो क्या इस बात की जांच कराने का कोई विचार नहीं है कि उन्होंने कार्यक्रम का पालन क्यों नहीं किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार मजीठिया :** कार्यक्रम का पालन न होने का कारण मैं मुख्य उत्तर में ही बता चुका हूं और वह यह है कि आर्डर काफी पहले से नहीं मिले और इसीलिये हम उन वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ नहीं कर पाये क्योंकि उत्पादन आरम्भ करने का सामान्य तरीका यही है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सच नहीं है कि कार्यक्रम का पालन कराने के लिये भारत इलैक्ट्रानिकल्स में शुरू के कई वर्षों में एक भी प्रविधिक कर्मचारी नहीं था ?

†**सरदार मजीठिया :** जी नहीं । यह सिर्फ इस वजह से हुआ कि हमें आर्डर नहीं मिले और इसीलिये हम उत्पादन आरम्भ नहीं कर पाये । उत्पादन कार्यक्रम का पालन उसी हालत में हो सकता है जब कि आवश्यक आर्डर आ जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं यह बात नहीं है । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रविधिक कर्मचारियों की कमी के कारण आर्डर नहीं मिल पाये थे ?

†**सरदार मजीठिया :** जी नहीं ।

†**श्री मोहम्मद इमाम :** क्या यह सच नहीं है कि इस प्रतिष्ठान में आवश्यकता से अधिक पूंजी लगाकर एक विशाल इमारत बनायी गयी है जिसमें बहुत सा स्थान बेकार पड़ा है और बहुत सी मशीनें बेकार पड़ी हैं ? इसकी वजह क्या है ? इतने छोटे से कारखाने में इतनी सारी पूंजी क्यों लगायी गई है ?

†**सरदार मजीठिया :** इस का भी कारण वही है । आर्डर मिलते ही उत्पादन आरम्भ हो जायेगा और जैसे जैसे आर्डर बढ़ते जायेंगे, काम में आने वाली मशीनों की संख्या भी वैसे ही वैसे बढ़ती जायगी ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या सरकार ने बड़े परिमाण में आयात किये जाने वाले इसी प्रकार के उपकरणों की कोई रोक थाम की है और क्या इस प्रकार आयात को रुकवाने के लिये मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों से संपर्क कायम किया है, क्योंकि इससे भारत इलैक्ट्रानिक्स के उत्पादन की बिक्री पर बुरा असर पड़ता है ?

†**सरदार मजीठिया :** मेरा ख्याल है कि इससे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं नहीं । एक विशाल कारखाने की स्थापना की गयी थी और अब वह बेकार पड़ा है । यह उत्पादन करने के लिये ही स्थापित किया गया था—अगर किसी विदेश से अनुचित होड़ का सामना करना पड़े तो वह कैसे कर सकता है । यह प्रश्न उठता कैसे नहीं है ?

†**सरदार मजीठिया :** होड़ तो तभी होगी जब हम उत्पादन आरम्भ करेंगे, और उत्पादन निश्चित आर्डर मिलने के बाद आरम्भ होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब तक आयात होता रहेगा कोई भी आर्डर नहीं मिलेगा । मंत्री महोदय इन दोनों बातों का संबंध समझने का यत्न करें । जब तक विदेशों से आयात होता रहेगा हमें कोई आर्डर नहीं मिलेगा और जब तक आर्डर नहीं मिलेंगे तब तक यह बेकार पड़ा रहेगा । इसलिये उस व्यक्ति के लिये, जिसने यह कारखाना खोला, यह जरूरी हो जाता है कि वह कार्यवाही करे । सामान्य उद्योगपति सदा सरकार से यही कहेंगे कि या तो आयात की जाने वाली वस्तुओं

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पर भारी चूंगी लगा दी जाय या उनका आयात रोका जाय । इस मामले में भी यही बात क्यों नहीं की जाती ?

†**सरदार मजीठिया :** वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया जायगा और आशा है कि वह इस संबंध में कार्यवाही करेगा ।

†**श्री प्रभात कार :** क्या यह सच है कि वाल्वों के निर्माण के लिये २० लाख रुपयों की लागत से एक इमारत खड़ी की गयी थी लेकिन वाल्वों का निर्माण अब तक आरम्भ नहीं हुआ है और इतनी देर हो चुकने के बाद भी प्रति रक्षा मंत्रालय ने कोई कार्यवाही नहीं की है, और यदि हां, तो क्यों ?

†**सरदार मजीठिया :** यह सच है कि वाल्वों का उत्पादन अब तक नहीं हुआ है । अब उनकी बात चीत प्राय : बिल्कुल पूरी हो चुकी है और इसके पूरे होते ही वाल्वों का निर्माण होने लगेगा ?

†**श्री रंगा :** इस बातें को ध्यान में रखते हुए कि यह बात-चीत कई महीनों से चल रही है और लगभग दो माह पहले लोक-लेखा समिति को यह आश्वासन दिया गया था कि यह वार्त्ता अब बस पूरी होने ही वाली है, और इस मामले में निश्चय होने ही वाला है क्या सरकार ने इस करार को पूरा करने और यह निर्माण आरम्भ करने के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है ?

†**सरदार मजीठिया :** मैं कह चुका हूं कि यह बात-चीत अब पूरी ही होने वाली है और मुझे आशा है कि ....

†**श्री रंगा :** किस के साथ ? कम्पनी के साथ या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के ?

†**सरदार मजीठिया :** उस कम्पनी के साथ जिसके साथ हम वाल्वों के निर्माण के लिये सहयोग करने वाले हैं ।

†**श्री रंगा :** ऐसा क्यों है ....

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों की इस मसले में बड़ी दिलचस्पी है । मैं इसे तत्काल जांच के लिये तदर्थ मसले के रूप में प्राक्कलन समिति के सुपुर्द किये देता हूं ।

सेना के लिये निवास-स्थान

\+

†१०५७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फौजियों द्वारा श्रमदान से अपने निवास भवनों के निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

१Valves

(ख) शेष कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ;

(ग) इस समय जिन मकानों का फौजी लोग निर्माण कर रहे हैं उससे सरकार को कितने धन की बचत होने की आशा है ; और

(घ) इस योजना को अन्य स्थानों में भी चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). सब के सब १४५० मकानों की इमारत का काम १६ जनवरी, १९५९ को पूरा हो गया था ।

(ग) इमारत का काम असैनिक और सैनिक सेविवर्ग द्वारा श्रमदान से किया गया था । ठीक ठीक बचत का निश्चय इमारत पर आई लागत का हिसाब किताब करने के बाद ही किया जा सकता है । परन्तु काम सात महीनों में पूरा हो जाने से समय में काफी बचत हुई है ।

(घ) इस प्रकार के सैनिक कामों की यदि कोई योजनाएं हों भी तो उनके बारे में सूचना प्रकट कर देना सदा जनता की भलाई के लिये नहीं होता ।

श्री भक्त दर्शन : इससे पहले कि मैं पूरक प्रश्न पूछूं मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि वह हिन्दी जानते हैं और हिन्दी में ही प्रश्न किया जाता है, तो क्यों नहीं वह हिन्दी में उत्तर देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अच्छी तरह से नहीं बोल सकते हैं । आप तो अंग्रेजी जानते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि सैनिकों के द्वारा जो श्रमदान का कार्य कराया गया, यह उनकी ड्यूटी के घंटों के अन्दर कराया गया या इसके लिए जो छुट्टी का समय था, उसमें यह कार्य कराया गया ?

सरदार मजीठिया : ड्यूटी के घंटों में उनसे काम कराया गया ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या श्रमदान द्वारा इन मकानों का निर्माण कराने के लिये असैनिक अधिकारियों से कोई सहायता ली गयी थी, और यदि हां, तो किस प्रकार की ?

†**सरदार मजीठिया** : असैनिक लोगों को भी इस में लगाया गया था । जैसे, ईंटों की चिनाई के बारे में, जो जानकार लोगों का ही काम है, हमें असैनिक लोगों को लगाना पड़ा और उन्हों ने यह काम किया ।

†**श्री तंगामणि** : श्रम दान से १४५० मकान बनाये जा चुके हैं । पता नहीं यह ऐसा मसला कैसे बन गया जिसे इस सभा से बाहर रखा जायेगा ? १९५९-६० में सैनिक कर्मचारी ऐसे कितने मकानों का निर्माण करेंगे ?

†**सरदार मजीठिया** : इस का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : प्रतिरक्षा सेवाओं के असैनिक कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की बड़ी कमी होने के कारण क्या असैनिक कर्मचारियों को श्रमदान द्वारा मकानों का निर्माण करने का अवसर प्रदान किया जायेगा और यदि हां, तो क्या इस के लिये योजना तैयार की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सरदार मजीठिया : क्या माननीय सदस्य का तात्पर्य प्रतिरक्षा से सेवाओं के असैनिक कर्मचारियों से है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : जी हां, उन के लिये भी क्वार्टरों की कमी है । इसलिये क्या उन्हें भी श्रमदान द्वारा मकान बना लेने का अवसर दिया जायेगा ?

†**सरदार मजीठिया** : जहां तक प्रतिरक्षा सेवाओं के असैनिक कर्मचारियों का संबंध है, उन के संबंध में यह शर्त नहीं है कि हम उन के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था करेंगे । लेकिन जहां भी क्वार्टर देना संभव हुआ है क्वार्टर हम ने दिये हैं और रेगुलर कर्मचारियों को मकान मिल जाने के बाद ही उन का नम्बर आयेगा ।

श्री अ० मु० तारिक : क्या उप-रक्षा मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पठानकोट में जहां पर हमारे बहुत से सैनिक और अधिकारी रहते हैं और जहां पर मकानों की काफी किल्लत है और उन को काफी कष्ट उठाना पड़ता है, यह श्रमदान का काम कराया जायेगा ?

†**सरदार मजीठिया** : मैं कह चुका हूं कि इस प्रश्न का उत्तर देने में हमें यह बात प्रगट करनी पड़ेगी कि हमारे सैनिक किन-किन जगहों पर रखे गये हैं और इस संबंध में ब्यौरा देना लोक-हित में नहीं होगा ।

श्री भक्त दर्शन: माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि सार्वजनिक हित के विरुद्ध है यह बतलाना कि कहां कहां पर सैनिकों के लिये मकान बनने वाले हैं । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि अम्बाला में सैनकों के लिये जब यह कार्यवाही शुरू की गई थी तो उस का बड़े जोर शोर सेप्रचार किया गया था तथा स्वयं प्रधान मंत्री महोदय उस का उद्घाटन करने के लिये गये थे । इसलिये क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि कम से कम दो चार स्थानों के नाम बतलाने की कृपा की जाये, जहां जहां ये मकान बनने वाले हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : ये स्थान सीमा के बहुत ही निकट हैं, और इसीलिये मुझे यह जानकारी देने में हिचक होती है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या यह सच है कि ठेकेदारों के अपनी शर्तों पर जिद करने के कारण सेना और प्रतिरक्षा बलों के लिये मकानों का निर्माण रुका हुआ है और क्या मंत्रालय का अपने आप मकानों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**सरदार मजीठिया** : बिल्कुल इसी विचार से यह श्रमदान आरम्भ किया गया था । हम इसे आगे भी बढ़ा रहे हैं । पहले अनुभव के बाद हमें यह विश्वास हो गया है कि यह ढंग चल सकता है ।

श्री वाजपेयी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन दिनों में हमारे जवान श्रमदान द्वारा मकान बनाते हैं उन दिनों में उन के लिये कवायद पैरेड की छुट्टी रहती है या कवायद पैरेड के साथ साथ श्रमदान चलता है ?

†**सरदार मजीठिया** : स्वाभाविक है कि वे यह दोनों ही काम एक साथ नहीं कर सकते । जिन लोगों को आसानी से काम से मुक्त किया जा सकता था उन्हें श्रमदान का कार्य दिया गया था और वे आपस में अदला बदली कर के यह काम करते थे । इसलिये, रेगुलर प्रशिक्षण से सभी लोगों को किसी एक समय एक साथ अलग नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सम्पत्ति सम्बन्धी विवरणियां

+

†*१०५८. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री किस्तैया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसर सरकार को अपनी अचल सम्पत्ति के बारे में जो सावधिक विवरणियां देते हैं सरकार द्वारा उन की जांच कराने पर यह पता चला है कि उन में से अधिकांश में दी गयी जानकारी या तो गलत थी या अपर्याप्त थी; और

(ख) क्या यह सच है कि सरकार हर वर्ष इन विवरणियों में से कुछ निश्चित प्रतिशत संख्या में विवरणियों की किसी स्वतन्त्र निकाय से जांच कराने वाली है ताकि यह जांच विभागीय पक्षपात से मुक्त हो ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ३१,००० अफसरों ने अपनी सम्पत्तियों आदि की विवरणियां दी थीं और मार्च, १९५५ के बाद से उन में से कितनों की जांच हो चुकी है और कितने मामलों में सरकार ने कार्यवाही की है ?

†**श्री दातार** : ३० अगस्त, १९५७ तक सरकार को जो २२,४१५ विवरणियां प्राप्त हुई थीं उन में से १०६ के खिलाफ कार्यवाही की गयी । पांच मामलों में कार्यवाही बन्द कर दी गयी क्योंकि जांच में पता चला कि वह बदनियत से नहीं किया गया था । २६ मामलों में जांच जारी है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : यह जांच केवल विभागीय अधिकारियों द्वारा ही क्यों की जाती है और सरकार संघ लोक सेवा-आयोग या ऐसे ही किसी स्वतन्त्र निकाय द्वारा इन की जांच कराने की वांछनीयता पर विचार क्यों नहीं करती क्योंकि भ्रष्टाचार पर इस अंकुश का बड़ा प्रभाव पड़ता है?

†**श्री दातार** : मौजूदा तरीका पूरी तरह प्रभावकारी है क्योंकि आवश्यक प्रतीत होने पर जांच की जाती है और फिर सरकारी कर्मचारियों के आचरण संबंधी नियमों के अधीन उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इन विवरणियों की जांच का काम किसी अफसर के सुपुर्द किया जाता है या कोई समिति या बोर्ड यह जांच करता है ?

†**श्री दातार** : जब भी ये विवरणियां प्राप्त होती हैं उन की छानबीन की जाती है और आवश्यक प्रतीत होने पर प्रारम्भिक कार्यवाही की जाती है और उस के बाद वास्तविक कार्यवाही कर दी जाती है ।

†**श्री श्रीनारायण दास**: इन विवरणियों की छानबीन किसी एक अफसर द्वारा की जाती है या किसी बोर्ड द्वारा ?

†**श्री दातार** : संबंधित मंत्रालय, या डाइरेक्टर या संबंधित प्रशासन के अध्यक्ष की ओर से एक अफसर इन विवरणियों की जांच करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जिन अफसरों ने अपनी जायदादों के बारे में आप को रिपोर्टें भेजी हैं, उन के बारे में क्या गुप्तचर विभाग यानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से भी इत्तिला हासिल की गई है ?

†**श्री दातार :** हमारा प्रशासनिक सतर्कता डिवीजन है जो इस बात की जांच कर इस बात का पता लगा सकता है कि यह काम बदनीयत से किया गया है या नहीं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या अफसरों को ये विवरणियां स्वत: देनी होती हैं या सतर्कता विभाग से मालूम होने पर संबंधित विभाग को उन से इस के लिये कहना होता है ?

†**श्री दातार :** यह हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि फलां तारीख तक संबंधित अफसर ये विवरणियां दाखिल कर दें । तब यह देखने के लिये उन की छानबीन की जाती है कि पूरी जानकारी दी गयी है या नहीं । और उस के बारे में कोई कार्यवाही तो नहीं करनी । फिर कार्यवाही की जाती है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** मंत्री महोदय के पिछले उत्तर से यह संकेत मिलता है कि इस जांच के संबंध में एक सी व्यवस्था नहीं है । क्या सरकार ने इन मामलों की जांच के लिये कुछ निश्चित प्रक्रिया और नियम तथा मानदण्ड निर्धारित किये हैं ?

†**श्री दातार :** इस संबंध में नियम बना दिये गये हैं और हिदायतें जारी की गई हैं ?

†**श्री रंगा :** पर कार्यवाही नहीं होती ।

श्री प्र० ना० सिंह: क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने केसेज में जांच के सिलसिले में विजिलेंस डिपार्टमेंट का उपयोग करना पड़ा है ?

†**श्री दातार :** मैं बता चुका हूं कि बहुत थोड़े मामलों में अनियमिततायें पायी गयीं थीं ?

श्री प्र० ना० सिंह : कितने केसेज में विजिलैंस डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करना पड़ा है ?

†**श्री दातार :** मैं इन मामलों की संख्या बता चुका हूं ।

दिल्ली में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

१०५९. श्री नवल प्रभाकर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा के निमित्त छात्रवृत्ति देने की योजना स्वीकृत कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस में कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) इस से कितने विद्यार्थियों को लाभ हुआ ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, अभी नहीं, क्योंकि राज्य से सूचना की प्रतीक्षा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अभी से इन की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि आजकल दिल्ली प्रशासन की ओर से प्रत्येक स्कूल को क्या एक सर्कुलर भेजा गया है जिसमें यह कहा गया है कि आठवीं श्रेणी तक के जो विद्यार्थी हैं राजनीतक पीड़ितों के उन सबकी शिक्षा नि:शुल्क होगी और इसके लिये वे आवश्यक कागज पत्र भेजें ? यदि यह सत्य है तो उन्होंने किस आधार पर भेजा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य जिस सर्कुलर का जिक्र कर रहे हैं, उस के बारे में मैं अभी तो नहीं बता सकता हूं । जो इत्तला मेरे पास है उससे यह स्पष्ट है कि अभी तक कोई योजना दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ने मिनिस्ट्री के पास नहीं भेजी है ।

श्री नवल प्रभाकर : केन्द्र से इस तरह का एक पत्र गया था कि हम आठवीं श्रेणी तक ऐसे लोगों को नि:शुल्क शिक्षा देने को तैयार हैं, उसके उत्तर में दिल्ली प्रशासन ने यह लिखा कि हम यह चाहते हैं कि हायर सेकेण्ड्री तक नि:शुल्क शिक्षा दी जाय । तो यह कहां तक सत्य है कि यह बात विचाराधीन है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मंत्रालय के पत्र में कुछ प्रस्ताव किये गये थे, वे इस प्रकार हैं : इन प्रस्ताव के अधीन दी जाने वाली रियायतें इस प्रकार की होनी चाहियें (१) सभी मान्यता प्राप्त प्राइमरी, बेसिक और मिडिल स्कूलों में भर्ती और पूरी या आधी फीस माफ करने के सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये, (२) मान्यता प्राप्त स्कूलों और कालेजों के छात्रावासों में मुफ्त निवास की व्यवस्था की जाय; (३) प्राइमरी से स्नातकोत्तर स्तर तक स्कूलों को सीमित संख्या में छात्रवृत्तियां और पुस्तकों के लिये अनुदान दिये जायें ।

राज्य सरकारों और दिल्ली प्रशासन से हमने ये सिफारिशें की थीं । यदि माननीय सदस्य दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के स्कूलों को भेजे गये किसी और परिपत्र का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे उसका पता नहीं । यदि वे मुझे पूर्व सूचना दें तो मुझे उन्हें यह जानकारी देने में प्रसन्नता ही होगी ।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार राजनीतिक पीड़ितों के छात्रों को जो छात्रवृत्ति देगी, उसके लिये आपने क्या मापदण्ड निश्चित किये हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसका उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूं । पिछले हफ्ते जब सवाल उठा था तो पोलिटिकल सफरर की जो व्याख्या की गई है वह बता दी गई थी । वह मैं फिर बताने के लिये तैयार हूं :—

> †"राजनीतिक पीड़ित का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे भारत के उद्धार के राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के सिलसिले में कम से कम छः महीने की कैद मिली हो या नजरबन्द रखा गया हो, जो आन्दोलन में या नजरबन्दी में मर गया या मारा गया हो, जिसे फांसी की सज़ा मिली हो या जो लाठी अथवा गोली वर्षा में सदा के लिये अपंग हो गया हो या जिसकी नौकरी या जीविका छूट गयी हो या जिसकी आंशिक या पूरी सम्पत्ति छिन गयी हो ।"

इस व्यापक परिभाषा के अधीन राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को, और उनके जो लड़के पहले ही मर चुके हों, उनके सम्बन्ध में उनके पोते पोतियों को, बशर्ते कि इन राजनीतिक पीड़ितों की आमदनी ३०० रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं हो, ये रियायतें मिल सकेंगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इन छात्रवृत्तियों की शर्तें गजट में प्रकाशित नहीं हुई हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमने सभी राज्य सरकारों और दिल्ली प्रशासन को लिखा है। सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं बड़ी खुशी से यह सारी योजना सभा पटल पर रख दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्रालयों को मेरा एक सुझाव है। पिछले शासन में वे गजटों की प्रतियां भी विभिन्न सदस्यों को भेजते थे। कुछ वर्ष पहले तक सदस्यों को लिख कर यह पूछा जाता था कि वे विशिष्ट गजटों की प्रतियां मंगाना चाहते हैं या नहीं और यदि वे कहते थे तो ये प्रतियां उनको भेज दी जाया करती थीं। जहां तक छात्रवृत्तियों या विशिष्ट समितियों या ऐसी बातों से सम्बन्धित अधिसूचनाओं का सम्बन्ध है जिनमें लोगों को दिलचस्पी होती है, उनसे सम्बन्धित अधिसूचनाओं की, जिनमें नियुक्तियों या स्थानान्तरणों से सम्बन्धित अधिसूचनायें शामिल नहीं हैं, प्रतियां यथासम्भव सभी माननीय सदस्यों के पास भेज दी जानी चाहियें ताकि इन अधिसूचनाओं से जो भी जानकारी मिलती हो वह सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध हो सके। ऐसी स्थिति में मैं ऐसे प्रश्नों के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन सदस्य हैं, निर्देश पद क्या हैं, छात्र वृत्तियों की शर्तें क्या हैं आदि। यदि वे इनकी प्रतियां सभी सदस्यों के पास न भेजना चाहें तो मंत्री महोदय एक या दो प्रतियां पुस्तकालय में रख दें। मैं नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगवा कर माननीय सदस्यों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट कर दूंगा।

सरदार अ० सिं० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन राज्यों से वहां के राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को स्कालरशिप देने के लिये राय आई है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न तो दिल्ली के बारे में था, उसी की इत्तला मेरे पास है।

अध्यक्ष महोदय सारे भारत के लिये अलग प्रश्न पूछें।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने अपने गश्ती पत्र का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वे उसे सब राज्यों को भेज चुके हैं, साथ ही दिल्ली को भी। मैं जानना चाहता हूं कि उस गश्ती पत्र को भेजे कितना समय हो गया और क्या इस सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई विचार हो रहा है कि दिल्ली में और दूसरे राज्यों में भी राज्य सरकारें एक पूरी सूची तैयार करायें। केन्द्रीय सरकार क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को लिख रही है।

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां वही सूची तैयार करने के लिये पत्र लिखे गये थे पहला पत्र भी ५ जनवरी, १९५९ को लिखा गया था और दूसरा पत्र भी ५ जनवरी, १९५९ को लिखा गया था।

रूरकेला में धमन भट्टी

+

†*१०६०. { **श्री मुरारका :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला में धमन भट्टी के विदेशी ठेकेदार अपना काम आरम्भ करने में तालिका से काफी पीछे रह गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मुरारका** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान महालेखा-परीक्षक के अपने हाल के प्रतिवेदन में दिये गये इस कथन की ओर आकर्षित किया है :—

"भारतीय फर्मों को दी गई अतिरिक्त ठेके सम्बन्धी रियायतों से यह देखा गया था कि कि विदेशी ठेकेदार धमन भट्टी के लिये सामान संभरण करने और उसे लगाने के बारे में अपने काम में तालिका से काफी पीछे रह गये थे जैसा कि नीचे बताया जाता है . . . . " ?

यदि ऐसा है, तो क्या महालेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ठीक है या गलत ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैंने लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन देखा है । लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जा रही है और हिन्दुस्तान इस्पात अपना दृष्टिकोण उनके सामने रखेगा। उन्हें लोक लेखा समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यही प्रश्न आज नहीं कुछ समय पहले पूछा जा चुका है और माननीय मंत्री द्वारा उसका उत्तर दिया जा चुका है ?

†**श्री मुरारका** : जी नहीं । ये बिल्कुल भिन्न प्रश्न हैं किन्तु उत्तर यही था कि लोक लेखा समिति इस पर विचार कर रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं माननीय सदस्य को यह सुझाव दे सकता हूं कि जब तक लोक लेखा समिति इस मामले पर विचार नहीं कर लेती तब तक के लिये और प्रश्न स्थगित कर दिये जायें ?

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं कि धमन भट्टी लगाने में चार मास से अधिक विलम्ब नहीं हुआ है ?

†**आचार्य कृपालानी** : चार मास तो बहुत कम होते हैं ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसमें तीन या चार मास का विलम्ब हुआ है जो इस प्रकार के बड़े काम के लिये असाधारण नहीं है ।

†**श्री मुरारका** : क्या विदेशी संभरण में विलम्ब होने पर करार में कोई दण्ड के बारे में खण्ड नहीं है ?

†**आचार्य कृपालानी** : दण्ड की व्यवस्था उनके लिये है जो समय के भीतर संभरण करते हैं ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । अनेक कारणों के परिणाम-स्वरूप यह विलम्ब हुआ है ।

†**श्री मुरारका** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या करार में कोई उपबन्ध है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल यह तथ्य जानना चाहते हैं कि करार में दण्ड के बारे में कोई खण्ड है अथवा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं इसके लिये पूर्व सूचना चाहूंगा । जब कभी लम्बे संविदाओं के किसी खण्ड विशेष के बारे में पूछा जाता है कि उसमें दंड सम्बन्धी खंड है या नहीं तो तत्काल उसका उत्तर देना कठिन होता है ।

†**श्री दासप्पा** : माननीय मंत्री ने कहा था कि मंत्रालय स्वयं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दिये गये पैरा के सम्बन्ध में अपनी टीका-टिप्पणी देगा । लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में ऐसा खण्ड शामिल करने से पूर्व क्या मंत्रालय की सम्मति ली गई थी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि लेखा परीक्षा में पैरा के लिये मंत्रालय की सम्मति ली जाती है । यह सच है कि पैरा का प्रारूप विभिन्न मंत्रालयों को भेजा जाता है और उसके पश्चात् वह अपनी आलोचना उस पर देता है और उसके बाद ही महालेखा-परीक्षक अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देता है । हम नहीं कह सकते कि मंत्रालय उसे ठीक ही बताता है । यदि महालेखा-परीक्षक यह कहता है कि वह अपना कुछ दृष्टिकोण रखना चाहता है तो उसका और मंत्रालय का अपना-अपना उत्तरदायित्व अलग-अलग रहता है ।

†**श्री रंगा** : यह सच है कि यह आवश्यक नहीं कि लेखा-परीक्षा का पैरा सम्बन्धित मंत्रालय स्वीकार कर ही लेगा किन्तु इस बारे में कोई पहले ही स्थापित परम्परा नहीं है कि जिस रूप में लेखा-परीक्षा में जो पैरा आया है उससे संबंधित मंत्रालय सहमत है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि इस बारे में कोई मत-भेद है । मैंने तो यह कहा था कि लेखा-परीक्षा पैरे का प्रारूप विभिन्न मंत्रालयों को भेजा जाता है । उसके बाद मंत्रालय अपनी आलोचना देता है तथा अन्ततोगत्वा अन्तिम प्रतिवेदन महालेखा-परीक्षक ही देता है । प्रारूप को स्वीकार कर लेने का तात्पर्य यह नहीं होता कि प्रारूप में जो कुछ लिखा है वह सभी मंत्रालय को स्वीकार है ।

†**श्री रंगा** : उसे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा वह प्रतिवेदन में नहीं रखा जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा विश्वास है कि प्रथा यही है । महालेखा-परीक्षक लेखाओं की जांच करता है और उसके बाद एक प्रारूप प्रतिवेदन भेजता है जिसमें उन बातों का जिक्र होता है जिन पर उसे आपत्ति होती है । वह फिर उसे मंत्रालय के पास व्याख्या करने के लिये भेजता है । मंत्रालय अपनी टिप्पणी अथवा आलोचना दे कर उसे पुनः वापस भेज देता है । महालेखा-परीक्षक उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है । मंत्रालय जो कुछ कहता है महालेखा-परीक्षक उसे स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है । मंत्रालय कुछ ऐसी बातों को उचित ठहराने का प्रयत्न कर सकता है जो उचित नहीं ठहराई जा सकतीं । महालेखा-परीक्षक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मंत्रालयों से भिन्न राय रखे । इसी प्रकार मंत्रालय को भी महालेखा-परीक्षक से भिन्न राय रखने का अधिकार प्राप्त है ।

†**श्री रंगा** : जी नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । कुछ न कुछ बोलते रहने से क्या लाभ है ?

महालेखा-परीक्षक द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन तैयार हो जाने पर वह लोक लेखा समिति के पास भेजा जाता है । लोक लेखा समिति मंत्रालय को एक अवसर देती है और उसके पदाधिकारियों की

---

†मूल अंग्रेजी में

जांच करती है। महालेखा-परीक्षक भी उसमें बैठता है। अन्त में लोक लेखा समिति प्रतिवेदन तैयार करती है।

हमने लोक लेखा समिति की सिफारिशों को सदैव महत्वपूर्ण स्थान दिया है। महा लेखा-परीक्षक को लेखाओं की जांच करने का अधिकार प्राप्त है और सांविधानिक रूप से ऐसा करना उसका कर्तव्य है। मंत्रालय को अपना स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। अन्ततोगत्वा लोक लेखा समिति जो कुछ कहती है उसे सभा के निर्णय के समान ही महत्वपूर्ण समझा जाता है।

मैंने हाल में एक विनिर्णय दिया है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सभा में चर्चा की जानी थी और उनका स्पष्टीकरण किया जाना था। ऐसी बातें सभा के सामने लाई जा सकती हैं अन्यथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन मानने के लिये सरकार बाध्य होगी। यदि मंत्रालय उस पर कुछ आपत्ति करती है, तो उस पर सभा में चर्चा की जा सकती है। उस समय तक मंत्री यदि चाहे तो यह कह सकता है कि वह महालेखा-परीक्षक की टिप्पणी से सहमत नहीं है और उसकी अपनी व्याख्या उस बारे में है। महा लेखा-परीक्षक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपना ही दृष्टिकोण रखे। उसे सभा के सम्मुख अपना प्रतिवेदन रखना होगा तथा वह लोक लेखा समिति को भेज दिया जायेगा। लोक लेखा समिति की सिफारिशों को उतना ही महत्वपूर्ण समझा जाता है जितना इस सभा में वाद-विवाद किन्तु अन्तर केवल इतना ही है कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर उन सिफारिशों के बारे में यहां चर्चा की जाती है। यही प्रथा रही है। अतः मैं यह नहीं समझता कि माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है वह गलत है।

†**श्री दासप्पा** : लेखा-परीक्षा पैरा में केवल स्वीकृत तथ्य ही बढ़ा दिये जाते हैं तथा श्री मुरारका का प्रश्न केवल तथ्यों के बारे में है महालेखा-परीक्षक की आलोचना के बारे में नहीं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य श्री मुरारका ने प्रश्न पूछा था कि क्या मैं उस आलोचना से सहमत हूं अथवा नहीं जिसके उत्तर में मैंने कहा था कि प्रतिवेदन मौजूद है, उसे मैंने देख लिया है और वह लोक लेखा समिति के पास जा रहा है तथा मैं लोक लेखा समिति का क्या दृष्टिकोण रहता है, इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं।

आपने ठीक ही बताया है कि मंत्री को यह अधिकार है कि वह चाहे तो उसे भिन्न राय रख सकता है। किन्तु मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि जब तक लोक लेखा समिति अपनी उपपत्ति न दे तब तक उसे आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं समय-समय पर इसी प्रथा का पालन होता आया है। मेरे लिये यह सरल काम है कि मैं सभा के समक्ष अपना दृष्टिकोण एकपक्षीय रूप में रख दूं कि प्रतिवेदन में जो कुछ कहा गया है वह सही नहीं है। लोक लेखा समिति द्वारा इस मामले पर भली प्रकार विचार किये बिना मेरे लिये कुछ कहना न तो सभा के प्रति ही और न समिति के प्रति ही उचित होगा। मैं समझता हूं कि मैं पूर्व निर्धारित प्रथा का पालन करता चला आ रहा हूं।

†**श्री मुरारका** : महालेखा-परीक्षक द्वारा प्रतिवेदन देने के पश्चात् और उसके सभा के सम्मुख आ जाने के बाद क्या हमें यह अधिकार प्राप्त नहीं कि हम उसकी परीक्षा करके महालेखा-परीक्षक द्वारा बताई गई अनियमितताओं के आधार पर प्रश्न पूछ सकें और क्या माननीय मंत्री को इस बात का अधिकार है कि वह लोक लेखा समिति को अपना दृष्टिकोण बताने से पहले इस बारे में अपनी राय नहीं दे सकते हैं ? लोक लेखा समिति को इन बातों की जांच करने में एक-दो वर्ष का समय लग सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यदि आपका यह आदेश है और आप चाहते हैं कि मैं अपना दृष्टिकोण बता दूं तो मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है । जबकि लोक लेखा समिति के सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत है और वह इस पर विचार कर रही है, ऐसी दशा में यदि सभा यह निर्णय करती है कि मुझे अपने विचार बता देने चाहियें, तो मैं इसके लिये तैयार हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लोक लेखा समिति के सामने प्रतिवेदन विचार के लिये आया हुआ है, इसलिये यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता । लोक लेखा समिति में इस सभा के बड़े महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं । अतः यदि माननीय सदस्य लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर अभी प्रश्न पूछना चाहते हैं और यह आशा करते हैं कि माननीय मंत्री उनका उत्तर दें तो सभा का समय व्यर्थ ही जायेगा । एक प्रतिवेदन पर चर्चा करने में एक मास का समय लग सकता है । ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय सदस्यों को परामर्श दूंगा कि वे ऐसे गम्भीर मामलों पर प्रश्न न पूछें । मैं लोक लेखा समिति से भी यह कहना चाहूंगा कि वह इसकी शीघ्र ही जांच कर ले ।

†**श्री रंगा** : मुझे एक गलतफहमी दूर करने की अनुमति दी जाये । जहां तक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में जो तथ्य बताये गये हैं उन का सम्बन्ध है, मंत्री जी को उन्हें मानना पड़ेगा अन्यथा वे महालेखा-परीक्षक द्वारा नहीं बताये जायेंगे । जहां तक उन तथ्यों पर आधारित स्वयं उन के विचारों का सम्बन्ध है, उन के विचारों में विभिन्नता की संभावना हो सकती है । इसी कारण प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के पास भेजा जाता है और उस के पश्चात् मंत्री अपनी राय प्रकट करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास जो मामला आया है मैं उसी पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं । जबकि महालेखा-निरीक्षक यह देखता है कि सरकार ने अत्यधिक गंभीर अनियमिततायें की हैं और अन्ततोगत्वा सरकार उन्हें ठीक करती है, सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह यह जाने कि वे अनियमिततायें क्या हैं । मैं महालेखा-परीक्षक को यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि ये गम्भीर मामले सभा की जानकारी में लाये जाने चाहियें । केवल सरकार उन्हें ठीक कर देती है इस कारण सभा को उस से अवगत न कराना ठीक नहीं होगा ।

ऐसी दशा में मंत्री महोदय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह महालेखा-परीक्षक को उस का स्पष्टीकरण दे और जब तक कि लोक-लेखा समिति उस की जांच नहीं कर लेती तब तक उसे उस अन्तिम रूप में नहीं समझा जाना चाहिये जिसे सरकार स्वीकार करने के लिये बाध्य है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती स्मारक

†*१०६१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती मनाने के लिये स्मारक के चारों ओर एक पार्क बनाने की योजना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पार्क बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने का काम पूरा हो चुका है ।

(२) बिना छने पानी की पाइप लाइन बिछाई जा रही है ।

(३) सम्प और पम्प गृह का निर्माण किया जा रहा है जिस के अप्रैल, १९५९ के अन्त तक पूरे हो जाने की आशा है ।

अध्ययन सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन[1]

†*१०६२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध्ययन सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन के सम्बन्ध में कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ख) उक्त सम्मेलन ने क्या-क्या कार्य किये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १,६४१.७० रुपये ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७५]** ।

जीवन बीमा निगम

†*१०६३. { **श्री कोडियान :**
श्री वें० प० नायर :
श्री पुन्नस :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के एजेण्टों को अपने कमीशन तथा पालिसिया पुनः चलाने के बारे में काफी विलम्ब अनुभव कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली के परामर्शदाताओं को भत्ते

†*१०६४. **श्री वाजपेयी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने एक संकल्प पारित किया है जिस में इस बात पर आग्रह किया गया है कि दिल्ली के नगर परामर्शदाताओं को जो भत्ते दिये जाते हैं उन का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] National Conference on Reading.

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन करने के सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) संकल्प के दिल्ली नगर निगम (परामर्शदाताओं और नगरवृद्धों के भत्ते) नियम, १९५८ के नियम ३ में संशोधन करने का सुझाव दिया है जिस के द्वारा परामर्शदाता अथवा नगर वृद्ध को निगम अथवा उस की किसी समिति की बैठक में भाग लेने पर १५ रुपये प्रति दिन के हिसाब से भत्ता देना निश्चित किया गया है जिस से अब परामर्शदाता अथवा नगरवृद्ध को १५० रुपये प्रति-मास भत्ते तथा ५ रुपये प्रति दिन के हिसाब से उतने दिनों का भत्ता मिला करेगा जितने दिनों वह निगम अथवा उस की किसी समिति की बैठक में भाग लेंगे ।

(ग) दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को सूचित किया गया था कि चूंकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ३४, जिस के अन्तर्गत उपर्युक्त नियम बनाया गया था, में इस बात की व्यवस्था थी कि परामर्शदाताओं और नगरवृद्धों को केवल बैठकों में भाग लेने पर भत्ता मिला करेगा, मासिक भत्ता नहीं, इस नियम में संशोधन नहीं किया जा सका ।

यूनस्को के प्रकाशन

†*१०६५. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को की 'प्रमुख परियोजना' की योजना के अन्तर्गत यूरोप और एशिया के देशों की सांस्कृतिक मान्यताओं के बीच पारस्परिक संबंध बढ़ाने के लिये जो अनुवाद प्रकाशित किये गये हैं उन से कुछ लाभ निकला है ;

(ख) इन प्रकाशनों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है और वे किन-किन भाषाओं में छापे गये हैं ; और

(ग) भारत सरकार ने इस का कितना व्यय दिया है और यूनेस्को का इस में कितना अंश है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

एक संयुक्त 'यूनेस्को-भारत न्यास निधि' स्थापित किया गया है जिस में भारत सरकार और यूनेस्को दोनों का अंशदान है । इस अंशदान में भारत ने अब तक ७५,००० रुपये दिये हैं जिस का भुगतान १५,००० रुपये की पांच वार्षिक किश्तों में किया जायेगा और जो १९५३-५४ से आरम्भ हो गया है । यूनेस्को ने भी अब तक १३,२५३ डालर (६५,०००) रुपये का भुगतान अपने आय-व्ययक में से इस निधि के लिये दिये हैं । इस निधि का संचालन यूनेस्को द्वारा किया जाता है । इस निधि में से अब तक लगभग ९७,००० रुपयों का उपयोग इस काम में किया गया है और इस वर्ष ४३,००० रुपये की और राशि व्यय करने की आशा की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

५१ भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में से जो इस परियोजना में आ जाते हैं, यूनेस्को ने अब तक ३६ का प्रकाशन कराने में कदम उठाया है। इन में से पांच ग्रन्थों का अनुवाद अंग्रेज़ी में और फ्रांसीसी भाषा में होगा तथा शेष का अनुवाद अंग्रेज़ी अथवा फ्रांसीसी में किया जायेगा। इन में से पांच का प्रकाशन भी किया जा चुका है जिस में से चार का अंग्रेज़ी में और एक का फ्रांसीसी में प्रकाशन हो चुका है ।

विमान वाहक पोत

†*१०६६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल में प्राप्त किया गया विमान वाहक पोत फिर से फिट किया गया है और उसे नये ढंग का बनाया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : विमान वाहक पोत को पूरा करने और आधुनिक ढंग का बनाने का काम किया जा रहा है और जिस के १९६१ में पूरे हो जाने की आशा है ।

जीवन बीमा निगम

†*१०६७. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के बनने से अब तक प्रति छमाही उस पर व्यय का क्या अनुपात है ; और

(ख) व्यय के अनुपात में वृद्धि का क्या प्रमुख कारण है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). जीवन बीमा निगम के पहले लेखा काल की अवधि सोलह मास बढ़ा दी गई है अर्थात् १ सितम्बर, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक कर दी गई है और "व्यय अनुपात" का हिसाब इस सारे काल का लगाया गया है। थोड़े काल के लिये इस व्यय का हिसाब नहीं लगाया जा सकता ।

निगम के पहले १६ महीनों का सम्पूर्ण व्यय अनुपात २७.३ प्रतिशत और पालिसियों के फिर से चलाये जाने के व्यय का अनुपात १५.८९ प्रतिशत है ।

१९५८ के बारे में आंकड़े १९५९ के अन्त तक उपलब्ध हो सकेंगे ।

सोने का चोरी-छिपे ले जाना

†*१०६८. **श्री फ० गो० सेन :**
श्री झूलन सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बर्मन :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्न जहाज (१) संगोला, (२) सांथिया, (३) ईस्टर्न सागा,

†मूल अंग्रेजी में

(४) ईस्टर्न मूसे, (५) टकशांग, (६) लोकसांग, (७) चीरो सांग और (८) ईस्टर्न मेड चोरी का सोना भारत लाते हैं ;

(ख) इन जहाजों के कर्मचारियों की राष्ट्रीयता क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को अपनी गुदा में तक सोना लाते पकड़ा गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) यह कह सकना संभव नहीं कि ये जहाज निश्चित रूप से चोरी का सोना लाते हैं । यह सच है कि ये जहाज (१) संगोला, (२) सांथिया, (३) ईस्टर्न सागा, (४) ईस्टर्न मूसे, (५) टकसांग, (६) लोकसांग, और (७) चोय सांग सोने के चोरी छिपे लाने में अन्तर्ग्रस्त थे । ईस्टर्न मेड से सोना नहीं पकड़ा गया यद्यपि जहाजों की जांच-पड़ताल करने पर दो ऐसे सन्देहात्मक खुने स्थान पाये गये जिनमें निषिद्ध वस्तुयें छिपाई जा सकती थीं ।

(ख) ब्रिटिश, चीनी और भारतीय ।

(ग) जी हां । कुछ मामलों में जहाज कर्मचारी अपनी गुदा में सोना ले जाते पाये गये थे ।

सामान्य निर्वाचन में मतदान

†*१०६९. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयुक्त एक ऐसी प्रक्रिया बना रहे हैं, जिससे आगामी सामान्य निर्वाचन दस दिनों में समाप्त किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) और (ख). निर्वाचन आयुक्त कोई ऐसी विशेष प्रक्रिया नहीं बना रहे हैं जिससे आगामी सामान्य निर्वाचन दस दिनों में समाप्त किया जा सके। आशा यह की जाती है कि निर्वाचन के तरीके में सुधार कर के मतदान के काल में कुछ कमी की जा सकेगी ।

पेंशनें तथा उपदान

†*१०७०. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन और उपदान सम्बन्धी नियमों का, नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के मामले में उन्हें उपदान के अलावा पूरी पेंशन देने के लिये, विशेष प्रकार से निर्वचन किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या अन्य सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और उपदान देने में भी इसी प्रकार निर्वचन किया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) स्थिति यह है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निवृत्ति लाभों का विनियमन नियंत्रक महालेखा-परीक्षक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५३ के उपबन्धों के अधीन किया जाता है और वह अधिनियम की धारा ३ के अधीन पेंशन पाने के अधिकारी हैं। इसी अधिनियम की धारा ४ के अधीन वह उस उपदान के पाने के अधिकरी भी हैं जो इस समय उस सेवा के लिये लागू हैं जिस दिन से वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर काम कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अन्य सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो नियम लागू होते हैं वे नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५३ के उपबन्धों से भिन्न हैं।

नहन का बिरोजा और तारपीन का सरकारी कारखाना

†*१०७१. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नहन (हिमाचल प्रदेश) के बिरोजा और तारपीन के सरकारी कारखानों में १९५८–५९ में इन वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ था ;

(ख) पिछले दो वर्षों की तुलना में यह उत्पादन कितना था ;

(ग) क्या यह सच है कि यह कारखाना घाटे में चल रहा है ; और

(घ) व्यय और उत्पादन के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) १९५८–५९ के प्रथम दस महीनों में इनका उत्पादन निम्न प्रकार से था :—

बिरोजा	३७,६२३ मन
तारपीन	७३,१५० गैलन

(ख) १९५६–५७ और १९५७–५८ में उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार थे :—

वर्ष	बिरोजा (मनों में)	तारपीन (गैलनों में)
१९५६–५७	२३,६३५	४४,४७१
१९५७–५८	३५,६८२	६८,५७५

(ग) जी हां।

(घ) १९५८–५९ के प्रथम दस महीनों में १२,१७,३१८ रुपये व्यय हुआ था और उत्पादन के आंकड़े उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में दिये जा चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अफीम और चरस का तस्कर व्यापार

*१०७२. { श्री मोहन स्वरूप :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल के बीच अफीम, चरस और अन्य वस्तुओं का तस्कर व्यापार जोरों पर है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जहां तक सरकार को पता है, नेपाल से भारत में चोरी छिपे चरस और गांजे का कुछ आयात होता है । खयाल है कि नेपाल से भारत में दूसरी चीज़ों का या भारत से नेपाल में इन चीज़ों में से किसी का चोरी छिपे आयात प्रायः नहीं होता ।

(ख) नशीली चीजों के गैर-कानूनी व्यापार को बन्द करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार की है, फिर भी केन्द्रीय सरकार अपने नशीली वस्तु विभाग (नारकोटिक्स डिपार्टमेण्ट) की मार्फत राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क रखती है । नेपाल से भारत में चोरी छिपे नशीली चीज़ों का आना रोकने के लिये बहुत से उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं । इन उपायों में से कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :—

(१) उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर के सुगम और महत्वपूर्ण प्रवेश स्थानों पर और महत्वपूर्ण भीतरी केन्द्रों पर चोरी-छिपे माल लाने ले जाने की रोक थाम करने वाले बहुत से दलों से काम ले रही है ।

(२) बिहार सरकार ने नेपाल की सीमा पर कई जांच चौकियां कायम कर दी हैं और तेज चलने वाली गाड़ियों से लैस गश्ती दल भी तैनात कर दिये हैं ।

(३) पश्चिम बंगाल की सरकार ने पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा पर रखे गये उत्पादन-शुल्क-कर्मचारियों की कार्रवाइयों में मेल बैठाने के लिये एक नया उत्पादन-शुल्क सूचना कार्यालय (एक्साइज इण्टेलिजेन्स ब्यूरो) बनाया है ।

(४) नशीली वस्तु विभाग ने राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क रखा और राज्य के, उस क्षेत्र में काम करने वाले, पुलिस और उत्पादन-शुल्क अधिकारियों के सम्मेलन इसलिये समय-समय पर कराये हैं कि चोरी-छिपे माल लाना ले जाना रोकने के उपाय सुझाये जा सकें ।

(५) चोरी-छिपे माल लाने-लेजाने की रोकथाम के इन उपायों को और कारगर बनाने के लिये भारत सरकार तथा सम्बद्ध राज्यों और नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों का, ऊंचे दर्जे का एक सम्मेलन कराने का भी विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तिरुपति में इंजिनियरिंग कालिज

†*१०७३. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति में एक इंजिनियरिंग कालिज खुलेगा; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) हां, श्रीमान् कालिज वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय खोलेगा ।

(ख) अभी कोई अनुदान नहीं दिया गया है परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चालू योजना-काल के अन्त तक सहायता अनुदान के रूप में आवर्तक और अनावर्तक व्यय का आधा-आधा व्यय देने को सहमत हो गया है। शेष व्यय विश्वविद्यालय तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार उठायेगी ।

कृत्रिम पैट्रोलियम उत्पाद

*१०७४. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री सूपकार :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९५९ तक कृत्रिम पैट्रोल तैयार करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या ऐसे पैट्रोल का उत्पादन १९५९ के अन्त तक आरम्भ हो जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कितना पैट्रोल तैयार किया जायेगा और इसका प्रति गैलन मूल्य क्या होगा ?

इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) शून्य ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली नगरपालिका निगम की इमारत

†*१०७७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगरपालिका के मुख्यालय की इमारत के लिये स्थान निश्चित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां है; और

(ग) इस परियोजना की तफसील क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत)** : (क) नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपाल के हवाई अड्डे

†*१०७८. **श्री ले० अचौ० सिंह :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार नेपाल में नये हवाई अड्डों के लिये स्थानों का सर्वेक्षणार्थ विशेषज्ञ भेज रही है ; और

(ख) क्या उनका व्यय नेपाल सरकार उठायेगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) भारत सरकार भारत के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दो हवाई अड्डों के स्थान का सर्वेक्षण करने के लिये सर्वेक्षण दल भेज रही है।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

"मद्रास सीमा शुल्क"

†*१०७९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २१ फरवरी, १९५९ के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित मिसेज पेगी वाक्सटन के उस पत्र की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उनकी कार के क्लयरेंस में मद्रास के सीमा-शुल्क अधिकारियों की सुस्ती का आरोप लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावर्ति रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७६]**

(ग) मामला विचाराधीन है ।

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां

†*१०८०. **श्री आ० कृ० गायकवाड :**
श्री रेड्डी :
श्री मान :
श्री बालासाहेब सार्लुके :
श्री दिगे :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री वोडयार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति के कुल ऐसे विद्यार्थियों के लिये जो छात्रवृतियों के पात्र हैं, नवम्बर, १९५८ के उत्तरार्ध में ७५ लाख रु० दिया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में शिक्षण संस्थाओं के मुख्याध्यापकों को यह नहीं बताया गया है कि किन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी दी गई हैं अतः शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क देने के लिये विद्यार्थियों को बाध्य किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि उक्त कारणों से कुछ विद्यार्थियों को कालिज छोड़ने पड़े ; और

(घ) क्या सरकार तार द्वारा शिक्षण संस्थाओं के सारे मुख्याध्यापकों को सूचित करेगी कि वे मामले का अन्तिम निर्णय होने तक अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क देने के लिये बाध्य न करें ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७७]**

(ग) सरकार को ऐसे कुछ मामलों की सूचना मिली है ।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि से अभी शिक्षाण संस्थाओं के मुख्याध्यापकों को सूचित करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

सैनिक अभ्यास

†***१०८१. श्री अजराज सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक क्षेत्रों में भी सैनिक अभ्यास होते हैं ;

(ख) क्या १६ फरवरी १९५९ को इलाहाबाद से ३० मील दूर बेसम-का-पुर्वा गांव में सैनिक अभ्यास हुआ था ;

(ग) क्या अभ्यास की समाप्ति पर कुछ कार्टर बम्ब वहीं छोड़ दिये गये थे ;

(घ) यदि हां, तो क्या एक कार्टर बम्ब के विस्फोट के परिणामस्वरूप चार व्यक्ति मरे ;

(ङ) क्या यह सैनिक अधिकारियों की उपेक्षा के कारण हुआ ; और

(च) क्या कोई जांच की गई है तथा मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) हां, कुछ सैनिक अभ्यास असैनिक क्षेत्रों में होते हैं परन्तु वे सुदूर बस्तियों में ही होते हैं तथा स्थानीय लोगों को उचित चेतावनी देने के बाद ही गोली-अभ्यास किया जाता है ।

(ख) १६ फरवरी, १९५९ को बेसम-का-पुर्वा गांव में कोई सैनिक अभ्यास नहीं हुआ था । परन्तु १३ फरवरी, १९५९ को इलाहाबाद के पास शंकरगढ़ में पैदल सेना की एक बटालियन ने भारी गोली चलाने का अभ्यास किया था ।

(ग) तथा (घ). असैनिक प्राधिकारियों ने सूचना दी है कि शंकरगढ़ पुलिस सर्किल में बेसम-का-पुर्वा गांव के एक निवासी १३ फरवरी, १९५९ को एक कार्टर बम्ब उठा कर अपनी झोपड़ी में ले गया । १४ फरवरी, १९५९ की सुबह जब वह बम्ब से पीतल निकालने के लिये उसे तोड़ने का

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रयत्न कर रहा था वह फट गया। इसके परिणामस्वरूप ४ व्यक्ति मर गये तथा अन्य ५ व्यक्तियों को गहरी चीटें आईं।

(ङ) तथा (च). जांच हो रही है। जांच के परिणाम विदित होने पर प्रतिकर के प्रश्न पर राजस्व प्राधिकारियों के साथ विचार किया जायेगा।

पूंजी निर्गम पर नियंत्रण को ढीला करना

†*१०८२. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह १९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूंजी निर्गम पर नियंत्रण को ढीला करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) तथा (ख). मामला विचाराधीन है और सरकार शीघ्र ही निर्णय करेगी।

वायुयानों का निर्माण

†*१०८३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में एक विदेशी फर्म के सहयोग से औसत दर्जे के परिवहन व यात्री वायुयानों के निर्माण का कोई निर्णय हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां स्थापित होगा ; और

(ग) क्या विदेशी फर्म के साथ बातचीत समाप्त हो गई है तथा वह कौन फर्म है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

'स्टेनलैस स्टील' का कारखाना

†*१०८४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित **प्रश्न** संख्या ३०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 'स्टेनलैस स्टील' के अग्रिम कारखाने की स्थापना का प्रश्न किस स्थिति में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : स्थापित होने वाले 'अलाय एण्ड टूल' स्टील प्लांट के आंशिक उत्पादन के रूप में परीक्षात्मक आधार पर निकल-रहित स्टेनलैस स्टील बनाने का विचार है। अतः अग्रिम संयंत्र स्थापित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। 'अलाय एण्ड टूल स्टील प्लान्ट' का विस्तृत परियोजना-प्रतिवेदन तैयार करने के लिये मूल्य-कथन प्राप्त हो गये हैं तथा विचाराधीन हैं।

बिहार में इस्पात पुनर्वेल्लन मिल

†*१०८५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बिहार में मेहसी (जिला चम्पारन) में एक इस्पात पुनर्वेल्लन मिल खोलने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां तो यह कार्य किसे दिया गया है ; और

(ग) क्या उत्तर बिहार में अन्य पुनर्वेल्लन मिल के लिये किस अन्य स्थान के बारे में विचार किया जा रहा है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). सरकार ने उत्तर बिहार में बरौनी में एक नया पुनर्वेल्लन कारखाना खोलने की मैसर्स साउथ बिहार सुगर मिल्स लि०, बिहटा (बिहार) की योजना स्वीकार कर ली है। नये एकक की और कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

संग्रहालय

*१०८६. {**श्री भक्त दर्शन** :
श्री पांगरकर :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १६ नवम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा संचालित संग्रहालयों को केन्द्रीय सहायता देने का जो प्रश्न विचाराधीन था, क्या वह इस बीच उसके बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी जायेगी ; और

(ग) यह सहायता किस कार्य के लिये दी जायेगी ?

वैज्ञानिक गवषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). मंजूर किये गये अनुमानित खर्च की सौ फी सदी तक वित्तीय मदद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ म्यूज़ियम्स द्वारा हाल ही में तय की गई नीचे लिखी प्राथमिकताओं (प्रायोरीटीज़) के अनुसार देने का इरादा है :—

(१) (एक) उपकरण (इक्विपमेंट)

(दो) अनुसंधान और प्रयोगशालायें

---

†मूल अंग्रेजी में

(तीन) पुस्तकालय

(चार) प्रकाशन और कैटेलाग्स

(पांच) संग्रहों को मिला कर चीजों को प्राप्त करना

(छः) प्लान के समय के लिये ऊपर की मदों के लिये खास तौर से जरूरी कर्मचारी-लोग।

(२) अधूरी परियोजनाओं/छोटे विस्तार कामों को मिला कर इमारतों की बहुत जरूरी किस्म की खास मरम्मतें ।

राज्य सरकारों से ऊपर की प्राथमिकताओं के अनुसार फिर से आवेदन भेजने के लिये कहा गया है ।

ईंधन तेल

†*१०८७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईंधन-तेल के हमारे वर्तमान साधन क्या हैं ;

(ख) ईंधन तेल का मूल्य कैसे निर्धारित होता है ; और

(ग) मूल्य कम करने के लिये क्या प्रयास किया गया है या किया जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तीन मुख्य किस्म के ईंधन-तेलों में से, देश के तेलशोधक कारखानों में मिट्टी-तेल का उत्पादन आन्तरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये आवश्यकता से अधिक है। तीव्र गति डीज़ल तेल तथा मध्यम गति डीज़ल तेल की आवश्यकता का कुछ भाग मुख्यकर फारिस की खाड़ी से आयात होता है ।

(ख) तथा (ग). तेलशोधक कारखाना करारों के अधीन इन तेलशोधक कारखानों के अन्य उत्पादों की भांति ईंधन तेलों के मूल्य आयात पर आधारित होते हैं। तेल समवायों से बातचीत करने के बाद उन्होंने २०-५-५७ से अपने विभिन्न उत्पादों (ईंधन-तेल सहित) के विक्रय मूल्य में कुछ तदर्थ कमी करना स्वीकार किया। वे कमियां अधिक कर के कारण समाप्त हो गईं। उसी करार के परिणामस्वरूप सरकार का लागत लेखा प्राधिकारी पेट्रोलियम उत्पादों (ईंधन-तेल सहित) के विक्रय मूल्य में तेल समवायों द्वारा सम्मिलित समस्त व्ययों की मात्रा व औचित्य की विस्तृत गहन जांच कर रही है ताकि नया मूल्य-सिद्धान्त, जो १-४-५८ से लागू होगा, बनाया जा सके। मार्च के अन्त तक उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है। तत्पश्चात् समवायों के साथ नया सिद्धान्त निश्चित किया जायेगा ।

भिलाई में होटल

†*१०८८. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई में एक होटल की इमारत के निर्माण का ठेका मैसर्स उत्तम सिंह दुग्गल एण्ड कम्पनी को दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो क्या ठेका देने से पहले किन्हीं अन्य ठेकेदारों से टेण्डर मांगे गये थे या बातचीत की गई थी ;

(ग) यदि नहीं तो क्यों ; और

(घ) क्या यह सच है कि ठेका भिलाई में नहीं अपितु दिल्ली में दिया गया था ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

(ग) सम्पूर्ण इस्पात संयंत्र क्षेत्र के इमारती कार्य के लिए सन्निहित इमारती कार्य की मदों के विवरण तथा लगभग मात्राओं के आधार पर टेन्डर मांगें गये थे । तीन मान्य टेण्डर प्राप्त हुए थे एवं संयंत्र के बड़े बड़े भागों का कार्य न्यूनतम टेन्डर देने वाले को दिया गया । कार्य स्थल पर एक और बड़े ठेकेदार को रखना उचित समझा गया । मुख्य इस्पात संयंत्र के सहायक कारखाना-क्षेत्र का कार्य तथा होटल का निर्माण, जो शीघ्र होना था, मैसर्स उत्तम सिंह दुग्गल एंड क० को मुख्यकर उनकी दरों के आधार पर जो उन्होंने इस्पात संयंत्र-क्षेत्र के कार्य के लिए दिये थे, दे दिया गया ।

(घ) नहीं, श्रीमान । भिलाई के महाप्रबन्धक ने बातचीत द्वारा इस कम्पनी को कार्य देने का प्रस्ताव दिया था और वह भारत सरकार ने स्वीकार किया था । ठेके की बातचीत भिलाई में हुई थी और वहीं ठेका दिया गया था ।

उत्तरी ज़ोन की 'कॉमन पुलिस रिज़र्व'

†*१०८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरीय जोन के लिए 'कामन पुलिस रिजर्व फोर्स' बनाना सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निश्चय की कार्यान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) हां ।

(ख) खंड परिषद् की पिछली बैठक में किये गये निश्चयानुसार उत्तरी जोन के तीन राज्यों (जम्मू तथा काश्मीर , पंजाब तथा राजस्थान) की सरकारों के राज्यपालों से योजना की तफसील तैयार करने की प्रार्थना की गई है ।

"बाक्स स्ट्रेपिंग"

†*१०६०. **श्री वाजपेयी :**
श्री आसर :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक आधार पर आयात किये गये 'बाक्स स्ट्रेपिंग' के २० प्रतिशत जड़ीकृत स्टाकों का आबाध विक्रय मंजूर हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि आयातकर्त्ताओं को इसके अतिरिक्त सामान का २५ प्रतिशत भाग आबाध विक्रय करने की अनुमति है ; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) 'बाक्स स्ट्रेपिंग' कोटा में वितरित नहीं होते। सीमत आयात का समान वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वाणिज्यिक आधार पर आयात किया गया माल जड़ीकृत कर दिया जाता है और बड़े बड़े अत्यावश्यक उपभोक्ताओं में बांट दिया जाता है। छोटे उपभोक्ताओं को सीधे आयातकर्त्ताओं से अपनी आवश्यकता का सामान प्राप्त करन के लिए आयात किये गये माल के २५ प्रतिशत भाग का आबाध विक्रय मंजूर किया गया है।

ब्रिटेन के साथ भुगतानान्तर

†*१०९१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का ब्रिटेन के साथ वर्तमान भुगतानान्तर कितना है ; और

(ख) यदि यह प्रतिकूल है तो इसकी पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ब्रिटेन के साथ भारत के भुगतानानुसार से विदित होता है अप्रैल, सितम्बर १९५८ में ८७·२ करोड़ रु० का चालू घाटा था जबकि १९५७ के इसी काल में यह घाटा ९२.१ करोड़ था।

(ख) पिछल अवसरों पर ऐसे प्रश्नों के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि हम समूचे भुगतानान्तर में अन्तर को निर्यात-वृद्धि, आयात में कमी तथा बाध्य सहायता की प्राप्ति द्वारा दूर करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। नीति के लिए किसी एक देश का कुछ देशों के साथ अतिरेक या अभाव की अपेक्षा समस्त भुगतानान्तर अधिक महत्वपूर्ण है।

अस्थायी असिस्टेण्ट

†*१०९२. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २११६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन अस्थायी असिस्टेंटों को स्थायी बनाने में कितना समय लगेगा जो १० से १५ वर्ष तक नौकरी कर चुके हैं परन्तु अभी तक स्थायी नहीं हुए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : उन अस्थायी असिस्टेंटों का स्थायीकरण विभागीय कोटा में अपेक्षित स्थायी रिक्त पदों के आधार पर होगा। अतः कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती। समय समय पर इस कार्य के लिए पद रिक्त होने पर स्थायी-करण किया जायेगा।

---

†मल अंग्रेजी में

संस्कृत आयोग

†*१०९३. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री श्री नारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री वाजपेयी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री पद्म देव :
श्री सूपकार :
श्री विभूति मिश्र :
श्री झूलन सिंह :
श्री अ० का० गोपालन :
श्री कोडियान :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या शिक्षा मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों व विश्वविद्यालयों ने संस्कृत आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां तो उनके टिप्पण क्या हैं ; और

(ग) क्या विशिष्ट प्रस्ताव तथा निर्णय किये गये हैं ।

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ७ राज्य सरकरों/संघ द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्र प्रशासनों, १९ विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के टिप्पणों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मामला उनके विचाराधीन है।

(ख) अब प्राप्त टिप्पण साधारणतया अधिकतर प्रस्तावों के अनुकूल हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोयला उत्पादन

†*१०९४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए कोयला उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य १९५८–५९ तक कितना प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या कोयलाखानों के यंत्रीकरण का कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) २.२ करोड़ टन के अधिक उत्पादन के लक्ष्य में से ७० लाख टन से कुछ अधिक दिसम्बर १९५८ के अन्त तक प्राप्त हो गया है ।

(ख) कोयला-खानों के यंत्रीकरण का कोई समस्त कार्यक्रम नहीं है । फिर भी कोयला बोर्ड ने निश्चय किया है कि नई खानों में सारे अभिन्यासों तथा परतों का कार्य यथासंभव मशीन से होना चाहिए । सरकारी क्षेत्र में नई खानों की अधिकतम यंत्रीकरण के आधार पर योजना बनाई जा रही है ।

विश्वव्यापी प्रतिलिप्य धिकार अभिसमय[1]

†***१०९५. श्री वाजपेयी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्वव्यापी प्रतिलिप्यधिकार अभिसमय, १९५२ के विद्यमान उपबन्धों के बारे में कुछ कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कठिनाई हो रही है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में यूनेस्को को कोई सुझाव दिया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सुझाव दिया है ; और

(ङ) उसका क्या उत्तर मिला है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) हां श्रीमान् ।

(ख) अभिसमय में एक ऐसे उपबन्ध का अभाव जिसके आधार पर समस्त देश अन्य सदस्य देश के नागरिक के प्रतिलिप्यधिकार का खंडन करने वाले अपने नागरिक पर अभियोग चला सकें ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) अभिसमय में सदस्य देशों के लिए यह उपबन्ध हो कि वे अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले प्रतिलिप्यधिकार का खंडन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उस देश की सरकार के प्रस्ताव पर जिस देश का कि प्रतिलिप्यधिकार का विधिसंगत स्वामी हो, जुर्म संबंधी कार्यवाही कर सकें ।

(ङ) शीघ्र निश्चय होने की आशा नहीं है क्योंकि सारे सदस्य-देशों से परामर्श लेना होगा ।

परीक्षा प्रणाली

†***१०९६. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री १० दिसम्बर १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में शिक्षा सुधार संबंधी

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Universal Copyright Conventions.

यूनेस्को की नई दिल्ली में हुई प्रादेशिक गोष्ठी का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जिसमें भारत तथा प्रदेश के अन्य देशों में परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन की सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां तो इसकी तफसील क्या है ; और

(ग) इस सिफारिश पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारत का राज्य बैंक

†१६३९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व राज्य वित्तोय निगम कौन-कौन हैं जिनके साथ भारत के राज्य बैंक ने करार किया है जिसके परिणामस्वरूप वे पार्टियों, प्रार्थनापत्रों के संबंध में कार्यवाही, ऋण वितरण आदि संबंधी जानकारी देने के लिए बैंक की सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : निम्न राज्यों वित्त निगमों ने भारत के राज्य बैंक के साथ एजेंसी-करार किये हैं जिनके अन्तर्गत बैंक उद्योगों, ऋण-वितरण किस्त वसूली, आदि सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करने के लिए निगमों के एजेन्ट के रूप में कार्य करेगा :

१. बम्बई राज्य वित्त निगम।

२. पश्चिमी बंगाल वित्त निगम।

३. बैंक के बंगाल सर्किल के क्षेत्राधिकार में स्थित बैंक की शाखाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश वित्त निगम।

व्यय कर

†१६४०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ले० आचौ सिंह :
श्री हेमराज :
श्री पांगरकर :
श्री दलजीत सिंह :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर १९५८ तक (राज्यवार) व्यय-कर निर्धारण, वसूली तथा बकाया की कुल कितनी राशि थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : अपेक्षित जानकारी का विवरण निम्न है

---

†मूल अंग्रेजी में

क्योंकि आंकड़े केवल आयुक्तों के भारों के अनुसार उपलब्ध, यथासम्भव उन्हें राज्यवार रखा गया है :

(आंकड़े हजार रुपयों में हैं)

क्रम संख्या	राज्य	३१-१२-५८ तक की गई मांग	३१-१२-५८ तक की गई वसूली	१-१-५९ को बकाया
१.	आसाम, त्रिपुरा और मनीपुर	२७	१३	१४
२.	आन्ध्र प्रदेश . .	१०९२	१३	१०७९
३.	बम्बई (नागपुर और बन्दरा जिलों के अतिरिक्त) .	१३४२	२०३	११३९
४.	बिहार तथा उड़ीसा . .	..	..	..
५.	दिल्ली तथा राजस्थान .	२२१	१८३	३८
६.	केरल तथा कोइम्बटोर . .	२०	..	२०
७.	मद्रास (कोइम्बटोर जिला के अतिरिक्त)	६	२	४
८.	मैसूर	३	३	
९.	मध्य प्रदेश तथा नागपुर और बन्दर जिले .	४५७	२८	४२९
१०.	पंजाब और हिमाचल प्रदेश .	३४९	२२	३२७
११.	उत्तर प्रदेश	९७	१०	८७
१२.	पश्चिमी बंगाल . .	१६५	८१	८४
	योग .	३७७९	५५८	*३२२१

*इसमें दिसम्बर १९५८ में की गई २४·३६ लाख रु० की मांग सम्मिलित है ।

बाल कल्याण

†१६२१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में अब तक भारत सरकार ने बाल-कल्याण योजना पर (राज्यवार) कुल कितना धन व्यय किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ७८]**

शिक्षा संस्थाओं में छात्रों की अधिकता

†१६४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा संस्थाओं में छात्रों की भीड़ कम करने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ७९**]

युद्ध सामग्री डिपो में सामान का निलाम

†१६४३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १ जनवरी, १९५९ तक युद्ध सामग्री डिपो में जो सामान नीलाम किया गया उसका कुल मुस्त मूल्य क्या था ; और

(ख) कितने मूल्य पर बेचा गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख) युद्ध सामग्री डिपो में फालतू सामान और कबाड़ आदि नीलाम द्वारा बेचा जाता है । मुस्त मूल्य केवल फालतू सामान का ही रखा जाता है । १ अप्रैल, १९५७ से १ जनवरी, १९५९ तक जो फालतू सामान नीलाम किया गया उसका कुल मुस्त मूल्य १४९५ लाख रुपये था । इस फालतू सामान के विक्रय से ३९० लाख रुपये वसूल हुए । कबाड़ आदि के विक्रय से उसी अवधि में २१९ लाख रुपये वसूल हूए । प्रतिरक्षा विभाग की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए कबाड़ आदि के विक्रय को और विनियमित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

युद्ध सामग्री कारखानों की उत्पादन क्षमता

†१६४४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन युद्ध सामग्री कारखानों में पूर्ण क्षमता से उत्पादन किया जा रहा है ;

(ख) किन-किन कारखानों में ५० प्रतिशत क्षमता से उत्पादन किया जा रहा है ; और

(ग) किन-किन में ५० प्रतिशत से भी कम क्षमता प्रयोग में लाई जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). यह बताना लोक-हित में नहीं कि प्रत्येक कारखाने में कितनी उत्पादन क्षमता प्रयोग में लाई जा रही है ।

हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर, को खालों का संभरण

†१६४५. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ और १९५७ में हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी कानपुर, को कितनी खालों का संभरण किया गया ;

(ख) कितनी खालें कमाई गई ;

(ग) क्या १९५८ में संख्या कम हो गई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां तो किस हद तक ; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) १९५६—संख्या ३२,५१५ अथवा १४,०१,७४५ पौंड

१९५७—संख्या ३२,७३४ अथवा १२,७५,५४१ पौंड ।

(ख) १९५६—संख्या ३२,५१५, अथवा १४,०१,७४५ पौंड

१९५७—संख्या ३२,७३४ अथवा १२,७५,५४१ पौंड ।

(ग) जी हां ।

(घ) गाय और भैंस की खालों में क्रमवार २०२४ और ९३६९ की वृद्धि हुई जबकि कट्टाई खालों की संख्या में १९१३४ की कमी हो गई है ।

(ङ) कट्टाई खालों की कमी चपलों की मांग कम हो जाने और चपलें बनाने में साधारण चमड़े का प्रयोग करने के कारण हो गई थी ।

युद्ध सामग्री कारखानों में रेलवे के लिये किया गया काम

†१६४६. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में युद्ध-सामग्री कारखानों में रेलवे के लिये जो काम किया गया उसका कुल मूल्य क्या था ;

(ख) १९५८–५९ और १९५९–६० में अधिक काम किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) १९५७–५८ में रेलवे और सरकारी विभागों के लिये १४३·२७ लाख रुपये का काम किया गया था । इसमें से लगभग ७५ से ८० प्रतिशत रेलवे के लिये था ।

(ख) १९५८–५९ में भी उतना ही काम किये जाने की संभावना है जितना १९५७–५८ में किया गया था । १९५९–६० में रेलवे के काम की मात्रा बढ़ाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ग) यह बताना सम्भव नहीं कि १९५९–६० में रेलवे के लिये कितना काम किया जायेगा क्योंकि यह विभिन्न रेलों द्वारा भजे गये आदेशों पर निर्भर करेगा ।

दिल्ली में मनोरंजन-कर

†१६४७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में दिल्ली प्रशासन को मनोरंजन-कर से कुल कितनी आय हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : १९५७–५८ में, जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने बताया है, मनोरंजन-कर से ३५,६३,०३४ रुपये की आय हुई जिसमें पण-कर की २,६९,०३२ रुपये की राशि शामिल नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली का लाल किला

†१६४८. **श्री पांगरकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में दिल्ली के लाल किले की मरम्मत आदि पर कितना खर्च किया गया ; और

(ख) १९५९–६० में कितना खर्च करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) ५०८४ रुपये (३१ जनवरी, १९५९ तक) ।

(ख) यदि संसद् ने मंजूरी दी तो ९,९०० रुपये ।

आगरा का किला

†१६४९. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में आगरा के किले की मरम्मत आदि पर कितना खर्च किया गया है ; और

(ख) १९५९–६० में कितना खर्च किया जाना है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) २२,७७० रुपये (२८ फरवरी, १९५९ तक) ।

(ख) संसद् के अनुमति के अधीन रहते हुए ३४,७५० रुपये खर्च करने का विचार है।

एलोरा और अजन्ता की गुफायें

†१६५०. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १९५८–५९ में एलोरा और अजन्ता की गुफाओं की मरम्मत आदि पर कितना खर्च किया गया है ; और

(ख) १९५९–६० में कितना खर्च करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क)

(१) एलोरा	१८,९५७ रुपये
(२) अजन्ता (दिसम्बर, १९५८ तक)	२१,४९२ रुपये ।

(ख) संसद् की अनुमति के अधीन रहते हुए :—

(१) एलोरा	६०,००० रुपये
(२) अजन्ता	४१,००० रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में "बाद की देखभाल" कार्यक्रम

†१६५१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत "बाद की देखभाल" कार्यक्रम के लिये कितनी राशि आवंटित की गई ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : समस्त द्वितीय योजना काल के लिये पंजाब राज्य सरकार को बाद की देखभाल के कार्यक्रम के लिये प्रयोगात्मक रूप से १२ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं ।

उड़ीसा में गन्धक वाले पानी के झरने

१६५२. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गरम पानी के झरनों में गंधक की खोज के लिये कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां । भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने गन्धक के निक्षेपों के लिये उड़ीसा के निम्नलिखित स्थानों पर खोज की थी :

१. खंडपाड़ा में ताराबला के उत्तर में ।
२. अथमलिक, ब्दीलझड़ी के आसपास ।
३. तप्तपानी, जिला गन्जम ।
४. अथमलिक में बोडसिंगा के उत्तर में लगभग एक मील दूर दयोलझड़ी ।
५. अटारी, कटक ।
६. जिला पुरी, बागमारी के निकट ।

(ख) इन से गन्धक निकलना लाभप्रद नहीं होगा । अनुसन्धान के परिणाम नीचे के विस्तृत ब्यौरे में दिये गये हैं :—

स्थान	
(१) खंडपाड़ा में ताराबला के उत्तर में (२०° १६′ : ८५° १९′)	पानी का तापमान लगभग १४° फारनहीट है परन्तु निकासी अधिक नहीं है । गैस के बुलबुले थोड़े-थोड़े समय बाद निकलते हैं । पानी में रोगों को ठीक करने की शक्ति होन के कारण झरने को पुण्य स्थान माना जाता है ।

†मल अंग्रेजी में

(२) ब्योलझड़ी के निकट (२०° ४५′ : ८४° ३०′) अथमलिक — इस स्थान पर सारे वायुमंडल में गन्धक की महक है। पानी सदा बहता रहता है परन्तु मात्रा अधिक नहीं होती। पानी का तापमान शरीर के तापमान से काफी अधिक होता है। वहां के लिये इसे पुण्य स्थान मानते हैं और कहा जाता है कि इस पानी से चरम रोग ठीक हो जाते हैं। झरने के आस पास की जमीन पर नमक की सी तह जमी हुई है।

(३) तप्तपानी (१९° २९′ : ८४° २४′) जिला गंजम — यह तप्तपानी नदी में है। इसमें से निरन्तर काफी मात्रा में गरम पानी बहता रहता है (लगभग ११५° फारनहीट, जिसमें से गन्धक के बुखारात निकलते रहते हैं। यह दावा किया जाता है कि इस पानी में कई रोगों को ठीक करने की शक्ति है।

४. बोडींसिंगा के उत्तर में लगभग एक मील दूर दयोलझड़ी (२२° ४४′ : ८४° ३४′) अथमलिक — यहां अधिकतम गरम पानी का तापमान १३४° फारनहीट है। थोड़ा खारी। गन्धकयुक्त हाइड्रोजन काफी मात्रा में निकलती है।

५. अटारी (२०° १२′ : ८५° ३३′ ३०″) कटक — तापमान १३८° फारनहीट। काफी मात्रा में गन्धकयुक्त हाइड्रोजन निकलती है।

६. बागमारी के निकट (२०° १३′ : ८५° ३०′) जिला पुरी — यह झरना एक नाले से निकलता है। इस के इर्द-गिर्द ईंटों आदि का १० फुट ४ इंच व्यास का एक ढांचा बनाया गया है जिस में से पानी के निकल कर सीमेंट से बने जलाशयों में जाने के लिये दो रास्ते बने हुए हैं। पानी में गन्धक है और बुलबुले निकलने से गैस का भी पता चलता है। गैस निकलने की रफ्तार एकरूप नहीं है। ५ मई, १९५० को उस कुएं से २४०० गेलन प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा था। जुलाई के प्रारम्भ में पानी का तापमान ५७° सैंटीग्रेड था।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का पैतृक निवास स्थान

†१६५३. **श्री प्र० के० देव** : **क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के पैतक मकान को अर्जित करके उसे राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर रखा गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत आई और उसकी देख रेख पर प्रति वर्ष कितना खर्च होता है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० मा० मो० दास)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में छात्रावास

†१६५४. **श्री प्र० के० देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय योजना काल में अब तक उड़ीसा में छात्रावासों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी आर्थिक सहायता दी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला श्रीमाली)** : भद्रक कालेज, भद्रक (उड़ीसा राज्य) के लिये स्वीकृत किये गये २ लाख रुपये के ऋण में से कालेज को अभी ७०,००० रुपया दिया गया है ।

होशियारपुर में समाज सेवा शिविर

†१६५५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में होशियारपुर में केन्द्रीय सरकार की सहायता से छात्रों और अन्य युवकों के लिये कौन-कौन से श्रम तथा समाज सेवा शिविर लगाये गये थे ;

(ख) कुल कितनी राशि खर्च की गई और क्या काम किया गया था ; और

(ग) १९५९ में वहां जो शिविर लगाये जायेंगे उनके नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ल० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ८०]**

जिला कांगड़ा में समाज सेवा शिविर

१६५६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में पंजाब के जिला कांगड़ा में छात्रों और अन्य युवकों के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता से कौन-कौन से श्रम तथा समाज सेवा शिविर लगाये गये; और

(ख) १९५९ में वहां जो शिविर लगाये जायेंगे उनके क्या नाम हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

(१) खुडियां
(२) घुरकुरी
(३) पठ्यार
(४) बंडला
(५) कोटला

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कांगड़ा ज़िले में १९५९ में लगाये जाने वाले शिविरों के स्थानों के बारे में अभी सम्बन्धित संस्थाओं से जानकारी नहीं मिली है। फरवरी और मार्च १९५९ में निम्नलिखित स्थानों पर शिविर लगाने की योजना बनाई गई थी परन्तु मालूम नहीं कि ये शिविर लगे थे या नहीं ।

(१) घीयां

(२) परोड़

(३) नंदौन

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये मकान

†१६५७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९५८–५९ में अब तक हिमाचल प्रदेश के गांवी में अनुसूचित जाति आवास योजना के लिये कोई राशि आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो योजनायें किस प्रकार की हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). १९५८–५९ में हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों की आवास योजना के लिये ६४,००० रुपये की मंजूरी दी गई है । यह राशि मकान बनाने के लिये राज सहायता देने और लोहे की नालीदार चादरें मुफ्त देने के लिये दी गई है ।

आदमपुर हवाई अड्डा

†१६५८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदमपुर हवाई अड्डे को बाढ़ों से बचाने के हेतु उसका विकास करने की कोई योजना आरम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) इस योजना में ये कार्य होंगे :

(१) नसराला चो का रुख रेल के पुल के निचली ओर रौ नाले की ओर कर देना ।

(२) रौ नाले को पूर्वी बयी में डाल देना ;

(३) रौ नाले के किनारे पत्थरों का एक बन्ध बनाना; और

(४) जालंधर ब्रांच नहर को साइफन की धारिता को ८००० म्यूसैक्स से बढ़ा कर २३००० म्यूसैक्स करना ।

इस योजना के अन्तर्गत लगभग १४०० एकड़ भूमि अर्जित की जायेगी जिस के लिये प्रतिकर दिया जायेगा। भारत सरकार और पंजाब सरकार मिल कर इस योजना को अन्तिम रूप दे रही हैं। २५ प्रतिशत खर्च पंजाब सरकार और शेष ७५ प्रतिशत भारत सरकार करेगी । भारत सरकार इस योजना को कार्यान्वित कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब मे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कृषक

†१६५९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कृषकों की सहायता करने की योजना कार्यान्वित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो १९५७–५८ और १९५८–५९ में इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र ने पंजाब सरकार को कितनी राशि आवंटित की ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) १९५७–५८ और १९५८–५९ में पंजाब सरकार को आवंटित की गई राशियां नीचे बताई जाती हैं :—

पिछड़े वर्ग का नाम	१९५७–५८			१९५८–५९		
	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	कुल	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	कुल
			(लाख रुपये)			
१. अनुसूचित आदिम जातियां	०.३६	०.३१	०.६७	०.२०	०.३१	०.५१
२. अनुसूचित जातियां .	..	६.४०	६.४०	..	६.४०	६.४०

लुनेज के तेल के कुएं के पास आग लगना

†*१६६०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ नवम्बर, १९५८ को प्रातःकाल के समय कैम्बे से आठ मील दूर लुनेज के तेल के कुएं के पास आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो जान और माल का कितना नुक्सान हुआ ;

(ग) क्या आग लगने के कारण खुदाई का काम रोक दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो कितने समय के लिये ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी, हां। कुएं के आस पास तेल और गैस जमा हो जाने के कारण आग लगने की एक मामूली दुर्घटना हुई थी। पास ही कहीं वैल्डिंग का काम हो रहा था जिस से गैस के बुखारात ने आग पकड़ ली। कुएं से थोड़ी दूर तेल के जो ३०० ड्राम जमा किये गये थे वे नष्ट हो गये ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

महिला शिक्षा

†१६६१. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री कोडियान :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री वोडयार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला शिक्षा के लिये राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिये हाल ही में क्या निर्णय किये गये हैं ?

(ख) द्वितीय योजना काल में अब तक महिला शिक्षा के लिये कुल कितने अनुदान दिये गये हैं ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में सहायता अनुदानों के रूप में कुल कितनी राशि दी जायेगी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) यह निश्चय किया गया है कि यह जरूरी नहीं कि केन्द्रीय सरकार की राज सहायता प्राप्त करने के लिये राज्य २५ प्रतिशत अंशदान दें ।

(ख) १९५७–५८ . . १ लाख रुपये ।

१९५८–५९ . . ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) द्वितीय योजना के लिये वर्तमान व्यवस्था २४० लाख रुपये है । वास्तविक अनुदान इस पर निर्भर करेंगे कि राज्य योजना को किस प्रकार कार्यान्वित करेंगे ।

पंजाब में श्रव्य दृष्य-शिक्षा[1]

†१६६२. श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय योजना काल में अब तक पंजाब के लिये श्रव्य-दृश्य शिक्षा का क्या कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक किये गये कार्य का ब्योरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८१]

पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

†१६६३. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने हाल ही में १० पाकिस्तानी गिरफ्तार किये जो १९ व्यक्तियों के एक मशहूर अपराधियों के अन्तर्राज्यिक गिरोह के सदस्य थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Audio Visual Education.

(ख) क्या यह सच है कि यह गिरोह बहावलपुर (पाकिस्तान) राजस्थान और पंजाब में अपना काम करता है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : जी हां ।

जेट-इंजन गवेषणा केन्द्र

†१६६४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के सहयोग से जेट इंजनों के विकास के लिये गवेषणा की जो योजना थी वह अब किस अवस्था में है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : भारतीय विमान बल ते— रेख केन्द्र, कानपुर में गैस पाइप गवेषणा केन्द्र आरम्भ हो गया है और कुछ परियोजनाओं र कार्य आरम्भ हो गया है । इस केन्द्र के लिये कर्मचारी भर्ती किये जा रहे हैं ।

विद्या भवन, सोसाइटी उदयपुर

१६६५. { **श्री खुशवक्त राय** :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने विद्या भवन सोसाइटी, उदयपुर को पिछले पांच सालों में कितना धन अनुदानों के रूप में दिया है ; और

(ख) ये अनुदान किस कार्य के लिये दिये गये ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत सर्वेक्षण विभाग

†१६६६. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिस में यह जानकारी हो :

(क) प्रथम योजनाकाल में भारत सर्वेक्षण विभाग ने कितनी और किन-किन परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य किया था ;

(ख) इस सर्वेक्षण कार्य के लिये कितनी राशि खर्च की गई थी ;

(ग) द्वितीय योजना काल में भारत सर्वेक्षण विभाग ने किन-किन परियोजनाओं में कार्य आरम्भ किया है; और

(घ) कितनी राशियां खर्च होने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). एक विवरण, जिसमें उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि प्रथम और द्वितीय योजनाओं में कौन-कौन सी परियोजनायें आरम्भ की गईं और उन पर कितना-कितना खर्च हुआ, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८२**]

भारत सर्वेक्षण विभाग

†१६६७. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की सर्वेक्षण विभाग के कुछ अनुभागों को औद्योगिक उपक्रम घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह घोषणा किस आधार पर की गई है ;

(ग) अन्य अनुभागों को अलग रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अलग अलग रखे गये अनुभागों को भी औद्योगिक उपक्रम घोषित किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित अनुभाग १९४६ के औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम की धारा २ के खंड (ङ) में दी गई परिभाषा के अनुसार "औद्योगिक प्रतिश्रुति" में आते हैं।

(ग) अन्य अनुभाग इसके क्षेत्र से बाहर हैं।

(घ) जी नहीं ।

प्रादेशिक भाषाओं का विकास

†१६६८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि भारत सरकार ने १९५८–५९ में अब तक प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये कोई सहायता दी है तो वह प्रत्येक राज्य के लिये कितनी है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : १९५८–५९ में अब तक भारत सरकार की "आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी के अतिरिक्त) विकास" योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किये गये हैं।

		रुपये
१.	आन्ध्र प्रदेश	५०००
२.	बम्बई	३०००
३.	दिल्ली	२०००
४.	जम्मू व काश्मीर	९,६००
५.	मद्रास	१५,०००
६.	उड़ीसा	३०००
७.	पंजाब	२७,०००
८.	पश्चिमी बंगाल	३६,८००

†मूल अंग्रेजी में

लिगनाइट

†१६६९. { **श्री पुन्नूस :**
श्री कोडियान :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्कलाई लिगनाइट सम्बन्धी हाल ही के अनुसन्धान प्रतिवेदन में 'फायर क्ले' 'बाल क्ले', 'लेहिना क्ले' और चूने के पत्थर सम्बन्धी अध्ययन का भी ब्योरा है; और

(ख) क्या भारत सरकार प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) केरल राज्य के क्विलोन और त्रिवेन्द्रम जिलों और वर्कलई में लिगनाइट के अनुसन्धान सम्बन्धी हाल ही में प्रतिवेदन में केवल यह उल्लेख किया गया है कि क्विलोन में चूने का पत्थर है और कुछ नमूनों के रासायनिक विश्लेषण के परिणाम भी बताये गये हैं।

(ख) जो प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं होते उन्हें सभा-पटल पर नहीं रखा जाता। केरल राज्य के त्रिवेन्द्रम और क्विलोन जिलों में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा किये गये अनुसन्धान के परिणामों सम्बन्धी एक विवरण १९ नवम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखा गया था ।

औद्योगिक वित्त निगम के कर्मचारी

१६७०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय औद्योगिक वित्त निगम में कितन कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) इनमें से कितने अनुसूचित जातियों के हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) २२६।

(ख) ८।

संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन

†१६७१. **श्री रामी रेड्डी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन समाचार-पत्रों की सूची का पुनरीक्षण किया हैं जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अपने विज्ञापन भेजता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुनरीक्षित सूची की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विमान बल भर्ती केन्द्र

†१६७२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विमान बल भर्ती दफ्तर हैं और वे कहां कहां स्थित हैं, और

मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५८ में इनमें से प्रत्येक दफ्तर में कितने उम्मीदवारों ने इन्टरव्यू किये और कितनो को चुना गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). एक विवरण जिसमें विमान बल भर्ती केन्द्रों के नाम और १९५८ में इन्टरव्यू किये गये उम्मीदवारों की संख्या बताई गई है । सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८३]** यह बताना लोक हित में नहीं कि प्रत्येक केन्द्र में कितने व्यक्तियों का चुनाव किया गया ।

कोणार्क मन्दिर

†१६७३. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८–५९ में उड़ीसा में कोणार्क मन्दिर की कोई विशेष मरम्मत की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की मरम्मत की गई थी ; और

(ग) क्या कोणार्क मन्दिर के परिरक्षण के लिये १९५९–६० के लिये कोई आवंटन किया गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) रेत और भारी पत्थरों को हटाना और आहते को उचित रूप से ढलवां बनाना ।

(२) समूची सतह में ८ फुट गहरा गढा खोद कर और उसमें सीमन्ट का प्लास्टर करके मन्दिर की सतह में पानी जाने से रोकना ।

(३) आहते की दीवार में जहां कहीं से भी ईंटें आदि निकल गयी हैं, उनमें ईंटे इत्यादि लगाना ।

(४) जिन चबूतरों पर बड़े बड़े जानवरों की मूर्तियां रखी हैं, उन्हें पक्का बनाना ।

(५) इधर उधर बिखरे हुए मूर्ति वाले पत्थरों को इकट्ठा करना ।

(६) कुर्सी के बाहर निकले हुए हिस्से पर चूने का छज्जा बनाना ।

(ग) संसद् की मंजूरी के अधीन रहते हुए लगभग १८,७०० रुपये ।

सरकारी ठेके

†१६७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि सरकारी ठेके, लाइसेंस इत्यादि उन व्यक्तियों को न दिये जायें जो करों को छुपाते हैं या कर नहीं दे रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि, १९४८ में ये आदेश जारी किये गये थे कि जिन व्यक्तियों को सरकारी ठेके अथवा आयात या निर्यात लाइसेंस दिये जायेंगे, उन्हें सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष आय-कर सत्यापन सर्टिफिकेट पेश करने को कहा जाये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

यूनेस्को की चलती-फिरती लाइब्रेरी

†**१६७५. श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनेस्को की चलती फिरती लाइब्रेरी ने किन किन स्थानों का दौरा किया ; और

(ख) इससे उन स्थानों में व्यक्तियों ने कितना लाभ उठाया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नई दिल्ली—नीलोखेड़ी—इलाहाबाद—बेलूरमठ—श्रीनिकेतन—रांची—हैदराबाद ।

(ख) यूनेस्को के चलती फिरती लाइब्रेरी का विभिन्न समाज शिक्षा आयोजकों के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदर्शन किया गया था । इस लाइब्रेरी में फिल्में प्रकाशन और पोस्टर हैं । इन केन्द्रों से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार प्रदर्शन की हुई चीजों का प्रशिक्षणार्थियों और केन्द्र के कर्मचारियों की ज्ञान-वृद्धि के लिये उपयोग किया गया । शिक्षाप्रद और रुचिकर चलचित्रों प्रशिक्षणार्थियों को दिखाये गये और इनको विश्व के विभिन्न भागों में विशेषत: आर्थिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों में उत्पन्न सामान्य समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में सहायता मिली । सितम्बर, १९५८ में नई दिल्ली में हुई यूनेस्को की आधारभूत शिक्षा और सामुदायिक विकास सम्बन्धी प्रादेशिक गोष्ठी में भी यूनेस्को की चलती-फिरती लाइब्रेरी का प्रदर्शन किया गया था ।

देहू रोड डिपो में सामान की जांच

†**१६७६. श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहू रोड डिपो में सामान की जांच कर ली गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) आयुध डिपुओं में हर वर्ष के १ अप्रैल से आरम्भ होने वाले और आने वाले वर्ष की ३१ मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिये सामान की जांच प्रतिवर्ष होती है । देहू रोड में स्थापित आयुध स्थापनाओं में १९५७–५८ के लिये सामान की जांच हो चुकी है और १९५८–५९ के लिये जांच हो रही है जो ३१ मार्च, १९५९ तक समाप्त हो जायेगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रामगुन्दम और कोठागुदम में कोयला

†१६७७. { **श्री दे० वें० राव :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ और १९५८–५९ में रामगुन्दम और कोठागुदम के पास कोयले की उपलब्धता के बारे में कोई खोज की गयी ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या उस क्षेत्र में कोयला निकालने के लिये कोई परीक्षात्मक योजना बनायी गयी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने से पहले कोई व्यापक सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). १९५७–५८ और १९५८–५९ में कोई खोज कार्य नहीं किया गया । तथापि, १९५८–५९ में नक्शा बनाने और छिद्रण कार्य करने की योजना बनाने के लिये पूर्व-परीक्षण परिमाप किया गया है । अभी तक प्रारम्भिक स्वरूप का कार्य किया गया है, अतः अभी कोई परिणाम नहीं बताया जा सकता ।

(ग) और (घ). कोठागुदम और तन्दूर क्षेत्रों में निकट भविष्य में गहरे छिद्र करने का प्रस्ताव है । इसी वर्ष इस क्षेत्र में लगभग १०० वर्गमील के क्षेत्र में परिमाप करने का भी प्रस्ताव है । कोयले के उत्पादन को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ३० लाख टन और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक ६० लाख टन बढ़ाने के लिये इस क्षेत्र में जांच पड़ताल की योजना बनायी गयी है । परन्तु प्रस्तावित जांच और छिद्रण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली मात्रा और किस्म के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

हिमाचल प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा

१६७८. { **श्री पद्म देव :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में बनाई गई योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ख) इस को लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) इस उद्देश्य से तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये तैयार की गयी योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिचमाल प्रदेश में बुनियादी प्राथमिक स्कूल

१६७९. { **श्री पद्म देव :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हिमाचल प्रदेश में अब तक कितने प्राथमिक स्कूलों को बेसिक प्राथमिक स्कूल बना दिया गया ; और

(ख) क्या इन स्कूलों को आवश्यक सामग्री और उपकरण दे दिये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १५० ।

(ख) जी, हां ।

अन्तरिक्षगामी यन्त्र के अवशेष

१६८०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विदर्भ में परभणी के बन में किसी अन्तरिक्षगामी यंत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिन में २० गज प्लास्टिक का कपड़ा और एक बक्स में बैटरी सैट तथा घड़ी लगी हुई है ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : यह पता चला है कि २० दिसम्बर, १९५८ को परभणी जिले के पारतुर तालुके के सीराजगांव नाम के गांव में पैराशूट बैलून से मिलती-जुलती कुछ चीजें मिली हैं । उनका ब्यौरा इस तरह है :—

(१) प्लास्टिक का कपड़ा ।

(२) दो लोहे के छल्ले, जिन में रस्सी से हुक बंधे हैं ।

(३) एक छोटा लकड़ी का छल्ला जिसमें रस्सी से लोहे का आधा छल्ला बंधा है ।

(४) एक लोहे की छोटी पेटी, जिसके भीतर एक घड़ी नट और पेच से कसी हुई है और एवररेडी बेटरी के ९ छोटे सेल रखे हैं ।

ऐसा मालूम होता है कि ये चीजें उस राकेट की हैं, जो टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई ने जानकारी इकट्ठी करने के लिये छोड़ा था ।

चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना

†१६८१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १७ जनवरी, १९५९ को बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों ने फारस की खाड़ी से आये "द्वारका" नामक स्टीमर के 'एंजिन रूम' से १,२०,००० रुपयों के मूल्य की सोने की छड़ें पकड़ी जिनका वजन १,१३० तोला था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जी, हां । १७ जनवरी, १९५९ को सीमा शुल्क अधिकारियों ने एस० एस० 'द्वारका' नामक जहाज के 'एंजिन रूम' से, जो कि पहले दिन फारस की खाड़ी से बम्बई आया था, लगभग १,२९,००० रुपये के मूल्य की सोने की छड़ें पकड़ीं जिनका वजन १,१३० तोला था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देहर (हिमाचल प्रदेश) में तेल की खोज

१६८२. **श्री पद्म देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जिला मण्डी में देहर के स्थान पर तेल की जो खोज की जा रही थी, उस में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : १९५६–५७ और १९५७–५८ के क्षेत्र में काम करने के मौसम में हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में देहर नामक स्थान पर एक भूगर्भीय पार्टी ने काम किया। १९५८–५९ के चालू क्षेत्र में काम करने के मौसम में भी वहां एक क्षेत्रीय पार्टी काम कर रही है। अब तक ३०० वर्ग मील के क्षेत्र का नक्शा बनाया जा चुका है और ६९ वर्ग मील के क्षेत्र का विस्तृत सांरेखण[1] किया जा चुका है। यह सब कार्य भूमि की तहों के क्रम के वर्णन[2] से सम्बन्धित है। परीक्षण के लिये अब तक कोई उपयुक्त आकार[3] नहीं मिला है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी

†१६८३. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में १९५७ में कितने अभ्यर्थी राज्य-वार चुने गये हैं;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य के लिये कोई अभ्यंश निर्धारित है; और

(ग) यदि हां, तो यह अभ्यंश किस आधार पर निर्धारित किया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :

राज्य	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में १९५७ में प्रवेश के लिये चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या
(१)	(२)
पंजाब	१५२
दिल्ली	६८
उत्तर प्रदेश	५१
बम्बई	२६
आसाम	४
बिहार	७
जम्मू तथा काश्मीर	६
मध्य प्रदेश	३
उड़ीसा	३
राजस्थान	८

†मूल अंग्रेजी में

[1]Traverses.

[2]Stratigraphical.

[3]Structure.

(१)	(२)
पश्चिमी बंगाल . .	९
हिमाचल प्रदेश . .	१
मद्रास . . .	७
मैसूर . . .	११
आन्ध्र प्रदेश . . .	२
केरल . . .	९
अन्य . . .	१

उपरोक्त अभ्यर्थियों को दो बैचों में चुना गया था और उनको एक जुलाई, १९५७ से आरम्भ होने वाले और दूसरी जनवरी, १९५८ में आरम्भ होने वाले दो कोर्सों में प्रवेश दिया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना

†१६८४. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें २३ जनवरी, १९५९ को कलकत्ते के हवाई अड्डे पर पकड़े गये सोने के बारे में जानकारी दी गयी हो ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें जानकारी दी गई है :

विवरण

यह पता चला था कि कलकत्ते के डम डम हवाई अड्डे पर 'इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन' के 'ट्रांशिपमेन्ट शेड' में रखे दो सूटकेसों में बहुत सा निषिद्ध सामान है । ये सूटकेस 'कैथे पैसिफिक एयरवेज' के एक विमान द्वारा हांगकांग से लाये गये थे और इन्हें फिर 'इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' के वायुयान बहरीन पहुंचना था । कलकत्ता और बम्बई में इनका ट्रांसशिपमेंट होना था । सूटकेसों के अन्दर रखी वस्तुओं को कपड़ा और स्टेशनरी के नमूने बताये गये थे । २३ जनवरी १९५९ को इन सूटकेसों को एयरलाइन्स के प्रतिनिधि और दो स्वतंत्र गवाहों के सामने जांच के लिये खोला गया । उनमें लगभग १२९६ तोला वजन की सोने की छड़ें, ७२० हाथ की घड़ियां, कुछ फाउन्टेन पेन, बाल प्वाइंट पेन और कपड़े के टुकड़े रखे पाये गये ।

उड़ीसा के बोलनगिर जिले में स्मारक

†१६८५. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा के बोलनगिर जिले में रानीपुर झनियाल के चौष्ठ जोगिन मन्दिर और अन्य मन्दिरों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में चूने के पत्थर के निक्षेप

†१६८६. **श्री इलयापेरूमल** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में चूने के पत्थर के पाये जाने के बारे में अब क्या स्थिति है ;

(ख) क्या चूने का पत्थर बनाने के बारे में हाल ही में कोई विस्तृत जांच पड़ताल की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो जांच पड़ताल का क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) मद्रास राज्य में दक्षिणी अर्काट, तंजौर, त्रिचिनापल्ली, सैलम, कोयम्बटूर, मदुरा, रामनाथपुरम्, तिरुनेल्वेल्ली के जिलों और रामेश्वरम् द्वीप में विभिन्न स्थानों पर चूने के पत्थर के पाये जाने का पता लगा है।

(ख) और (ग) भारत भूतत्वीय परिमाप विभाग द्वारा चूने के निम्नलिखित निक्षेपों की जांच पड़ताल की गयी और रिजर्व का परिगणन किया गया :

वर्ष १९५२ में रामनाथपुरम् और तिरुनेल्वेल्ली तट के मूंगे की चट्टान (कोरल रीफ्स) की जांच पड़ताल की गयी और क्षेत्र में लगभग २० लाख टन रीफ का अनुमान लगाया गया। सत्तूर और रामनाथपुरम् जिले में अरूपुकोहाई तालुक के चूने के पत्थर के निक्षेप की भी जांच की गयी और ४,३६२,००० टन से भी अधिक रिजर्व का अनुमान लगाया गया है। रामेश्वरम् द्वीप में कोरल लाइमस्टोन के होने का पता लगा है और रिजर्व ५० लाख टन आंका गया है। दक्षिण अर्काट जिले में १९५५-५६ में चूने के पत्थर का पता लगा और २,०००,००० टन रिजर्व का अनुमान लगाया गया।

आज़ाद स्मारक भाषणमाला

†१६८७. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् ने आजाद स्मारक भाषणमाला आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के प्रशासन-मण्डल ने मार्च, १९५८ में हुई अपनी बैठक में अपने संस्थापक-अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में "आज़ाद स्मारक भाषण-माला" नाम से प्रति वर्ष दिल्ली में अथवा देश के किसी भी बड़े केन्द्र में भारतीय और विदेशी विद्वानों द्वारा भाषण दिये जाने के लिये फैसला किया। ये भाषण भारत की सांस्कृति के विभिन्न पहलुओं और अन्य देशों के साथ उसके सांस्कृतिक सम्बन्धों से सम्बन्धित होंगे। आज़ाद स्मारक भाषण माला का उद्घाटन प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा २२ फरवरी, १९५९ को विज्ञान भवन में किया गया। उनके भाषण का विषय था "भारत—आज और कल"।

---

†मूल अंग्रेजी में

डिग्रियों को मान्यता

१६८८. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिये किन-किन शिक्षा संस्थाओं की डिग्रियों को मान्यता दी है; और

(ख) क्या किसी संस्था की डिग्री को दी गई मान्यता हाल ही में वापिस ले ली गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) केन्द्रीय सरकार के आधीन नौकरी पाने के लिये उन सभी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता प्राप्त है जो संसद् या राज्य विधान-सभा द्वारा पास किये गये एक्ट के अनुसार स्थापित किये गये हों। इनके अलावा भारत सरकार के आधीन नौकरी पाने के लिये नीचे दी गई संस्थाओं की कुछ डिग्रियों को भी मान्यता दी गई है :—

१. गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार
२. जामिया मिलिया इसलामिया, दिल्ली
३. काशी विद्यापीठ, बनारस
४. गुजरात विद्यापीठ (१९२०–२२ में प्रदान की गई डिग्रियां)
५. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना (१९३२ से पहले दी गई डिग्रियां)
६. टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज, बम्बई
७. नेशनल काउंसिल आफ रूरल हायर एजूकेशन
८. कौमी विद्यापीठ, लाहौर (१९२७ तक दी गई डिग्रियां)

(ख) जी नहीं।

दुर्गापुर में विश्राम-गृह

†१६८९. **श्री जं० ब० सि० विष्ट** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गापुर में एक विश्राम-गृह बनाने पर कितनी धन राशि खर्च की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : दुर्गापुर में अभी तक कोई विश्राम-गृह नहीं बनाया गया है।

करों की वसूली का रोका जाना

†१६९०. **श्री जं० ब० सि० विष्ट** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालयों और उच्चतमन्यायालयों द्वारा जारी किये गये आदेशों पर जिन केन्द्रीय करों की वसूली रोकी गई है उसकी क्या राशि है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली पोलिटैक्नीक

†१६९१. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट:** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली पोलिटेक्नीक के आर्ट अध्यापकों का क्या वेतन स्तर है और अन्य कर्मचारियों से उसकी क्या तुलना है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : पोलिटेक्नीक में प्रोफेसरों के ९ पद हैं, ७ वरिष्ठ वेतन क्रम में और २ सामान्य वेतन क्रम में, जो निम्न प्रकार है :—

(१) वरिष्ठ वेतन क्रम : १०००—५०—१५०० रुपये ।

(२) सामान्य वेतन क्रम : ८००—४०—१०००—५०—१२५० रुपये ।

ये पद किसी विशेष विभाग के लिये नहीं हैं । किसी भी विभाग के प्रोफेसर को विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुये दोनों में से किसी भी वेतन क्रम में नियुक्त किया जा सकता है ।

आर्ट विभाग में प्रोफेसरों के पद का वर्तमान वेतन क्रम ८००—४०—१०००—५०—१२५० रुपये है ।

आर्ट विभाग के अन्य शिक्षकों के लिये निर्धारित वेतन क्रम निम्न प्रकार हैं :

लेक्चरार (वरिष्ठ वेतन क्रम) : ३५०—३५०—३८०—३८०—३०—५९०/३०—७७०—४०—८५० रुपये ।

लेक्चरार (सामान्य वेतन क्रम) : ३००—२५—५००—३०—५६० रुपये ।

असिस्टेंट लेक्चरार : २००—१०—२५०—१५—३५०—इ० बी०—१५—४०० रुपये ।

दिल्ली पोलिटेक्नीक के सब विभागों में अध्यापन पदों के एक ही पद वालों के लिये समान वेतन क्रम हैं ।

पुरातत्व विभाग का पूर्वी सर्किल

†१६९२. **श्री बै० च० मलिक :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातत्व विभाग के पूर्वी सर्किल में उड़ीसा राज्य में सब से अधिक संरक्षित स्मारक और स्थान हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सर्किल के सदर मुकाम को कलकत्ता में रखने के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रत्नगिरि में खुदाई

†१६९३. **श्री बै० च० मलिक :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा म कटक जिले में रत्नगिरि पहाड़ी में खुदाई किये जाने के फलस्वरूप

†मूल अंग्रेजी में

जो वस्तुयें पाई गईं, उनको पर्यटकों को दिखाने और उनके बारे में जानकारी देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: कटक जिले में रत्नगिरि पहाड़ी की खुदाई में पाई गई वस्तुओं के बारे में पर्यटकों को जानकारी देने के लिये पुरातत्वीय विभाग के कर्मचारियों की सेवायें उपलब्ध हैं। पायी गई वस्तुओं का उचित रूप से प्रदर्शन करने के लिये एक संग्रहालय की स्थापना पर विचार किया जा रहा है।

मनीपुर में हाउस टैक्स

†१६९४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के आदिम जातीय क्षेत्रों में पागलों, अपंगों, अविवाहितों और अधिक आयु की अविवाहिता स्त्रियों को हाउस टैक्स देने से मुक्त किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तामेंगलांग सब-डिवीज़न में वर्ष १९५८–५९ में उनसे कर देने को क्यों कहा गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर हवाई अड्डे के लिये क्षतिपूर्ति

†१६९५. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि मनीपुर में काकचिंग और अन्य स्थानों के हवाई अड्डों के लिये कुछ बाकी पड़े क्षतिपूर्ति के दावों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) यद्यपि दावेदार उत्तराधिकार सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक कागजात पेश कर रहे हैं, क्या फिर भी उनको स्वीकृत धनराशि नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग): जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-टल पर रख दी जायेगी।

एक भारतीय का पाकिस्तान भाग जाना

†१६९६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुप्रयोजनीय हाई स्कूल, वारंगल के लेखापाल, श्री नज़ीर अहमद, कुछ सरकारी धन लेकर पाकिस्तान भाग गये ;

(ख) यदि हां, तो वह किन परिस्थितियों में भागे ; और

(ग) वह कुल कितना रुपया ले गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : आन्ध्र प्रदेश सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अमरीका और रूस से सामान की खरीद

†१६९७. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अमरीका और रूस से पृथक-पृथक कुल कितने मूल्य का सामान खरीदा गया ; और

(ख) १९५९–६० में कितने मूल्य के सामान के खरीदे जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). अमरीका और रूस से १९५८–५९ में खरीदे गये और विधि की उपलब्धता के अधीन रहते हुये, १९५९–६० में खरीदे जाने वाले सामान का मूल्य निम्न प्रकार है :

	१९५८–५९ (रुपये)	१९५९–६० (रुपये)
अमरीका . .	४,१५ लाख * (लगभग)	३७२ लाख** (लगभग)
रूस	०.३९ लाख (लगभग)	१.७२ लाख (लगभग)

शिशु कल्याण

†१६९८. { **श्री कोडियान** :
श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में शिशु कल्याण में उन्नति करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये सरकार ने अब तक कुल कितना धन खर्च किया है ; और

(ग) इस कार्य पर लगी स्वयं सेवी संस्थाओं को कुल कितना धन दिया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८५]**

†मूल अंग्रेजी में

* इसमें केवल दिसम्बर, १९५८ तक विमानों के सामान की खरीद सम्मिलित है ।

** इसमें कनाडा से खरीदे जाने वाले विमानों का सामान सम्मिलित है ।

(ख) शिशु कल्याण पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा खर्च की गई धन राशि के अतिरिक्त ९,६८,८७१ रुपये ।

(ग) २,४०,४११ रुपये ।

बिहार में कोयले वाले क्षेत्र

†१६९९. **श्री दलजीत सिंह:** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार राज्य में कितने कोयले वाले क्षेत्र हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रस्तावों का क्या ब्योरा है ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस कार्य पर कितना धन खर्च किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६]**

(ख) **सरकारी क्षेत्र**

१. कथारा	१५ लाख टन
२. गिड्डी	१५ " "
३. सौंदा	१२ " "
४. भुरकुण्डा २ (वर्तमान कोयला खान के साथ नये कार्य द्वारा)	०७ लाख टन
५. सायल और गिडी 'ए'	५ " "
६. बचरा	६ " "
७. चोरधरा	५ " "
८. पुरानी राज्य कोयला खानों से उत्पादन का विस्तार	५ " "
कुल	७० लाख टन

गैर सरकारी क्षेत्र

झरिया	३२५ लाख टन
करणपुरा	५५ " "
कुल	३८० लाख टन

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जहां तक १०५ लाख टन के सरकारी क्षेत्र (राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद) के लक्ष्य का सम्बन्ध है। कुल ४० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, परन्तु इस राशि का राज्यवार पृथक रूप से आवंटन करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

गैर-सरकारी क्षेत्रों के बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है ।

मध्य प्रदेश के टट्टम गांव में भग्नावशेष

१७००. श्री रा० स० तिवारी : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम टट्टन में पहाड़ के निकट की गई खुदाई में कुछ पुराने सिक्के पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे किस काल के हैं ; और

(ग) क्या खुदाई का कार्य चालू है ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर) : (क) से (ग): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा की मेज़ पर रखी जायेगी ।

विद्रोही नागा

†१७०१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मणीपुर के तामेंगलांग सब-डिवीज़न के दूरवर्ती क्षेत्रों में मणीपुर राइफ़ल्स और पुलिस ने संयुक्त मोर्चे में हाल ही मे बहुत से विद्रोही नागाओं को गिरफ्तार किया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से पकड़े गये कागजात से विशेषतः विद्रोही नागाओं के संघ के बारे में बहुत सी बातें प्रकाश में आयी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** (क) और (ख). जी, हां । उस क्षेत्र में मोर्चा लगाये जाने के फलस्वरूप ७ फरवरी, १९५९ से ३५ विद्रोही नागा गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

हार्ड कोक की मांग

†**१७०२. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हार्ड कोक की मांग का पुनः परिगणन करने के हेतु नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) जी, हां ।

(ख) सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) इस प्रक्रम पर प्रतिवेदन की प्रति को सभा पटल पर रखने का विचार नहीं है ।

पंजाब में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन

†**१७०३. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० के लिये पंजाब सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिये कितनी योजनायें भेजी हैं ;

(ख) क्या इनमें से कोई योजना स्वीकार की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिये पंजाब को कितना धन दिया गया है या दिये जाने का प्रस्ताव है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १२ ।

(ख) योजनायें स्वीकार कर ली गई हैं ।

(ग) ५९.९ लाख रुपयो की राशि दिये जाने का प्रस्ताव है ।

कपड़े पर बिक्री-कर

†**१७०४. श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सब प्रकार के कपड़े बिक्री-कर से मुक्त किये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो कपड़े की किस किस्म पर बिक्री-कर लगाया जाता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) असली रेशम का कपड़ा ।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

†**१७०५. श्री वाजपेयी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के हित और कल्याण के लिये केन्द्र और राज्यों में वरिष्ठ सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव पर अन्तिम रूप दिये जाने की कब सम्भावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन्)** : (क) और (ख). सरकार भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के सम्बन्ध में समस्या पर पिछले कुछ समय से बहुत गंभीरता से विचार कर रही हैं। सरकार का इरादा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक निदेशालय को एक मेजर-जनरल के पद के पूर्व-कालिक पदाधिकारी के प्रभार में रखने का प्रस्ताव है। यह निदेशालय नई प्रस्थापनाओं का पुनर्संगठन कार्य—राज्यों और जिला संगठनों को जाने वाली सहायता अथवा निदेशों सहित— सम्बन्धित होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'आज़ाद मेमोरियल चेयर'

†१७०६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री १८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७० के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् ने स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृत्ति में विदेशों में कई 'चेयर्स' स्थापित की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिनमें ये 'चेयर्स' स्थापित की गयी हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) और (ख) जी, नहीं। परन्तु स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में विदेशों में कई 'चेयर' स्थापित करने का प्रस्ताव है और ऐसी दो 'चेयर्स' की स्थापना के लिये वार्ता चल रही है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९ दिनांक १९-११-५८ के उत्तर में शुद्धि

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखा गया:

विवरण

"१९ नवम्बर, १९५८ को सर्वश्री दी० चं० शर्मा और बहादुर सिंह ने पंजाब क्षेत्रीय समिति आदेश, १९५७ के अधीन क्षेत्रीय फार्मूला के कार्य के सम्बन्ध में जो अतारांकित प्रश्न संख्या ११९ लोक-सभा में पूछा था, उसका निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :

> "१८ अगस्त, १९५८ को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या १८९ के उत्तर में बताया जा चुका है कि दोनों क्षेत्रीय समितियों ने २६ नवम्बर, १९५७ से अपना कार्य आरम्भ किया था। हिंदी क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति की अब तक १९ बैठकें हुई हैं और पंजाबी क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति की ९"।

२. अब पता चला है कि दोनों क्षेत्रीय समितियों की बैठकों की उल्लिखित संख्या में निम्नलिखित संशोधन की आवश्यकता है :

हिन्दी क्षेत्रीय समिति	.	१४ बैठकें
पंजाबी क्षेत्रीय समिति	.	७ बैठकें

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री तंगामणि :** (मदुरै) : मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर चुका हूं क्योंकि ये इस सभा के क्षेत्राधिकार में नहीं है ।

श्री तंगामणि : परन्तु अस्वीकृति के कारण नहीं बताये गये हैं। मामला संसद् सदस्य से सम्बन्धित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक विधि तथा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय सदस्यों के कोई विशेष अधिकार नहीं हैं। कानून के सामने संसद् सदस्यों और सर्वसाधारण में कोई अन्तर नहीं होता है। संसद सदस्यों को भी आदेशों का उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विनियोग लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) वर्ष १९५६–५७ के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे तथा तत्सम्बन्धी वाणिज्यिक परिशिष्ट।

(२) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत डाक तथा तार का १९५८ का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन और १९५६–५७ के विनियोग लेखे।

(३) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत दिल्ली सरकार का १९५६ का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन और १९५५–५६ के वित्त लेखे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १२७०/५९]

कोयला बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं वर्ष १९५७–५८ के लिये कोयला बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी १२७१।५९]

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उपादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २२७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० १२/२/५९]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिले हैं कि निम्न विधेयकों के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(१) आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९, जिसे लोक सभा ने २४ फ़रवरी, १९५९ को पारित किया था ; और

(२) विनियोग विधेयक, १९५९, जिसे लोक-सभा ने २५ फरवरी, १९५९ को पारित किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेषाधिकार का प्रश्न

मनीपुर आय-व्ययक प्राक्कलनों का समय से पहले पता लग जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में माननीय सदस्य, श्री अचौ सिंह पूर्व सूचना दी है। मैंने इसके लिये अपनी अनुमति नहीं दी। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि एक तो इस मामले से विशेषाधिकार का प्रश्न किस प्रकार उठता है, दूसरे यह कि यदि इसको विशेषाधिकार का प्रश्न मान भी लिया जाये तो क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है।

†**श्री ले० अचौ० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र, "सीमान्त पत्रिका" ने, अपने २४-२५ फ़रवरी, १९५९ के अंक में संघ राज्य क्षेत्र मनीपुर के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय के आय-व्ययक आंकड़े पूरे पूरे छापे हैं। यह आंकड़े समाचार पत्रों को तब तक नहीं दिये जा सकते, जब तक कि आय-व्ययक सभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। समाचार के शीर्षक में लिखा था कि 'इस वर्ष मनीपुर के लिये ३.५० करोड़ रुपये का आय-व्ययक स्वीकार किया गया है।' उसी समाचार पत्र में यह भी बताया गया कि मुख्य आयुक्त ने समाचार पत्र संवाददाता सम्मेलन में यह आंकड़े बताये और यह भी बताया है कि आय-व्ययक प्राक्कलन मनीपुर सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित भी हो चुके हैं।

संसदीय लोक-तंत्र पद्धति की एक यह प्रथा है कि जब तक आय-व्ययक प्राक्कलन संसद में प्रस्तुत न किये जायें, उनका प्रकाशन नहीं होना चाहिये। परन्तु मनीपुर के आय-व्ययक प्राक्कलन गृह-कार्य मंत्रालय की मांग संख्या ५७ से लिये गये हैं और प्रकाशित किये गये हैं। इन प्राक्कलनों पर मनीपुर सलाहकार समिति में मंत्री महोदय की अध्यक्षता में विचार हुआ था। समिति की कार्यवाही तब तक गोपनीय होती है जब तक उसको इस सभा में प्रस्तुत न किया जाये। यह बड़ी गंभीर बात है। मेरे विचार से इन प्राक्कलनों को सभा की प्रतिष्ठा कम करने के उद्देश्य से जानबूझ कर प्रकाशित कराया गया है। यह बड़े खेद की बात है कि गृह-कार्य मंत्रालय से ही गोपनीय बातें समय से पहले प्रकाशित हो जायें। "में की पार्लियामेन्टरी प्रोसीज्यर" में लिखा है कि समितियों की गोपनीय बातों का समय से पहले प्रकट हो जाना सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है। इसीलिये मनीपुर के मुख्य आयुक्त ने स्पष्टतया सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न से दो बातें उत्पन्न होती हैं। एक तो यह कि आय-व्ययक के उपस्थापन से पूर्व क्या आय-व्ययक प्राक्कलनों को जनता को बताया जा सकता है; दूसरी यह है कि माननीय सदस्य कहते हैं कि प्राक्कलनों के सम्बन्ध में विचार करने के लिये समिति नियुक्त है और उसके किसी सदस्य द्वारा उसकी कार्यवाहियों को सभा में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व जनता को बताये जाने के कारण इस सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। मैं समझता हूं कि इस सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन तभी होता है जब कोई समिति इसी सभा द्वारा नियुक्त की गई हो और उसकी रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत किये जाने से पहले ही सार्वजनिक हो जाये। माननीय सदस्य कहते हैं कि यह समिति इस सभा की समिति नहीं है। फिर, उनका कहना है कि कुछ ऐसे आंकड़े भी बता दिये गये हैं जिन्हें पहले यहां बताया जाना चाहिये था। माननीय मंत्री का इस विषय में क्या कहना है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मुझे इसका बड़ा आश्चर्य है कि इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने उठाया गया है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ सका कि इससे विशेषाधिकार का प्रश्न किस प्रकार उठाया जा सकता है। मेरे विचार से उच्चायुक्त को आज भी संघ आय-व्ययक अथवा उसकी मुख्य मुख्य बातों की जानकारी नहीं है। उन्होंने आय-व्ययक को देखा भी नहीं है। इसलिये संघ आय-व्ययक को बताना उनके लिये संभव नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने इस मामले में रुचि दिखाई है और मनीपुर के विकास की ओर उनका ध्यान है।

श्रीमान्, केन्द्रीय प्रदेशों में विधान सभायें नहीं हैं और कार्यपालिका के समस्त अधिकार राष्ट्रपति को हैं। इसीलिये प्रत्येक केन्द्रीय प्रदेश के लिये एक सलाहकार समिति बनाई गई है। इन सलाहकार समितियों के सामने नीति सम्बन्धी, विधान सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के सभी मामले रखे जाते हैं। इनमें संसद सदस्य, प्रादेशिक परिषदों के प्रतिनिधि, प्रशासक आदि होते हैं जिससे जन साधारण के हितों के मामलों पर सभी प्रकार के दृष्टिकोणों से विचार किया जा सके। वास्तव में सभा तथा उन प्रदेशों की जनता के हितों पर ध्यान रख कर ही ऐसी व्यवस्था की गई है। संसद् के पास उन समस्याओं पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय नहीं होता है और साथ ही इससे जनता को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलता है।

कोई भी मामला होने पर उनका परामर्श लिया जाता है। इसलिये विभिन्न संबंधित मंत्रालयों, प्रशासन, प्रादेशिक परिषदों, निगमों, तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श लेने के पश्चात् जब गृह-मंत्रालय में वित्तीय प्रस्थापनायें तैयार होती हैं, उस समय इन्हें इन समितियों के समक्ष उनके विचारों के लिये प्रस्तुत किया जाता है। यदि वित्त मंत्रालय से और कुछ पूछना होता है तो उससे पूछा जाता है।

आय-व्ययक इन समितियों के सामने नहीं रखा जाता। परन्तु गृह-कार्य मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों का परामर्श लेकर इन प्रस्थापनाओं को समिति के सामने प्रस्तुत कर देता है। समिति उस पर अपने विचार प्रस्तुत करती है। समिति आय-व्ययक को स्वीकार नहीं करती है। वित्त मंत्रालय आय-व्ययक बनाता है और उसको यहां प्रस्तुत करता है। परन्तु इस मामले में भी दोनों आंकड़े मिलते नहीं हैं। उदाहरणतः मैं बताता हूं कि गृह-मंत्रालय ने अपनी प्रस्थापनाओं में राजस्व के आंकड़े १९५८–५९ के लिये ४३.८८ लाख रुपये रखे थे, परन्तु जो आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार यह राशि २६.६६ लाख रुपये हैं। इस प्रकार १७ लाख रुपये का अन्तर है। इसी प्रकार १९५९–६० के प्राक्कलन में ५२.२२ लाख रुपये के आंकड़े समिति के सामने रखे गये थे, जब कि आय-व्ययक में २९·५८ लाख रुपये हैं। अन्य मामलों में भी "सीमान्त पत्रिका" में गृह-मंत्रालय के आंकड़े ५९·४७ लाख रुपये थे परन्तु आय-व्ययक में ५४.७४ लाख रुपये है। और भी अन्य आंकड़े सीमान्त पत्रिका में ठीक प्रकाशित नहीं हैं।

मेरा कहना तो यह है कि आय-व्ययक आंकड़े बताये नहीं गये हैं। आय-व्ययक में जो आंकड़े रखे जाते हैं उन पर विभिन्न मंत्रालयों में आपस में बातचीत की जाती है। जब भी कभी आय-व्ययक में कोई अन्तर करना पड़ता है उसकी सूचना वित्त मंत्रालय को दी जाती है। और उसको स्वीकार अथवा अस्वीकार वही मंत्रालय करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता था कि श्री अचौ सिंह हमारी व्यवस्था को पसन्द करते हैं। मुख्य आयुक्त विशेषाधिकार का उल्लंघन करने की कल्पना भीं नहीं कर सकता है। इसमें विशेषाधिकार को भंग करने की कोई बात नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि इससे किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। दो बातें कहीं गई। एक तो यह कि आय-व्ययक के समय से पहले प्रकट हो जाने से विशेषाधिकार भंग हुआ है। माननीय सदस्य का प्रस्ताव मिलने पर मैंने उनसे आय-व्ययक आंकड़ों तथा मुख्य आयुक्त द्वारा बताये गये आंकड़ों की सूची मांगी। उन्होंने सूची मुझे दी और दोनों में मैंने पर्याप्त अन्तर पाया जहां तक गृह-मंत्रालय का सम्बन्ध है, परिषद् ने ५९ लाख मांगे जब कि उन्हें ५४ लाख रुपये दिये गये। लोक स्वास्थ्य के लिये ९००० रुपये मांगे गये, लेकिन दिये गये १० लाख रुपये। शिक्षा के लिये ३० लाख रुपये मांग गये, दिये गये ३१ लाख रुपये। इस प्रकार मालूम हो जाता है परिषद् के प्रस्तावों और आय-व्ययक के आंकड़ों में अन्तर है। अन्तिम रूप से यह निर्णय करना वित्त मंत्रालय का काम है कि कितनी राशि दी जाये। प्रस्थापनायें स्वयं आय-व्ययक के वास्तविक आंकड़े नहीं होती।

लेकिन मैं मुख्य आयुक्त को परामर्श देना चाहता हूं कि वह आय-व्ययक उपस्थापन के सिर्फ़ चार पांच दिन पहले ही अपने-प्रस्तावों की घोषणा भविष्य में न किया करें। मैं समझता हूं कि मुख्य आयुक्त का आय-व्ययक के उपस्थान से पहले संवाददाता सम्मेलन बुलाने के अलावा कोई और विशेष बात नहीं है और विशेषाधिकार भंग का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अचौ सिंह ने दूसरी बात यह उठाई कि परिषद् की कार्यवाही गोपनीय होती है। लेकिन अगर इस समिति की कार्यवाही गोपनीय न रह सकी तो इस सभा का विशेषाधिकार भंग नहीं हुआ है क्योंकि वह सभा की समिति नहीं है। मुझे खेद है कि माननीय सदस्य से मेरा मतैक्य नहीं है और मैं इसे विशेषाधिक़ार का प्रश्न नहीं मानता हूं।

सामान्य आय-व्ययक के बारे में विशेषाधिकार का कथित उल्लंघन

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मुझे एक पत्र की फोटोस्टेट प्रति मिली है। पत्र एस० सालिग राम एंड कम्पनी ने दिल्ली से २१-२-१९५९ को मैसर्स सालिग राम एण्ड कम्पनी, बंगलौर को लिखा था। पत्र इस प्रकार है :

"श्रीमान्,

मुझे पता लगा है कि प्लेयर्स तथा गोल्ड फ्लेक्स पर उत्पादन शुल्क बढ़ने की आशंका (चान्सेज़) हैं। इसलिये २/३ महीने का स्टॉक रखने का प्रबन्ध करलो।" यह पत्र २०-२-५९ को लिखा गया था, जबकि आय-व्ययक २८-२-५९ को यहां प्रस्तुत हुआ था।

मैं जानता हूं कि फर्म ने बड़ी चालाकी से 'चान्सेज़' (आशंका) शब्द का व्यवहार किया है परन्तु साथ ही साथ यह भी लिख दिया है कि "मुझे पता लगा है" आखिर पता किससे लगा। मुझे बंगलौर से यह भी पता लगा है कि यह कम्पनी आम तौर से १,५०० रुपये की कीमत का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० म० बनर्जी]

माल विभिन्न स्थानों से खरीदती थी लेकिन इसके बाद इसने एक दुकान, मैसर्स प्रेम एजेन्सी, से सारा माल खरीद लिया। आज गोल्ड फ्लेक की कीमत १४ आ० प्रति पैकेट है जबकि उस समय १२ आने ४ नये पैसे थी।

इस पत्र से मालूम हो जाता है कि इस कम्पनी को मालूम था कि सिगरटों पर उत्पादन शुल्क बढ़ने वाला है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह सभा विशेषाधिकार-भंग का ही मामला नहीं है बल्कि समाज-विरोधी कार्यवाही का भी उदाहरण है।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : पत्र में लिखा है कि "मुझे पता लगा है कि ऐसी आशंका है" कि दो प्रकार की सिगरेटों पर शुल्क बढ़ जायेगा। इसमें यह तो बताया नहीं गया है कि शुल्क कितना बढ़ेगा। यदि उनको इसके बारे में कोई जानकारी होती तो पत्र में अवश्य लिखते। उत्पादन शुल्कों के बारे में उनका पूर्वानुमान सही निकल भी तो सकता था।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को पत्र की फोटोसेट प्रति किस प्रकार मिली तथा किस व्यक्ति ने उनको भेजी ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह डाक से मेरे पास आई तथा जांच किये जाने पर पता लग सकता है कि यह किसने भेजी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि पत्र किसने भेजा है। मेरा तो इससे सम्बन्ध है कि पत्र सच्चा भी है या नहीं। इसमें केवल यह लिखा है कि शुल्क बढ़ने की आशंका है। किसी को इसकी आशंका हो सकती है। **फी प्रेस** में २० वस्तुयें बताई गई थीं जिन पर उनके ख्याल से शुल्क बढ़ने की आशंका थी लेकिन उनमें चार ही पर शुल्क बढ़ाया गया है। गुप्त बातों के प्रकट हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त उसमें यह नहीं बताया गया है कि कितना शुल्क बढ़ेगा। पत्र में दो प्रकार की सिगरेटों के नाम हैं जब कि शुल्क सभी प्रकार की सिगरेटों पर बढ़ा है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने 'आशंका' शब्द पर जोर दिया है। परन्तु उन्होंने इस वाक्य 'कि २/३ महीनों का स्टॉक रखने का प्रबन्ध कर लो' पर ध्यान नहीं दिया है। मेरा यही कहना है कि इस कम्पनी की ब्रांचों ने सारे देश में स्टॉक खरीद लिया है और बंगलौर में भी प्रेम एजेन्सी से सारा माल खरीद लिया है। इसलिये इसकी जांच की जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा को याद होगा कि १९५६ में आय-व्ययक प्रस्थापनाओं की साइक्लो-स्टाइल्ड प्रतियां बम्बई में परिचालित की गई थीं। जब यह मामला यहां पर उठाया गया था उस समय मैंने जो निर्णय दिया था वह संक्षेप में इस प्रकार है :

"यह प्रश्न हमारे संविधान के अनुच्छेद १०५(३) के उपबन्धों के अधीन है जिनके अन्तर्गत इस सभा की शिक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वे ही हैं जैसी हमारे संविधान के प्रारम्भ पर हाउस आफ कामन्स की थीं। वहां के थामस और डाल्टन के मामलों में आय-व्ययक का भेद खुलना विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं समझा गया था। अतः इस प्रश्न के विशेषाधिकार समिति

---

†मूल अंग्रेजी में

को सौंपने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । तो भी संसद को पूर्ण अधिकार है कि आय-व्ययक के भेद खुलने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री के कार्य की जांच करे ।"

तो विशेषाधिकार सम्बंधी मामलों में हमारा मार्ग दर्शन संविधान के अनुच्छेद १०५(३) के अनुसार होता है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है । लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सभा इस प्रकार के मामलों की जांच करवाने के लिये सक्षम नहीं है । जब कोई मामला गोपनीय हो, तो उसे गोपनीय रखना सरकार का कर्तव्य है । सभा चाहे तो इस मामले की जांच करने और माननीय मंत्री के आचरण की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त कर सकती है । लेकिन यहां किसी ने भी ऐसा एक शब्द नहीं कहा है कि माननीय मंत्री इसके लिये जिम्मेदार हैं ।

हमारे देश में बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वह पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आय-व्ययक में क्या क्या हो सकता है । इसके लिये जांच समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं । जहां तक माननीय मंत्री के आचरण का प्रश्न है, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है और न ही इस प्रकार की समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प भी प्रस्तुत हुआ है। मैं इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं क्योंकि यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है । माननीय मंत्री चाहें तो इस बात का पता लगा सकते हैं कि किस तरह लोग इस प्रकार से कैसे ठीक तरह के पूर्वानुमान लगा लेते हैं । मैं इसके लिये उन्हें बाध्य नहीं कर सकता ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गिरीडीह कोयला खान में अग्निकांड

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे :

"गिरीडीह कोयला खान के एक भाग में २ मार्च, १९५९ को एक अग्निकांड के फल-स्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु ।"

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री लो० ना० मिश्र)** : सरकार को बड़े दुःख के साथ इस सभा को सूचित करना पड़ रहा है कि बिहार के गिरीडीह सब डिवीजन की कुर्हुरबारी कोयला खान में २ मार्च, १९५९ को एक शोकपूर्ण घटना घट गई थी, जिसके परिणाम-स्वरूप चार व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा । वह कोयला खान 'नेशनल कोल डेवेलपमेंट कार-पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के अधीन है और एक बहुत ही योग्य प्रबन्धक उसका संचालन करता है । प्राप्त सूचना के अनुसार दुर्घटना का कारण था भूमि के नीचे की आग । इस कोयला खान में दो खाइयों पर काम चल रहा था——कोलीमारन और भालूडंगा । खनन-सरदार और एक बिजली फिटर ये दोनों रोज की तरह २ मार्च, १९५९ को भी सुबह साढ़े चार बजे भालूडंगा खाई के पम्पों का निरीक्षण करने गये थे । उन्होंने देखा कि खाई के अन्दर से हवा निकालने के लिये जो रास्ता बनाया गया था वह धुयें से भरा था, और उसमें सांस तक लेना मुश्किल था । बिजली चार्ज

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लो० ना० मिश्र]

मैन को जब खतरे का पता चला तो वह बिजली फिटर और उसके सहायक के साथ तुरन्त ही उस स्थान पर पहुंच गया । लेकिन वे तीनों उस विषैली हवा में डूब गये और उनकी वहीं मृत्यु हो गई । पम्प की देखभाल करने वाला कर्मचारी उनसे पहले इसी तरह मर चुका था । स्थानीय सहायक दल ने, और बाद में झरिया से आये हुये सहायता-दलों ने भी, स्थिति को संभालने की कोशिशें कीं ।

प्रादेशिक निरीक्षक यह सूचना मिलते ही खान पर पहुंच गया । बाद में, सहायक मुख्य निरीक्षक भी पहुंच गया । प्रादेशिक निरीक्षक, प्रबन्धक और अन्य अधिकारियों से बातचीत करने के बाद यह निर्णय किया गया कि दोनों खाइयों को बन्द कर दिया जाये । ३ मार्च, १९५९ को साढ़े छैः बजे खाइयां बन्द करने का काम शुरू कर दिया गया और दो बजे सुबह तक वे पूरी तौर से बन्द कर दी गईं । सावधानी रखने के ख्याल से, पास-पड़ोस की जाटकुटी और सरियाबाद खाइयों पर भी काम बन्द कर दिया गया । सहायक मुख्य खान निरीक्षक ने ६ मार्च, १९५९ को उनका फिर से करके देख लिया है कि बन्द खाइयों के अग्निकांड का इन दो पास की खाइयों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है । इसलिये अब वहां सामान्यतया काम जारी करने की अनुमति दे दी गई है ।

उन दो खाइयों के बन्द करने से, कोयला खान के कुल उत्पादन में करीब १५ प्रतिशत कमी आ गई है और लगभग ४५० व्यक्ति बेरोज़गार हो गये हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : दुर्घटना के ठीक कितने समय बाद सहायता-कार्य आरम्भ किया गया था ? क्या अग्निकांड के स्थान का ठीक-ठीक पता लगाये बिना ही खाइयों के बन्द करने का आदेश दे दिया गया था ?

†**श्री लो० ना० मिश्र** : स्थानीय सहायता-कार्य दुर्घटना के एक घंटे के अन्दर ही शुरू कर दिया गया था । इसका पता साढ़े तीन बजे सुबह लगा और सहायता-कार्य साढ़े चार बजे आरम्भ हो गया था । अग्निकांड की स्थिति का ठीक पता लगाने के बाद ही खाइयां बन्द की गई थीं ।

†**श्री वाजपेयी** : वह दुर्घटना २ मार्च को हुई थी और मैंने अपने प्रस्ताव की सूचना ५ मार्च को दी थी । सत्र चलने के काल में यदि ऐसी दुर्घटनायें हों, तो माननीय मंत्री को स्वयं ही सभा को सूचित करना चाहिये ।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : क्या यह पूरा विवरण है, या अभी जांच-पड़ताल चल रही है ?

†**श्री लो० ना० मिश्र** : अभी जांच-पड़ताल चल रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि रेलवे और विमान सेवा से सम्बन्धित बड़ी-बड़ी दुर्घटनाओं की सूचना स्वयं मंत्रियों को अपनी ओर से देनी चाहिये । यही बात खानों पर भी लागू होती है । सभा को उनकी सूचना दी जानी चाहिये, जिससे कि उसमें आगे की उचित कार्यवाही के सम्बन्ध में माननीय सदस्य विचार कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : इन दो महीनों में हज़ारीबाग़ में दो या तीन ऐसी दुर्घटनायें हुई हैं। इस सरकारी कोयला खान में इतनी दुर्घटनायें होने का क्या कारण है ?

†**श्री लो० ना० मिश्र** : हर दुर्घटना का अपना अलग कारण होता है। हम जांच कर रहे हैं और प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे जा रहे हैं।

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८–५९ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८–५९ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३ तक, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १ से ३ तक, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सामान्य आय-व्ययक----सामान्य चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा आय-व्ययक के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा जारी रखेगी। श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में १९५८ का वर्ष संकट का वर्ष था। हमारे देश में भीषण खाद्य-संकट था। साथ ही विदेशी मुद्रा का भी संकट था। दोनों ही संकट अब उतने विकराल रूप में नहीं रह गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी चं० शर्मा]

लेकिन अब जो संकट आ रहा है, वह इन सब से कहीं बड़ा है। वह संकट है हमारे और पाकिस्तान के बीच के सम्बन्धों का। सीमान्त दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में हमारे पाकिस्तान के साथ जितने भी करार हुए हैं, सभी रद्द हो गय हैं। फिर भी, इन संकटों के बावजूद, हमारी अर्थव्यवस्था का स्थायित्व बना रहा है और उसके ठोस आधार का श्रेय वित्त मंत्री को मिलना ही चाहिये।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

हमारा आय-व्ययक पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, उसकी जरूरतों के मुताबिक।

इसीलिये हमारे आय-व्ययक का मुख्य लक्ष्य उत्पादन में वृद्धि करना है और इस दिशा में हमने काफी कुछ कर लिया है। आज देश में बेरोजगारी बढ़ने से युवकों में नैराश्य घर कर रहा है, लेकिन सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिये उचित उपाय कर रही है।

वित्त मंत्री ने विनियोजनों के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त की है। व्यय कर, धन कर और अन्य करों के जरिये विनियोजन के अनुकूल वातावरण तैयार करने की कोशिश की गई है। मैं तो समझता हूं कि इस बार टायरों और डीजल तेल, इत्यादि पर जो कर लगाये गये हैं, वे देश की अर्थ-व्यवस्था के हित में ही हैं। हां, खांडसारी के कुटीर उद्योग पर कर नहीं लगना चाहिये था।

लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो जनता को इन योजनाओं के प्रति निराश बना रही हैं। भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य मंडल संघ यही काम कर रहा है। वह सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध बड़े वैज्ञानिक ढंग से शीत-युद्ध चला रहा है। फिर भी, हमारे मंत्रिगण उसे अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। निहित स्वार्थों के ऐसे संघों को संरक्षण देने से सरकारी क्षेत्र को हानि पहुंचती है।

इसी तरह की एक और संस्था है—स्वतंत्र व्यापार मंच। इसका संचालन करने वाले लोग न तो किसी की बात ही सुनने को तैयार हैं और न आगे की बात ही सोचने को तैयार हैं। वे सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि का अन्तर ही नहीं समझते। वे हमारी योजना को हानि पहुंचाते हैं।

इसके अलावा, देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो सभी स्तरों पर हमसे सहयोग नहीं करते। वित्त मंत्री को इन सभी चीजों की ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि वे योजना के प्रति जनता की निष्ठा को कम करने में सहायक बनती हैं।

योजना में संस्थागत परिवर्तनों का भी उल्लेख किया गया है। इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे प्रशासकीय ढांचे में है। हमारा असैनिक व्यय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उसके अधिक्षण के लिये कुछ उपाय किया जाना चाहिये। प्रशासकीय व्यय की जांच के लिये भी एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। हमारे प्रशासन में उच्चाधिकारियों की बहुलता है और उस पर बेशुमार खर्च होता है। इसे कम किया जाना चाहिये।

हमें कर-अपवंचना पूरी तौर से रोकने और करों की बकाया राशि की वसूली के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

कर-ढांचे और कर-वसूली की व्यवस्था में भी परिवर्तन करना चाहिये। युवक कल्याण के लिये एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिये। युवकों को रचनात्मक कार्यों में लगाया जाना

चाहिये। योजना को सफल बनाने के लिये जरूरी है कि इन सभी नकारात्मक तत्वों को दूर किया जाये।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : मैं, अन्य माननीय सदस्यों की भांति, वित्त मंत्री की प्रशंसा या बुराई नहीं करना चाहता। मुझे उन के साथ सहानुभूति है, इसलिये कि उन्हें जैसे भी हो इतनी सारी मदों के लिये रुपया जुटाना पड़ता है। इसी के लिये उन्होंने विदेशों से ऋण लेने और दान लेने की कोशिश की है।

असामाजिक कृत्य किसे कहते हैं? उसी कृत्य को असामाजिक कहा जाता है जिसे करने के दौरान में मूल उद्देश्य को भूल जाया जाये। इसीलिये जब कोई प्रशासक कुछ संदिग्ध साधनों से अपनी आय बढ़ाता है तो उसे चोरी माना जाता है। इसी तरह जब सरकार देश के हित को ध्यान में रखे बिना कर लगाती है या घाटे की अर्थव्यवस्था करती है तो वह कृत्य असामाजिक बन जाता है।

जब घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण जनता की गरीबी बढ़ने लगती है, तो मुद्रा-स्फीति हो जाती है। जनता की गरीबी बढ़ने का मतलब है कि उसे अपनी रोजाना की जरूरतों की चीजों के लिये अपनी वास्तविक आय के अनुपात से कहीं ज्यादा अदा करना पड़ता है।

बेरोजगारी बढ़ने और सामाजिक सुविधायें कम होने के जमाने में घाटे की अर्थ-व्यवस्था करना विडम्बना मात्र ही है। हमारी योजनाओं का तो कोई पार ही नहीं है और यह भी कोई नहीं जानता कि उनका लाभ कब होगा।

मुद्रा-स्फीति का कुप्रभाव तभी दूर किया जा सकता है जब कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो और उनका समन्यायपूर्ण वितरण भी हो। पूर्वी यूरोप में यह अनुभव किया जा चुका है कि सिर्फ बड़े उद्योगों पर ही जोर देने से अर्थ-व्यवस्था असंतुलित हो जाती है। रूस में भी यही असंतुलन है। हां, उन देशों में बेरोजगारी नहीं है, पर हमारे यहां बेरोजगारी भी है।

१९५७ के आरम्भ से ही, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन गिरता जा रहा है। मूल्यों की वृद्धि की बात तो वित्त मंत्री ने भी स्वीकार की है। लेकिन फिर भी वह मुद्रा-स्फीति को कम करने का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, उल्टे उसे पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मुद्रा-स्फीति के दुष्परिणाम तो १९५७ के आरम्भ में ही दिखने लगे थे। १९५७ में, वित्त मंत्री ने कहा था कि ९०० करोड़ रुपये के घाटे की अर्थ-व्यवस्था से कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब हमारे आय-व्ययक में कुल १,२०० करोड़ रुपये से भी अधिक घाटे की अर्थ-व्यवस्था है। यह कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं है।

हमारे अर्थ शास्त्री मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति को और बढ़ाते चले जा रहे हैं।

हमने गलती कहां और क्यों की है? हमारी योजना तो विशेषज्ञों ने तैयार की थी, फिर भी अर्थ-व्यवस्था में इतनी गड़बड़ी क्यों है? खाद्य-संकट बने रहने का दोष हम मौसम और बरसात और जनसंख्या की वृद्धि पर थोपते हैं। इसका कारण यह है कि हमारी योजनायें भारत सरकार के सांख्यकीय विभाग द्वारा जुटाये गये कल्पित आंकड़ों के आधार पर की गई गणना के आधार पर तैयार की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालानी]

देश के संसाधनों को देखते हुए, हमारी योजना आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी है।

तीनों इस्पात कारखानों में केवल कुप्रबन्ध के कारण ही १०० करोड़ रुपयों की हानि हुई है।

इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का मत है कि हमने न तो दूर-दर्शिता से काम लिया है और न हम उचित ढंग से योजना बनाकर ही चले हैं। ५६० करोड़ रुपयों की लागत की इस्पात परियोजनाओं का प्रशासन केवल दो-चार अधिकारियों को ही सौंप रखा है। देश के ठेकेदारों को छोड़कर, विदेशी धर्मों को ठेके दिये गये हैं। पहले रूरकेला के संस्थापन का स्थान ही गलत चुना गया था, और सिर्फ उसी के कारण हमें सवा दो करोड़ रुपयों की हानि हुई है। पता ही नहीं चलता कि उस गलत चुनाव का दायित्व किस पर था। इन परियोजनाओं के लिये जो समय-सीमा निर्धारित की गई थी, वह भी गलत रही।

इसीलिये प्राक्कलन समिति इसी नतीजे पर पहुंची है कि इन तीनों इस्पात कारखानों के कार्य-संचालन के सभी पहलुओं की गहरी छानबीन की जानी चाहिये। और यह भी कि भविष्य में बहुत अधिक लागत वाली नयी-नयी परियोजनाओं के बारे में हर वर्ष संसद को पूरी जानकारी जुटाई जानी चाहिये।

लोक निधियों के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में कई रिपोर्टें जनता के सामने आ चुकी हैं। भाखरा-नंगल परियोजना को देश का एक नया मंदिर कहा गया है। दुलत समिति ने उसके केवल एक सैक्शन की जांच की थी, सिर्फ ९ करोड़ की लागत के नहर विभाग की। उसमें ही ५० लाख रुपयों के अप-व्यय का पता चल गया था।

श्री सी० पी० चौधरी ने पंजाब में निष्क्रांत भूमियों के आवंटन की जांच की थी। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि आवंटन बिलकुल गलत शासकों के ढंग से किया गया था, कई अधिकारियों ने अपने मित्रों और सगे-सम्बन्धियों को जागीरें दे रखी थीं।

और ताज्जुब की बात तो यह है कि इन सभी गोलमालों का पर्दा फाश कांग्रेसी लोग ही करते हैं; यहां तक कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिगण तक।

तब फिर इसमें क्या आश्चर्य है कि सारे प्रशासन पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है।

जनता पर करारोपण करना तभी उचित है जबकि उससे देश की अर्थ-व्यवस्था और जन जीवन का कोई भला हो, उसको दशा सुधरे। १९४८-४९ में असैनिक प्रशासन पर साढ़े पैंतीस करोड़ रुपये खर्च किये जाते थे, लेकिन अब उस पर २२२ करोड़ खर्च किये जाते हैं। यह इसलिये कि कर्मचारियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कार्य-क्षमता उतनी नहीं बढ़ती। आज सचिवों की किस्में भी बेतरह बढ़ गई हैं। पता नहीं देश स्वाधीन होने के बाद सचिवों की इतनी किस्में कहां से पैदा हो गई हैं। इसी तरह बोर्डों और समितियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। साथ ही बोर्डों के सदस्यों, उनके अधीन कर्मचारियों और उनके लिये जरूरी बड़ी-बड़ी इमारतों की संख्या भी बेतरह बढ़ती जा रही है।

लेकिन मुसीबत तो यह है कि बोर्डों के सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ, बोर्ड का बकाया काम भी बढ़ता जा रहा है। राजस्व बोर्ड की सदस्य-संख्या ३ से ५ हो गई है, फिर भी आय-कर की

८३,००० अपीलें विचाराधीन पड़ी हैं। और, फिर सभी राज्यों में अनावश्यक विधान परिषदें मौजूद हैं।

सैनिक और असैनिक दोनों ही प्रकार का सरकारी व्यय दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। राजधानी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं। और, योजना के लिये जुटाये गये संसाधनों को भी योजना के उपयोग में नहीं लिया जाता। योजना आयोग ने स्वयं कहा है कि करों से जितनी भी राशि मिली है वह अन्य मदों में ही खप गई है, योजना के काम नहीं आई। करों से ५,०० करोड़ रुपयों की आय हुई, लेकिन उसमें से योजना की परियोजनाओं के लिये ४५ करोड़ रुपये ही मिल पाये।

क्या इस सारे व्यय के बाद भी योजना के लक्ष्य पूरे हुए? प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि ८० करोड़ एकड़ की सिंचाई और जुताई होगी, लेकिन वास्तव में इसका ५० प्रतिशत ही पूरा किया जा सका था।

यहां योजना पर जितनी राशि व्यय करने का लक्ष्य रखा था, वह अवश्य ही पूरा हो गया था। द्वितीय योजना का लक्ष्य था कि १ करोड़ ५५ लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जायगा, लेकिन तृतीय योजना की समाप्ति तक भी हम ६० लाख टन खाद्य-उत्पादन ही कर पायेंगे, जबकि खाद्य-उत्पादन के लिये रखी गई १७० करोड़ रुपये की राशि में से ९५ करोड़ रुपये अभी खर्च किये जा चुके हैं।

सिंचाई १ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि की होनी थी, लेकिन अभी तक कुल ३८ लाख १० हजार एकड़ की ही सिंचाई हुई है, जबकि ३७० करोड़ रुपयों में से २३३ करोड़ रुपये उस पर खर्च किये जा चुके हैं। इसी प्रकार तृतीय योजना की समाप्ति तक कुल ७ लाख ७० हजार किलोवाट अतिरिक्त बिजली जुट सकेगी, जब कि लक्ष्य था ३५ लाख किलोवाट का। देखिये २० लाख टन लोहा और इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य भी कहां तक पूरा हो पाता है।

इसी तरह, सरकारी क्षेत्र के कोयले के उत्पादन और नौवहन सम्बन्धी उत्पादन के लक्ष्य भी पूरे नहीं हुए हैं। सड़क विकास और पत्तनों की भी यही हालत है। हमने व्यय का लक्ष्य तो पूरा किया है, लेकिन योजना के भौतिक लक्ष्यों से बहुत दूर हैं।

वित्त मंत्री इस सब के लिये जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिये मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता। उनका काम तो सिर्फ धन जुटाना है। कराधान के प्रस्तावों की काफी आलोचना हो ही चुकी है। हां यह अवश्य बड़ी विचित्र सी चीज है कि कुटीर उद्योगों की सहायता और उनके संरक्षण का दम भरने वाली सरकार ने खांडसारी पर कर लगाया है।

हमें इन कराधान प्रस्तावों को अलग से नहीं, बल्कि गत बारह वर्षों के कराधान प्रस्तावों की पृष्ठभूमि में ही देखना चाहिये। जनता पर करों का बोझ इतना बढ़ गया है कि उनमें थोड़ी सी भी वृद्धि करने से उस की कमर टूट जायेगी। और वह न तो देश के हित में होगा, न सरकार के।

प्रतिरक्षा व्यय में नाम मात्र के लिये कुछ कमी की गई है। उसमें और अधिक कमी करने का सुझाव देना व्यर्थ होगा, क्योंकि देश में भय समाया हुआ है। अजीब सी बात है कि हमें पाकिस्तान जैसे छोटे से देश से भय लग रहा है। अमरीका की दोमुंही नीति के कारण ही यह भय बढ़ गया है। फिर भी मुझे आशा है कि, अमरीकी अधिकारियों के आश्वासनों के अनुसार, वे अमरीकी शस्त्र भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं किये जायेंगे।

[आचार्य कृपालानी]

दूसरी बड़ी विचित्र सी चीज यह है कि हमारे वैदेशिक विभाग ने, समाचारपत्रों की सूचना के अनुसार, कहा है कि "यदि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध करेगा", तो उस पाक-अमरीकी संधि का उपयोग नहीं होगा। पता नहीं हमारा वैदेशिक विभाग भाषा के प्रयोग में इतनी लापरवाही क्यों दिखाता है। हम पाकिस्तान से कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, हां हमें अपने देश की रक्षा करनी पड़ सकती है।

देश में एक और गलत चीज यह हो रही है कि महिलाओं और बालिकाओं को सेना में लाया जा रहा है। नारी का कर्त्तव्य और उसका गर्व जीवन की उत्पत्ति और संरक्षण में है। उन्हें जीवन के संहार का साधन नहीं बनाया जाना चाहिये, कम से कम गांधी जी के इस देश में तो नहीं। गांधी जी हमेशा यही कहते थे कि नारियों के लिये अहिंसा स्वाभाविक है। यह रोका जाना चाहिये।

हम अपनी योजना के लक्ष्यों को पूरा किये बिना देश की वर्तमान पीढ़ी के लोगों पर बोझ लादते जा रहे हैं। उस भविष्य के लिये त्याग करने को कहते जा रहे हैं जो वे कभी देख ही नहीं पायेंगे। यदि यह त्याग बहुत अधिक बढ़ जायेगा, तो वर्तमान पीढ़ी के लोग पस्त हिम्मत हो जायेंगे। वर्तमान पीढ़ी विद्रोह कर देगी। इसलिये हमें वर्तमान पीढ़ी की सहनशक्ति की सीमा का भी ध्यान रखना चाहिये।

सरकार तभी सारी जनता और सभी दलों का सहयोग प्राप्त कर सकती है जब कि जनता को उसके प्रशासन पर, नेतृत्व पर आस्था हो। गांधी जी ने भी सबसे पहले जनता की आस्था जगाने की ही चेष्टा की थी।

देश में अगर कोई संकट है, तो आस्था का संकट है। युवकों को भविष्य पर कोई विश्वास ही नहीं है। आज उसी को जगाने की आवश्यकता सबसे बड़ी है।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मेरे लिये यह आश्चर्य की बात है कि आचार्य कृपालानी यह कहते हैं कि हमें सैनिक क्षेत्र में महिलाओं को नहीं लाना चाहिये और रानी लक्ष्मी बाई तथा अन्य उदाहरण का उल्लेख नहीं करना चाहिये। मैं यह कभी मानने को तैयार नहीं कि देशभक्ति केवल पुरूषों का ही एकाधिकार है। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश की नारी ने देश की प्रतिरक्षा में बड़ा गौरवपूर्ण भाग लिया है। वास्तव में शक्ति का स्वरूप हमारे यहां नारी को ही माना गया है। और हम अपने आप को शक्ति के पुजारी कहते हैं। नारी हमारे समक्ष शक्ति, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में आती है। यह आश्चर्य की बात है कि देश की प्रतिरक्षा और निर्माण में बहिनें और भाई परस्पर सहयोग नहीं कर सकते।

अब मैं अपनी बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। हमें दो बातों का ध्यान रखना है। कई बातें ऐसी हैं जिसके लिये माननीय वित्त मंत्री स्वयं उत्तरदायी नहीं, परन्तु उन्हें यह बातें उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं। कई बहुत ऊंचे व्यय की जो चीजें हैं उसके लिये वह सीधे जिम्मेदार नहीं हैं। जब से वह पदारूढ़ हुए हैं उन्होंने काफी छान बीन करके अनावश्यक खर्चे को रोकने का यत्न किया है। उन्होंने सेवाओं का अनावश्यक विस्तार भी रोका और खर्चे की वृद्धि में भी कमी की है। उन्होंने अधिक उत्पादन और अधिक से अधिक बलिदान करने की बात कही है। इस से यह पता चलता है कि सरकार इस दिशा में आराम से बैठी हुई नहीं। आवश्यकता के समय हमें जो अमेरिका इत्यादि देशों से सहायता प्राप्त हो रही है उसके बारे में हमें किसी की नीयत पर सन्देह नहीं करना चाहिये। यदि देश की अर्थ व्यवस्था के निर्माण के लिये कोई हमें सहायता देता है तो कोई कारण नहीं कि हम उसे रद्द करें? इसमें किसी प्रकार की विचारधारा का प्रश्न नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूंजी बजट पर चालू वर्ष के लिये १०९२ करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था है। अन्तिम वर्ष में यह राशि कुछ कम ही होगी, क्योंकि इस समय हमें इस्पात संयंत्रों इत्यादि के लिये काफी रुपया चाहिये। व्यय कर के लिये पत्नि और नाबालिग बच्चों की सम्पत्ति एक साथ हिसाब में ली जायेगी। इसमें डरने की मुझे कोई बात नजर नहीं आती। खांडसारी चीनी पर कर के सम्बन्ध में निवेदन है कि कार्वे समिति ने कहा है कि इसके उत्पादन में काफी नुकसान होता है, इसके प्रोत्साहन से कोई लाभ नहीं होगा। चीनी पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। अब यह ८—४—० प्रति मन हो गया है। खांडसारी पर तो कर लगा ही नहीं परन्तु यदि कुछ नाम मात्र का शुल्क लगाया भी गया है तो उसकी शिकायत करना ठीक नहीं है। डीजल तेल अथवा मोटर टायरों के शुल्क के सम्बन्ध में भी कुछ शिकायतें हैं। अच्छा है, बड़े-बड़े टायरों को इसके अन्तर्गत लिया गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राज्य उपक्रमों के आय व्यय विवरणों में काफी सुधार की गुंजाइश है। अतः इस मामले की देख-भाल की जाये।

†श्री पुन्नूस (अम्बल पुजा) : मैं अपने आप को केवल कृषि सम्बन्धी मामलों तक ही सीमित रखूंगा। हमारे देश के ७० प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं और देश की ५० प्रतिशत आय इसी से होती है। अतः इस क्षेत्र की असफलता और सफलता पर बहुत कुछ आश्रित है, मेरा मत यह है कि इस दिशा में सरकार नितान्त असफल रही है। कहा गया था कि प्रथम योजना का लक्षय खाद्य के मामले में भारत को आत्मनिर्भर करने का था। कांग्रेस ने गत आम चुनावों में इसका काफी शोर किया कि हम खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो गये हैं। परन्तु स्थिति यह है कि १९५६—५८ में १८७ लाख टन अनाज बाहर से आया और उसके लिये हमें ३५० करोड़ का खर्च करना पड़ा। द्वितीय योजना में यह आयात १२० से १४० लाख टन होगा और इसके लिये हमें ५६० करोड़ रुपया खर्च करना होगा। यह है वह आत्मनिर्भता जो हमने प्राप्त की है। उत्पादन की दिशा में भी गति इसी प्रकार की धीमी ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारी कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था की गति एक प्रकार से रूक गयी है। खाद्य मंत्री यही बताने का प्रयत्न करने में समय नष्ट करते रहे हैं कि हमारा उत्पादन ४ प्रतिशत बढ़ा है, परन्तु इससे क्या होता है।

हमें इसका परीक्षण करना चाहिए कि हम सन्तोषजनक परिणाम क्यों नहीं निकाल सके। इस दिशा में सरकार द्वारा सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गयी। सिंचाई की व्यवस्था की गयी, कर्जे दिए गये, उर्वरक बांटे गये और बहुत कुछ किया गया परन्तु हुआ कुछ नहीं। इसका कारण स्पष्ट है कि कृष्कों और सरकार के सम्बन्धों में भारी संकट है। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए जिन-जिन सुविधाओं की आवश्यकता हैं वे उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही। बड़े पैमाने पर बेदखलियां की जा रही हैं। सुधार-कर देने के लिए लोगों को बाध्य किया जा रहा है। इन सब बातों से लोगों में असन्तोष फैलता है और प्रतिक्रिया के रूप में खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जाते हैं।

मैं केरल की बात आपको बताता हूं। वहां १५० लाख लोग हैं। उन्हें वर्ष में १५ लाख टन चावल चाहिए, और उत्पादन वहां होता है ८ लाख ८० हजार टन का बीज इत्यादि के लिए निकाल कर उपयोग के लिए ८ लाख ही बचता है। ७, ८ लाख टन की कमी को पूरा किया जाना है। अगस्त, १९५७ तक औसत १५००० टन मासिक भारत सरकार देती रही है। ६०,००० मन हम मद्रास तथा आंध्र के राज्यों तथा अन्य साधनों से प्राप्त कर लेते रहे हैं। किसी न किसी तरह हम अपनी कमी पूरी करते ही रहे हैं। अब दक्षिण क्षेत्र बन गया है। कहा गया था कि इससे नयी आशा का संचार होगा। यह भी कहा गया कि दक्षिण क्षेत्र का मुख्य कार्य कमी वाले

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पुन्नूस]

इलाकों की सहायता करना होगा। ९ लाख टन की बचत थी और उसमें खाद्यान्न खरीदा जा सकता था। परन्तु केरल की सरकार को चावल अथवा धान अधिकतम मूल्य से ऊपर आंध्र तथा मद्रास से खरीदने की मनाही कर दी गयी। अत: केरल सरकार दिसम्बर, १९५८ से फरवरी १९५९ तक कोई चावल न खरीद सकी। सरकार ने वह चावल ३१ रुपये मन की निर्धारित कीमत के स्थान पर ४० रुपये मन की कीमत पर लिया। ३४ रुपये मन वाले चावल के लिए ४१ देना पड़ा। केरल सरकार को इससे भी अधिक देना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि केरल में हालत खराब हो गयी और सस्ते अनाज की दूकानें टूट गयीं। लोगों को काफी परेशानी हुई। परन्तु यह बात समझ में नहीं आई कि केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा से चावल खरीद कर पश्चिमी बंगाल को देना स्वीकार किया। और वह भी सरकारों के बीच निर्धारित कीमत से भी कम पर। क्या हम पूछ सकते हैं कि यह भेद भाव क्यों? इसके अतिरिक्त १९५८-५९, में केन्द्रीय सरकार ३२ लाख टन चावल विभिन्न राज्यों को दिये। यदि भारत सरकार का कर्तव्य पश्चिमी बंगाल को रोटी देने का है तो केरल के प्रति भी उसका उतना ही कर्तव्य है, और जब कि वह खाद्य के मामले में कमी वाला इलाका है। केरल ने बाहर से चावल खरीदे तो उसे प्रति वर्ष ५ करोड़ रुपये का खर्च करना होगा। इसका परिणाम यह होगा कि विकास के कार्य रुक जायेंगे। पता नहीं मद्रास से केरल धान ले जाने पर क्यों रोक लगाई गयी है और यह हमारे मौलिक हितों पर कुठाराघात है।

†**श्री खीमजी** (कच्छ): मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यद्यपि हमारी योजनाएं अपूर्ण हैं; परन्तु फिर भी वे हमारे देश को नयी आर्थिक सीमाओं की दिशा में अग्रसर करने में सफल रही हैं। लोगों में अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने की इच्छा का निर्माण हो गया है। हम अपनी परम्पराओं के अनुसार अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और न्यायप्रियता को कायम रखना चाहते हैं।

[**श्री मोहम्मद इमाम** पीठासीन हुए]

एक ओर हम यह चाहते हैं कि सरकार सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले और साथ ही इस बात पर विरोध किया जाता है कि कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर न लगाया जाय। साधन बढ़ाये बिना उपरोक्त कार्य कैसे किया जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि यदि सरकार कुछ नहीं कर सकती तो उसे कुछ नहीं करना चाहिए।

आयोजित विकास अपनाने वाले देश में आय व्ययक प्रस्तुत करने का यह अर्थ नहीं होता कि सरकार का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत कर दिया जाय। इसका महत्वपूर्ण अंग देश की आयोजित विकास की अर्थ व्यवस्था को प्रोत्साहन देना भी होता है अत: सभी दिशाओं में आय व्ययक पर विचार करते हुए हमें इस मुख्य बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

आरंभ से ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफी रुकावट आती रही। हमने खर्चों में कमी की। परन्तु हमारी मुख्य समस्या यह है कि देश में इस प्रकार के साधन निर्माण हो कि यह निर्माण कार्यक्रम का क्रम न टूटे और यदि हम अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पायें तो कम से कम पुनरीक्षण लक्ष्य तो प्राप्त कर लें। लोगों की यह शिकायत सारहीन नहीं है कि जिस उद्देश्य के लिए करदाता पर कर का भारी बोझ डाला जात है, उसका समुचित ढंग से उपयोग कर उसे प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया जाता। हमें इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि गैर-सरकारी कार्यों पर व्यय को कम करने के बारे में पूर्ण सर्तकता से काम लिया जा रहा है। आज की आर्थिक अवस्था की मांग यही है कि साधन एकत्रित किये जाएं, चाहे

वे आन्तरिक हों अथवा बाह्य । मैं वित्त मंत्री से सहमत हूं कि कठिनाई का समय निकल गया है परन्तु हमें आर्थिक स्थिति का बड़ी गम्भीरता से अध्ययन करना है, और इस दिशा में सब से बड़ी बात यह है कि कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए अपना सब कुछ लगाया जाय ।

घाटे की अर्थ व्यवस्था के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि रुपये की कीमत कम नहीं होनी चाहिए । इससे काफी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । यह सन्तोष की बात है कि वित्त मंत्री इसके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं । हमें आशा करनी चाहिये घाटे की अर्थ व्यवस्था अपनी सीमाओं में ही रहेगी । लघु बचत से भी आशायें पूरी नहीं हुईं ; उसके लिए अपेक्षित आन्दोलन को तीव्र करना होगा । अप्रत्यक्ष कर भी लगाना ठीक ही है जिससे कि २३ करोड़ ३५ लाख रुपये की कुल राशि से २० करोड़ रुपये प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ।

प्रत्यक्ष करों में, कम्पनियों पर लगने वाले धनकर अथवा अधिक लाभांश कर के हटाये जाने का मैं स्वागत करता हूं । यह ठीक दिशा में पग है और इससे अपेक्षित वातावरण का निर्माण होगा, जिससे गैर-सरकारी क्षेत्र का विकास और विस्तार हो सकेगा । वित्त मंत्री ने प्रशासन व्यवस्था को भी ठीक करने और कमियों को दूर करने की बात कही है। समुचित दिशा में ठीक तौर पर पग उठाने का लाभ अवश्य होगा । व्यक्तिगत धन को बढ़ाये जाने तथा व्यय कर से कुछ छूटों को हटा लेने का भी मैं स्वागत करता हूं ।

समवायों के लाभांशों पर कराधान की प्रणाली के विभिन्न रूपों का परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए ताकि इस बात का पता चल सके कि अंशदारों पर क्या प्रभाव पड़ता है । ऐसा न हो कि छोटे-छोटे अंशदारों को दोहरा कर अदा करना पड़े । कुछ ऐसे भी कर हैं जिनके प्रभाव से कीमतों में वृद्धि होगी । डीजल तेल और मोटर टायरों के उत्पादन शुल्क के बढ़ाये जाने पर परिवहन खर्च पर बुरा प्रभाव पड़ेगा हालांकि सरकार की नीति सड़क परिवहन की गति को प्रोत्साहन देने की है ।

अन्त में मेरा कहना है कि रुकावटें तो आती ही रहेंगी परन्तु हमें विकास की गति के प्रति उपेक्षापूर्ण वृति नहीं अपनानी चाहिए । हमें लोगों में नये उत्साह का निर्माण करके आगे बढ़ना ही होगा ताकि हम देश की गरीबी को समाप्त कर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा कर सकें ।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : मैंने वित्त मंत्री के भाषण को बहुत ध्यान से पढ़ा है परन्तु उसमें देश के खेतिहरों के प्रति तनिक भी सहानुभूति नहीं व्यक्त की गई है । उन्होंने उत्पादन बढ़ाने का उल्लेख तो किया है परन्तु यह नहीं बताया कि ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। इसके विपरीत उन्होंने डीजल तेल पर आबकारी कर बढ़ाकर खेतिहरों पर कर का भार ही बढ़ाया है ।

मैंने हाल में पढ़ा है कि ब्रिटेन में सरकार कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को धन की सहायता दे रही है । परन्तु हमारे कृषि-प्रधान देश में कारखानों, खानों, उद्योगों, आदि पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । इतना ही नहीं वरन् सहकारी खेती का एक नया नारा लगाया जा रहा है । जो लोग खेती की तनिक भी जानकारी नहीं रखते वे इसकी बात कर रहे हैं । मेरे विचार से यह किसानों के विरुद्ध एक षड़यन्त्र है जिसका उद्देश्य उन्हें आगे न बढ़ने देना है । यदि किसान सहकारी खेती को अच्छा समझेंगे तो वे स्वयं उसकी मांग करेंगे । उसको उनके उपर थोपा नहीं जा सकता । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले को किसानों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पु० र० पटेल]

जहां तक अधिक उत्पादन और अच्छी खेती का संबंध है आवश्यकता इस बात की है कि खाद्यान्नों के मूल्य ऐसे हों जिनसे किसानों को अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिले। परन्तु इसके संबंध में बजट में कुछ भी उल्लेख नहीं है।

आज हम विभिन्न क्षेत्रों में नई-नई सफलताओं की बात करते हैं परन्तु खेद है कि जो वस्तु सबसे अधिक मूल्यवान है—प्रजातन्त्र—उसकी हत्या की जा रही है। प्रजातन्त्र के नाम से अनेक अप्रजातान्त्रिक कार्य किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए ग्राम और जिला समितियों को ले लीजिए। इनमें उन लोगों को स्थान दिया जा रहा है जो सामान्य निर्वाचन में हार चुके हैं और जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। यदि निम्न स्तर पर ही प्रजातन्त्र की यह स्थिति है तो प्रजातन्त्र कितने दिन जीवित रह सकेगा? यही नहीं, इनमें से अधिकांश लोग कांग्रेस के होते हैं। इस तरह से कांग्रेस की धाक जमाने का प्रयत्न किया जाता है। फिर भी हमारे प्रधान मंत्री सहयोग चाहते हैं। मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की नीति चलती रही तो देश में गृह-युद्ध हो जाएगा और खून की नदियां बह जायेंगी?

कुछ दिन पहले मैंने विकास बोर्डों के संबंध में सदन में यह प्रश्न किया था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो भी धन व्यय किया जाता है वह केवल कांग्रेस दल के माध्यम से ही किया जाता है और इस धन में से उप-सभापतियों और मंत्रियों को वेतन भत्ते आदि दिए जाते हैं जो अनिवार्यतः कांग्रेसी ही होते हैं? सरकार ने इसका यह उत्तर दिया कि उसे कोई जानकारी नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि विकास बोर्डों के अधिकांश पदाधिकारी कांग्रेस दल के ही होते हैं और उन के माध्यम से ही गांवों के विकास के लिए धन व्यय किया जाता है। लोगों को धन प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है। क्या यही प्रजातान्त्रिक ढंग है?

माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ कार्य राज्यों के माध्यम से करने होते हैं। यह ठीक है, परन्तु अनुच्छेद ३५५ में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य में संविधान के सिद्धांतो का पालन कराए। यदि हम यह कहते हैं कि हमारा संविधान प्रजातांत्रिक है तो इस सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ग्राम्य एवं जिले के स्तर के निकायों में प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों का पालन कराए और उनकी रक्षा करे।

अन्त में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। श्री ब्रजलाल वियाणी ने बम्बई की विधान सभा में यह मांग की है कि बम्बई राज्य को खण्डित कर के चार राज्य बनाए जाने चाहिये जिन में से एक विदर्भ भी हो। लोक-सभा में भी कुछ दिन पूर्व डा० अणे ने यह कहा था कि विदर्भ की जनता अपना पृथक राज्य चाहती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब गुजरात की जनता अप्रसन्न है, महाराष्ट्र की जनता अप्रसन्न है, विदर्भ की जनता अप्रसन्न है, और बम्बई की जनता भी प्रसन्न नहीं है तो बम्बई राज्य के पुनर्गठन पर विचार क्यों नहीं किया जाता? चंकि इस सब के लिये वित्त मंत्री जिम्मेदार हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह इस मामले पर विचार करें।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली): सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सन् १९५९-६० के सम्बन्ध में सदन के सामने प्रस्तुत किया है, वह भी पिछले सालों की तरह घाटे का बजट है। वैसे उस अर्थ व्यवस्था में जो कि विकास की ओर जाने वाली हो, घाटे का बजट पेश किये जाने पर हमारे जैसे लोगों को भी ऐतराज नहीं हो सकता। लेकिन उसी के साथ हम यह देखना चाहते हैं कि बजट के इस घाटे को किन उपायों से पूरा किया जाना है। बजट को पूरे तौर पर देखने

से पता चलता है कि इसमें विदेशी ऋण पर बहुत मुनहसिर किया गया है। इसी के साथ-साथ आखिर में २४५ करोड़ रुपये के करेंसी बिल जारी करके भी इस कमी को पूरा करने का विचार है।

जहां तक देशी या विदेशी ऋणों का सवाल है इनको देख कर मैं यह महसूस करता हूं कि अनाज आज सरकार देश को कर्जदार बनाती जा रही है। अगर इस सम्बन्ध में ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है।

जहां तक विदेशी कर्ज का सवाल है और जहां तक विदेशी पूंजी को देश में लाने का सवाल है हम यह महसूस करते हैं कि यदि इस दिशा में हम धीरे-धीरे बढ़ते गये तो कहीं हमको अपने देश को बन्धक के रूप में न देखना पड़े। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी का और उन के द्वारा उनकी सरकार को इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देश में कर्जदारी बढ़ती चली जा रही है और जो कैपीटल इन-वेस्टमेंट होता है उस से उस प्रकार का रिटर्न नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए। ऐसी दशा में मुल्क की कर्जदारी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है।

बजट प्रोपोजल्स को देखने से यह भी मालूम होता है कि डेफिसिट को टैक्सों के द्वारा पूरा करने का भी प्रयत्न किया गया है, जैसा कि पिछले सालों में भी किया जाता रहा है। और इस सिल-सिले में २३ करोड़ रुपये का ऐडीशनल टैक्स सारे देश पर लादा जाने वाला है। हमें इस सम्बन्ध में भी कोई विशेष ऐतराज नहीं है, क्योंकि अगर हमको अपनी विकास योजनाओं को चलाना है तो टैक्सों के द्वारा ही अपनी आमदनी को बढ़ाना होगा। लेकिन इसी के साथ-साथ हम इस बात को देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन का यह रिकमेंडेशन था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ८०० करोड़ रुपये से ज्यादा टैक्सेशन नहीं बढ़ाना चाहिए लेकिन करीब १०० करोड़ के और टैक्सेशन बढ़ा है। आज जो देश की आम जनता की हालत है और उस पर अभी तक जितना टैक्स लगाया जा चुका है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि उस पर और ज्यादा टैक्स लगाना उसका खून खींचना है। हमें इस सम्बन्ध में इस बात पर जबरदस्त ऐतराज है कि जो सरकार समाजवादी ढांचे की बात कहने वाली है, उसके वित्त मंत्री ने कम्पनियों पर से वेल्थ टैक्स को और अतिरिक्त लाभांश कर को खत्म कर दिया है। जहां एक ओर सरमाये दारों पर सीधा पड़ने वाला टैक्स हटाया गया है वहां खंडसारी के गृह उद्योग पर टैक्स बढ़ाया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर नहीं हैं लेकिन जो भी यहां उनका प्रतिनिधित्व करते हों उन के द्वारा मैं वित्त मंत्री जी के पास यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आज गृह उद्योग पर यह हमला.....

एक माननीय सदस्य : उप वित्त मंत्राणी जी बैठी हुई हैं।

श्री प्र० ना० सिंह : मैं उन से परिचित नहीं हूं। वैसे नाम सुना था और आज देखने का भी सौभाग्य मिला।

तो मैं मंत्राणी जी के द्वारा वित्त मंत्री जी के पास यह सन्देश पहुंचाना चाहता हूं कि जहां एक ओर सरमायेदारों पर टैक्स कम किया गया है वहां खंडसारी के गृह उद्योग पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही ५ लाख लोग लगे हुए हैं और बिहार, राजस्थान आदि दूसरे प्रदेशों में भी इस उद्योग में बहुत से लोग लगे हुए होंगे। इस उद्योग में सारा काम हाथ से होता है। जो किसान, छोटे व्यापारी और मजदूर लोग इस उद्योग में लगे थे २८ तारीख का दिन उन के लिए कहर का दिन था और उस दिन से उन्होंने अपने इस उद्योग में हड़ताल कर रखी है। करीब एक लाख लोग आज हड़ताल पर हैं सारे उत्तर प्रदेश में, और इसका असर देश के दूसरे हिस्सों पर भी अवश्य पड़ा होगा। मैं आप के द्वारा सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि आज भी देश में ऐसी स्थिति है

[श्री प्र० ना० सिंह]

कि इस खंड सारी इंडस्ट्री का शीरा काम में लाया जाता है । उत्तर प्रदेश में इसको काम में लाया जाता है । अगर इस इंडस्ट्री पर टैक्स बढ़ा कर यह हमला किया गया तो मैं समझता हूं कि यह किसी तरह से भी उचित नहीं होगा । एक तरफ सरमायेदारों पर टैक्स कम हो रहा है और दूसरी तरफ ऐसे गृह उद्योग पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है जिस में किसान, छोटे लोग और मजदूर काम में लगे हैं । ऐसी स्थिति में जो इस उद्योग पर बजट में टैक्स की व्यवस्था है वह खत्म होनी चाहिये । जो इनडाइरेक्ट टैक्सेशन की व्यवस्था है उसका भी खातमा होना चाहिये ।

पर सवाल यह पैदा होता है कि यदि पंचवर्षीय योजनाओं को चलाना है तो पैसा कहां से आयेगा । यह उचित सवाल है और कोई भी सरकार हो उस के सामने यह प्रश्न आयेगा कि अगर योजना चलानी है तो उस के लिए पैसा कहां से आयेगा । मैं कहना चाहता हूं कि यह पैसा जनता की बचत से आना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि इस समस्या को इस देश के अन्दर बहुत कुछ बचत द्वारा हल किया जाना चाहिए । लेकिन मैं देखता हूं कि बजट में जो आय बचत द्वारा दिखायी गयी है वह केवल ८५ करोड़ रुपये की है । इस का कारण यह है कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था इतनी खराब होती जा रही है और लोगों की जिन्दगी इतनी बेहाल होती जा रही है कि बचत की गुंजाइश कम होती जा रही है । दूसरे जो रुपया इस तरह बचत से आ रहा है उसका उपयोग योजना में ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है ।

इसी के साथ-साथ दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि योजनाओं के लिए धन लाने के लिए देश में आज इकानामिक ड्राइव चलाने की जरूरत है । हम देखते हैं कि योजनाओं के तहत बहुत फिजूल-खर्ची हो रही है और हम यह भी देखते हैं कि योजनाओं के सिलसिले में भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह प्रशासकीय स्तर पर ही नहीं वह उस से भी आगे बढ़ गया है । मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन उत्तर प्रदेश विधान सभा में एक मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप आये हैं, और इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सारी जनता और विधान सभा के विरोधी दल ने पबलिक एन्क्वायरी की मांग की है लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई जांच कमेटी नहीं बिठाई गई ।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इसकी रेलेवेंसी इस बजट से क्या है । यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक योजनाओं के तहत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह खत्म नहीं होगा और इस भ्रष्टाचार में जो बड़े-बड़े लोग शामिल हैं जब तक उनके खिलाफ पबलिक एन्क्वायरी नहीं होगी तब तक यह योजनाओं का क्रम ठीक तरह से नहीं चल सकता ।

इसके साथ ही साथ मैं आप के द्वारा यह बात भी कहना चाहता हूं कि हम को ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में भी हमारी इकानोमी टैक्सेशन के आधार पर चलेगी । हम नें इस सरकार की योजनाओं में देखा है और माननीय वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच में और सारे बजट में भी देखा है कि बेकारी के बहुत बड़े सवाल पर जितना ग़ौर किया जाना चाहिए, उतना ग़ौर नहीं किया गया है । मैं आप के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह योजना क्या है, जिस के चलते हुए हर साल बेकारी बढ़े । अभी तक हम को जो आंकड़े मिले हैं, उन के आधार पर हम इस बात को देखते हैं कि जहां १९५२ में बेकारी ३८.३ परसेंट थी, वहां १९५८ में वह ५३.४ परसेंट तक पहुंच चुकी है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी बेकारी और भी ज़ोरों से बढ़ने वाली है । मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी का बजट पूंजीवाद कल्याणकारी राज्य की आकांक्षाओं को भी पूरा नहीं करता है । उस में सामाजिक सुरक्षा की गुंजाइश नहीं है । पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य में जो व्यक्ति काम करना चाहता है, उसे काम करने की गुंजाइश होती है---उसे काम मिलने की गारण्टी होती है, बुढ़ापे की पेन्शन और अन-एम्पलायमेंट की पेन्शन की व्यवस्था होती है । लेकिन

आज जो काम चाहता है, उसे काम नहीं मिलता है और इस बजट में उस के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जहां तक समाजवादी समाज की रचना का प्रश्न है, उस का सवाल नहीं उठता है। जहां तक खाद्य नीति का सम्बन्ध है, माननीय वित्त मंत्री की सरकार की तरफ़ से और प्रधान मंत्री की तरफ़ से कहा गया था कि पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत हम खाद्य के मामले में १९५२ में सैल्फ़-सफ़िशेन्ट हो जायेंगे, लेकिन हमें इस बात का दुःख है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के खत्म होते-होते भी हम खाद्य के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हुए हैं और हम कहना चाहते हैं कि जब तक हम खाद्य के मामले में आत्म-निर्भर नहीं होते हैं, तब तक दूसरे क्षेत्रों में भी हमारा विकास का कार्य अवरुद्ध रहेगा।

इस बात की काफ़ी कोशिश की गई है कि आयात को कम कर के फ़ारेन एक्सचेंज की पोज़ीशन में बैलेंस मेनटेन किया जाय, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था इस ढंग की है कि उस में बहुत से उद्योगों में पैदावार कम हुई है। १९५८ की इकानोमिक सरवे रिपोर्ट में साफ़ तौर से कहा गया है कि १९५८ में काटन टैक्सटाइल को छोड़ कर कोई भी उद्योग नैशनल इनकम की वृद्धि में किसी भी तरह सहायक नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान को देखते हुए हम यह महसूस करते हैं कि अगले आने वाले साल भी हमारे देश के लिए मुसीबत के साल हैं और उन में इस देश के साधारण आदमी को---कामन मैन को---राहत नहीं मिलने वाली है और आज दाम जितने बढ़े हुए हैं और आसमान को छू रहे हैं, उन के कम होने के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। मैं वित्त मंत्री और उन की सरकार से कहूंगा कि आज सरकार पर इस बात की ज़िम्मेदारी है कि जो जीवन-निर्वाहन व्यय बढ़ रहा है, जो चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, उन में कमी की जाय और अगर उन में कोई कमी नहीं की जाती है और कोई रुकावट नहीं डाली जाती है, तो इन पंचवर्षीय योजनाओं का कोई मतलब नहीं होगा और हमारे देश के बहुत से लोगों की दृष्टि उन की तरफ़ से हट कर दूसरी तरफ़ जाने लगेगी। मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी खंडसारी उद्योग पर लगाए गए टैक्स पर गम्भीरता से गौर करेंगे और इस के साथ ही ऋण की व्यवस्था में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उस के रिटर्न्ज के प्रश्न पर भी विचार करेंगे।

आखिर में मैं यह मांग करना चाहता हूं कि इस देश में जो बड़ी-बड़ी योजनायें चल रही हैं, उन में जो बरबादी हुई है, उन सब की एक साथ एन्क्वायरी करने के लिये एक हाई पावर कमीशन बिठाया जाय, जो यह देखे कि कितना प्रोपोज़ल था और उस के बाद कितना ज्यादा खर्च हुआ और कहां-कहां, किस लेवल पर करप्शन हुआ, ताकि इस देश में जो बड़े-बड़े उद्योग-धंधे चल रहे हैं, उन के सम्बन्ध में ठीक तरीके से रिपोर्ट इस सदन के सामने पेश हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इन बजट प्रोपोज़ल्स का और खास कर खंडसारी पर टैक्स के प्रोपोज़ल का सख्त विरोध करता हूं।

†**श्रीमती मंजुला देवी** (ग्वाल पाड़ा): मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार का बजट उपस्थापित करने में वित्त मंत्री ने गत वर्ष की अपेक्षा अधिक वास्तविकता का दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने आदर्श और व्यवहार में समन्वय का प्रयत्न किया है।

यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि दूसरी पंच वर्षीय योजना के औद्योगिक क्षेत्र के लक्ष्य पूर्ण हो गए हैं। बजट में उद्योगों को प्रोत्साहन देने की प्रवृति दृष्टिगोचर होती है।

सम्पति कर और अतिरिक्त लाभांश कर की समाप्ति का स्वागत किया जाना चाहिए। नई प्रक्रिया के अनुसार लाभांशों की घोषणा आय कर और अधिकर काटने के पश्चात् की जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती मंजुला देवी]

परन्तु इन लाभांशों पर अंशधारियों पर फिर कर लगेगा और इस प्रकार दोहरा कराधान हो जाएगा। माननीय मंत्री को इस पहलू के संबंध में विचार करना चाहिए।

जब तक औद्योगीकरण किसी परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंच जाता गैर-सरकारी और सरकारी दोनों उद्योग क्षेत्रों का साथ-साथ विकास होना चाहिए। इसलिए हमें दोनों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

जहां तक अप्रत्यक्ष कराधान का संबंध है, मेरे विचार से डीजल तेल पर कर समाप्त किया जाना चाहिए। डीजल तेल का प्रयोग खेती में किया जाता है। इसलिए यह कर उत्पादन वृद्धि में बाधक होगा। ट्रैक्टरों, ट्रेलरों और बसों के टायरों को भी कर से छूट मिलनी चाहिए क्योंकि इनका असर जनसाधारण पर पड़ता है।

तीसरी योजना में कृषि विकास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इसके लिए विभिन्न संगठनों द्वारा प्रचार किया जाना चाहिए। जहां तक सहकारिता समितियों का संबंध है उनका कार्य जनशक्ति और औजारों का संचयन करना मात्र होना चाहिए। खाते की भूमियों की चकबन्दी और भूमि का समेकन ऐच्छिक होना चाहिए। इनके संबंध में बल प्रयोग से मानसिक विद्रोह की संभावना रहेगी।

आसाम में सहयोगी खेती की प्रणाली प्रचलित है जिस में भूमि के अधिकारों का हरण नहीं होता सब लोग अपने औजारों को मिला कर एक साथ काम करते हैं और जिस दिन जहां काम करते हैं वही सदस्य उन्हें भोजन कराता है। इस प्रकार सहयोग की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। सहकारिता के संबंध में हमारा दृष्टि कोण भी इसी प्रकार का होना चाहिये। हमें उत्पादन के पहलू पर अधिक बल देना चाहिए, वितरण के पहलू पर नहीं। मैं सामाजिक और आर्थिक क्रांति की विरोधी नहीं हूं परन्तु इस संबंध में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना ही ठीक है।

जहां तक भूमि की अधिकतम सीमा का संबंध है, मैं उसकी आवश्यकता स्वीकार करती हूं परन्तु यह सीमा ऐसी हो जो आधुनिक यंत्रीकृत कृषि के लिए उपयुक्त हो।

जब हम भारत के विकास के संबंध में विचार करते हैं तो प्रत्येक कदम पर विदेशी मुद्रा की कठिनाई का समाना होता है। इसके संबंध में विभिन्न पहलुओं पर सोच विचार करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि यदि नौवहन में कुछ विनियोजन किया जाये तो हम शीघ्र ही विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकेंगे।

इस समय स्थिति यह है कि भारतीय व्यापार में लदान के संबंध में ५० प्रतिशत अंश विदेशी नौवहन का रहता है। यदि यह राष्ट्रीय नौवहन को सौंप दिया जाये तो हम सहज ही आवश्यक विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र में राष्ट्रीय व्यापार का ५० प्रतिशत राष्ट्रीय नौवहन के लिए सुरक्षित रहता है। यदि हमारे राष्ट्रीय नौवहन के लिए भी इस प्रकार के रक्षण कर दिए जायें तो मुझे विश्वास है कि वर्तमान विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां कम हो जायेंगी।

जो विदेशी जहाज माल लेकर भारत आते हैं वे लौटते समय कम भाड़े पर माल ले जाते हैं। इससे व्यापारियों को तो लाभ होता है परन्तु देश को नहीं क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा का भुगतान करना होता है। यदि यही माल अपने देश के जहाजों से भेजा जाता तो उतनी विदेशी मुद्रा बच

जाती । इसलिये भारत में आने और भारत से जाने वाले माल का ५० प्रतिशत भारतीय नौपरिवहन के लिये सुरक्षित किया जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम को चाहिये कि वह विदेशों से माल की खरीद नौ० प० नि० (नौतल पर्यन्त निःशुल्क) के आधार पर और विक्रय लागत-बीमा भाड़ा के आधार पर करे इससे भी बहुत व्यय बच जायेगा ।

चूंकि योजना के लिये विदेशी मुद्रा अत्यन्त आवश्यक है इसलिये विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को कम करने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय नौवहन को सम्मिलित किया जाना चाहिये यदि नौवहन से होने वाली दस करोड़ रुपये की आय का विनियोजन इसी में कर दिया जाये तो हम अधिकाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकेंगे ।

जहां तक समाज कल्याण का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि समस्त कार्य का समन्वय एक विभाग के अन्तर्गत होना चाहिये । निम्न प्राथमिक स्तर तक अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिये । जब तक यह नहीं होगा भारतीय जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा नहीं किया जा सकेगा ।

जहां तक प्रतिरक्षा का सम्बन्ध है यह खुशी की बात है कि उसके व्यय में कमी हुई है। इससे भारत की सद्इच्छा का पता चलता है। पाकिस्तान को भारत से किसी प्रकार का भय नहीं मानना चाहिये। पता नहीं अमेरिका ने पाकिस्तान से समझौता क्यों किया है ? इस प्रकार के समझौते विश्व की सुरक्षा के लिये हानिकर हैं अमेरिका को इस सम्बन्ध में समझदारी से काम लेना चाहिये।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : सभापति महोदय, मैं अपना भाषण वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण के अन्तिम भाग से शुरू करता हूं । उन्होंने उसमें अपनी यह आशा और अपना यह विश्वास प्रकट किया है कि बावजूद थोड़ी बहुत कठिनाइयों के और बावजूद थोड़ी बहुत मुसीबतों के हमारी अर्थव्यवस्था ठोस है और जो कठिनाइयां हमारे सामने हैं, उन सब कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए हमें आगे बढ़ना है । उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा है कि हिन्दुस्तान की जनता को कठिन त्याग और परिश्रम करने के लिये तैयार रहना चाहिये । मैं समझता हूं की उन की इस भावना के साथ हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता और इस सदन के थोड़े से माननीय सदस्यों को छोड़ कर सभी माननीय सदस्य, अधिकांश माननीय सदस्य सहमत हैं और जो आशावादिता वित्त मंत्री महोदय की है वही उन की भी है । जब सरकार ने एक महान योजना को कार्यान्वित करने की बात उठायी थी और उस योजना को इस सदन ने स्वीकृति दी थी, उसी समय हमने करीब-करीब निश्चय कर लिया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये जिस प्रकार के वित्त की आवश्यकता होगी उस वित्त को हमें अपने ऊपर कठिनाइयां उठा करके मुहैया करना होगा, सभी साधन मुहैया करने होंगे, यही करण है कि हर साल एक के बाद दूसरे वित्त मंत्री जब इस सदन में नये-नये कर प्रस्तावों को लेकर उपस्थित होते हैं तो उन कर-प्रस्तावों को विरोध करने का साहस कहिये, हम में नहीं होता है ।

बहुत से माननीय सदस्य जिन्होंने भाषण दिये हैं उन्होंने टैक्सों का पूरा-पूरा विरोध किया है, फिर चाहे वे डायरेक्ट टैक्सिस हों और चाहे इंडायरेक्ट टैक्सिस हों । लेकिन मैं बहुत सोचने के बाद, बावजूद इस बात के कि हम जिस जनता के प्रतिनिधि हैं, उसकी हालत को भी जानते हैं, उसकी कठिनाइयों से भी वाकिफ हैं, उसकी दशा में आज तक कितना सुधार हुआ है, यह भी हम जानते हैं, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भविष्य की आशा में, इस आशा में कि आगे आने वाली हमारी जो सन्तान है वह सुखी होगी हमें उसका समर्थन करना चाहिये । इस चीज को देखते हुए कि करोड़ों की संख्या में लोग झोंपड़ियों में रहते हैं तथा उनके उपभोग की जो चीजें हैं उनके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं,

[श्री श्री नारायण दास]

हम इन सभी टैक्सों का समर्थन करते हैं। लेकिन जब हम उन के बीच में जाते हैं, तो भी बावजूद इस बात के कि हमारे विरोधी पक्ष के लोग एक राजनीतिक समस्या खड़ी कर देते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस सरकार हर तरह के टैक्सों का बोझ उन पर बढ़ा रही है, फिर भी उसी जनता के प्रतिनिधियों के रूप में हम उन्हें बतलाते हैं, कि अगर अभी की जो पीढ़ी हैं और जो इस देश में रहती हैं, इस योजना को सफल बनाने में मदद देती है, यह जो योजना का यज्ञ है इसको सफलतापूर्वक सम्पन्न करती है, इसमें अपनी कठिनाइयों की परवाह किये बिना आगे बढ़ती है और करों के रूप में सरकार की सहायता करती है तो आने वाली हमारी जो संतानें हैं वे सुखी होंगी, सन्तुष्ट होंगी और जब कभी भी इतिहास लिखा जायेगा तो लोग कहेंगे कि कांग्रेस को जो अधिकार मिला स्वराज्य के बाद तो उसने लोक डर से या लोगों के उससे खिलाफ हो जाने के डर से काम को नहीं छोड़ा बल्कि उसी काम को किया जिस से भविष्य में उन्नति हो सकती है, जिससे देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसलिये बावजूद इस बात के कि टैक्स लगाने से हमारी लोकप्रियतना घटती है, फिर भी हम टैक्सों का समर्थन करते हैं।

सभापति महोदय इसके बारे में विस्तार से न कह कर, चूंकि समय कम है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि टैक्स लगाने से हमारा विरोध नहीं है लेकिन टैक्स लगाने के साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिये कि समाज के जितने भी वर्ग हैं और जितने भी उन वर्गों के लोग हैं, वे सब बराबर उस त्याग में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते हैं। पिछले एक दो सालों में हमारे देश की कर प्रणाली में एक बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया गया है जिस का हम लोगों ने स्वागत किया है और यह आशा प्रकट की गई थी कि करों से अधिक से अधिक रुपया पा कर जहां हम विकास के काम को आगे बढ़ायेंगे वहां हमारे देश में जो आर्थिक विषमता है, उसको भी हम कम करेंगे। यह बात सही है कि हमने इन्कमटैक्स तो पहले से लगाया हुआ था, उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स लगाया, वैल्थ टैक्स लगाया, गिफ्ट टैक्स लगाया, एक्सपेंडिचर टैक्स लगाया और इतने टैक्स लगाने के बावजूद भी देश में जो आर्थिक विषमता है वह विषमता घटी नहीं है। कहने के लिये तो हम ने कह दिया कि ये बहुत रेडिकल मैशर्स हैं और इस से देश के अन्दर जो आर्थिक विषमता है वह मिटेगी लेकिन जो पैसा टैक्सों से हमें आ रहा है वह उतना नहीं आ रहा है जितना आने कीहम आशा करते थे। इन टैक्सों से काफी आमदनी हमारी नहीं हुई है। इतना ही नहीं हम देखते हैं कि जो धनिक लोग हैं वे तो और धनी हो रहें हैं और जो गरीब थे वे गरीब होते चले जा रहे हैं।

श्री बालमीकि (बुलन्दशर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : और गरीब हो रहे हैं।

श्री श्रीनारायण दास : इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही काफी नहीं है उस शासन में जो कि प्रजा तांन्त्रिक शासन है —और चाहे वह कानून का शासन हो, न्याय का शासन हो—या कोई और हो—कि हम कहें कि हम अपना काम अच्छा करते हैं लेकिन देखने वाली बात यह है कि लोग यह महसूस करें और लोग यह समझ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई टैक्स लगाते हैं और बाद में उसमें वृद्धि करते हैं, वैल्थ टैक्स में वृद्धि करते हैं या इनकम-टैक्स में वृद्धि करते हैं तो यह हल्ला होता है कि इन टैक्सों में सैचुरेशन प्वाइंट पहुंच गया है, इसके और टैक्स को बढ़ाया गया तो खराबी पैदा होगी लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैक्सों से जो आमदनी हो रही है वह कम ही होती है और साथ ही साथ देश में जो विषमता है वह दूर नहीं हो रही है। आप योजना के लिये साधन जुटाने के लिय आप चाहे डायरेक्ट टैक्स लगायें या इनडायरेक्ट टैक्स लगायें, हम उसका समर्थन करने के लिय तैयार हैं और चूंकि

मेरे पास समय नहीं है इसलिये मैं यह नहीं बता सकता हूं कि कौन सा टैक्स लगना चाहिये, कौन सा नहीं लगना चाहिये या कौनसा कम करना चाहिये, कौनसा अधिक लगना चाहिये और यह बात कहने का हमको तब मौका मिलेगा जबकि वित्त विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत होगा । इसलिये इस समय मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कर लगाने में हमारे दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, एक तो हमें प्लान के लिये रुपया मिले और दूसरे जो देश में आर्थिक विषमता है वह कम हो । दोनों की पूर्ति होनी चाहिये । हमारा देश प्रजातंत्री देश है और हमारे देश में अधिकतर लोग गरीब हैं । लेकिन मैं मानता हूं कि जब तक गरीब से गरीब आदमी से पैसा नहीं लिया जायेगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है । अगर आप गरीब से गरीब आदमी को अधिक से अधिक त्याग करने के लिये कहते हैं, कष्ट उठाने के लिये कहते हैं तो आपका यह देखना भी कर्त्तव्य हो जाता है कि उसको इसके लिये इसेंटिव मिले । लेकिन जब गरीब आदमी देखता है कि मैं गरीब का गरीब हूं और मैं इसलिए त्याग कर रहा हूं कि आने वाली संतान को लाभ पहुंचे, तो उसके मन में यह विश्वास तो कम से कम होना ही चाहिये कि सरकार जो टैक्स वसूल करती है उसका सदुपयोग होता है और साथ ही साथ जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, उसके ऊपर भी जिस तरह से टैक्स लगाया जाता है वह भी अच्छी तरह से वसूल किया जाता है और उतना ही आपको मिलता है जितना मिलना चाहिये । आपने वैल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स इत्यादि लगाये लेकिन उन सब का जो नतीजा है, जो प्रतिफल है वह कुछ उत्साहवर्द्धक नहीं है ।

यहां पर बहुत से माननीय सदस्य और ज्यादातर अखबार भी जिन लोगों के हाथ में हैं वे कालडोर साहब को कोसा करते हैं कि कालडोर ने अपने सिद्धान्त की बात तो हिन्दुस्तान में चला दी और उससे फायदा कुछ नहीं हो रहा है और देश में कैपिटल फार्मेशन नहीं होता है या यह चीज़ नहीं होती है और वह चीज नहीं होती है । मैं वित्त मंत्री महोदय को आगाह करना चाहता हूं कि जहां पर उन्होंने २३ करोड़ रुपये के नये टैक्स लगाये हैं, उन में से १८–२० करोड़ के बारे में आप यह समझिये कि एक्साइज़ ड्यूटी का है । उसका भार गरीबों पर पड़ने वाला है । मैं इसका विरोध नहीं करता हूं । लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आपने डायरेक्ट टैक्सिस को ईफैक्टिव बनाने का आश्वासन तो दिया है लेकिन इस तरह के आश्वासन हर साल मिलते हैं लेकिन इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट, वैल्थ टैक्स का डिपार्टमेंट, गिफ्ट टैक्स का डिपार्टमेंट, उन सबका काम ईफैक्टिव नहीं हो रहा है, यह निस्सन्देह कहा जा सकता है । यह बात सही है कि एक कमेटी जांच पड़ताल कर रही है लेकिन कमेटी द्वारा जांच का नतीजा यही होने वाला है कि वह सिफारिशें तो करेगी लेकिन उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये अगर सरकारी कर्मचारी तैयार न हों तो कोई नतीजा नहीं निकल सकता है, यह टैक्स ऐसे का ऐसा ही रह जायगा ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज तो हमारे देशमें इनकम टैक्स का रेट है वह कुछ कम नहीं है । धनिक वर्गों पर जो टैक्स का रेट है वह सौ के पीछे ७५ या ८० या ८५ रुपये है । लेकिन इतना होने पर भी यह सोचने वाली बात है कि धनिक वर्ग के पास कैसे धन बढ़ रहा है, कहां से उसके पास इतना धन आ रहा है । इस बात की जांच करना सरकार का काम है और जांच के बाद अगर इनकम टैक्स रेट को घटाने की आवश्यकता हो तो उसको घटाया जा सकता है । कालडोर साहब ने अपनी स्कीम में कहा था कि इनकम-टैक्स का जो रेट है वह ४५ परसेंट घटा करके कर दिया जाना चाहिये । मैं ने एक आर्टिकिल पढ़ा था कि कैल्डोर साहब जब आये थे तो उन्होंने कहा कि मैं ने जो कहा था वैसा हो गया होता, गिफ्ट टैक्स, एक्स्पेंडिचर टैक्स, वैल्थ टैक्स, इन सब के वैसे ऐक्ट्स बन गये होते और उन से जितनी आमदनी मैं समझता था उतनी हो गई होती तो जरूर इनकम टैक्स ४५ प्रतिशत हो जाना चाहिये था । लेकिन वैल्थ टैक्स से आमदनी हो चाहे न हो, गिफ्ट टैक्स और वैल्थ टैक्स के जो प्राविजन्स हैं वह डाइल्यूट होते होते कहां पहुंच गये हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है, उस के बाद यह कहना कि इनकम टैक्स ४५ प्रतिशत हो जाना चाहिये, यह ठीक नहीं है । आज देश की जो हालत है

[श्री श्रीनारायण दास]

उस में दोनों काम साथ साथ चलने चाहियें । टैक्सों द्वारा प्लैन के लिये रुपया मिले और जनता को सोशल जस्टिस भी मिलनी चाहिये ।

मैं एक बात कहना चाहता हूं । मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता । हम सभी लोग अखबार पढ़ते हैं लेकिन आज अखबार किन के हाथ में हैं । इन अखबारों में जो विचार प्रकट होते हैं वे किन के विचार हैं ? जितने हम लोग यहां पर हैं आज वे करोड़ों जनता की ओर से बोलने वाले नहीं हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा बोलना आज एफेक्टिव नहीं होता । मैं उन का प्रतिनिधि होते हुए भी कहता हूं कि उन को टैक्स देना पड़ेगा । लेकिन यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे देश में प्रयत्न हो रहे हैं, योजनायें बन रही हैं उसी तरह से देश में जो आर्थिक विषमता है वह दूर होनी चाहिये । हमारे देश में विकास का काम जोरों से चल रहा है और बहुत बड़ी पूंजी हम अपने विकास के काम के लिये लगा रहे हैं लेकिन जितने काम हुए हैं उन को देखने से मालूम होता है कि जितनी पूंजी हमने लगाई है उसका कुछ न कुछ प्रतिफल तो मिलने लगा है लेकिन हालांकि एकानमिक सर्वे में सरकार यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट कर चुकी है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इतना इंवेस्टमेंट हुआ और उसका लाभ इतना हो रहा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ और उसका प्रतिफल यह है, फिर भी सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में, उसका जो प्रतिफल है वह साधारण जनता के हिस्से में उतना नहीं आया जितना कि आना चाहिये था । इसका लाभ अधिकतर कुछ थोड़ से लोगों के हाथ में गया । तब देश की जनता को जोश होगा, उत्साह होगा कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ने का, यह कैसे हो सकता है ?

सब से पहले हमारे देश में दो चीजों से क्राइसिस पैदा हुई, एक तो अन्न का अभाव और दूसरी विदेशी मुद्रा का अभाव । विदेशी मुद्रा का जो अभाव दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये है वह तो तो बाहरी सहायता से पूरा होने वाला है, लेकिन अन्न का जो अभाव है उसे हम बाहरी सहायता से कब तक पूरा करते रहेंगे ? इसलिये इस विषय में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं । अभी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में खेती की तरक्की के लिये जो भी काम हुआ है वह एफक्टिव साबित नहीं हुआ । रुपया तो खर्च हो गया लेकिन उस का पूरा प्रतिफल नहीं मिला । बावजूद इस बात के कि रूरल क्रडिट एन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक सरकार न कोआपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिये बहुत कम काम किया है, मैं इस का समर्थन करता हूं और सरकार को बधाई देता हूं लेकिन देश में खेती की प्रगति के लिये जितने फाइनेंस की जरूरत है उस की दिशा में बहुत थोड़ी तरक्की हुई है । यहां पर रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और सरकार तीनों ही जितना रुपया देते हैं वह बहुत कम है । देश में खेती की प्रगति के लिये जितने वित्त की जरूरत है वह करीब ७०० करोड़ रु० के हैं लेकिन ७०० करोड़ रु० की बात को तो एक तरफ छोड़ दीजिये, एक या सवा सौ करोड़ से ज्यादा उन की सहायता होने वाली नहीं है । इसलिये मैं जोर देना चाहता हूं कि आप जो भी काम करते हैं सिंचाई आदि का वह तो करें, लेकिन देहात के लोगों के लिये वक्त पर कम सूद पर खेती के लिये रुपया मिले । अभी तक हम इस की योजना पूरी सफलता के साथ नहीं कर रहे हैं । स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक दोनों इस दिशा में कुछ कदम उठा रहे हैं लेकिन वह कदम बहुत इनएफेक्टिव कदम हैं । इसलिये स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक दोनों को इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि जल्दी से जल्दी खेती के लिये जितने रुपये की जरूरत हो हमारे देश में उसे की पूर्ति के लिये कदम उठायें । सरकार, रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक तीनों ही जोरदार कोशिश करें ताकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर अगर ७०० करोड़ रु० नहीं तो कम से कम ४०० करोड़ रु० का प्रबन्ध तो हो जाय । इस से उत्पादन भी बढ़ेगा और खर्च भी कम होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना यह विचार प्रकट करता हूं कि यदि लगने वाले टैक्सों से हमें मुक्ति मिले तो मैं उसका समर्थन करूंगा, लेकिन **आन दि होल** योजना को पूरा करने के लिये सरकार ने जो टैक्स लगाया है मैं उन का समर्थन करता हूं। इस के साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रयत्न करना चाहिये कि वेल्थ टैक्स, एक्स्पेंडिचर टैक्स, गिफ्ट टैक्स आदि जितने भी टैक्स हैं, उन से ज्यादा से ज्यादा रकम वसूल करनी चाहिये और अगर इस के लिये उन के रेट को बढ़ाने की भी जरूरत हो तो उस को भी बढ़ाया जाय ।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : बजट के आंकड़े देखने से मालूम होता है कि राजस्व में ८१.६७ करोड़ रुपए का घाटा है। इसमें से २३.३५ करोड़ रुपए का घाटा नए कर प्रस्तावों से पूरा हो जाएगा ।

हमसे अधिक उत्पादन करने और अधिक बचत करने के लिये कहा गया है । मंत्रीगण सदा जनता से बचत करके सरकारी प्रत्याभूतियों में विनियोजन करने की अपील करते रहते हैं। उन्हें सरकारी व्यय में कमी करने का प्रयत्न करना चाहिये । सरकार कहती तो रहती है कि हम बचत कर रहे हैं परन्तु वास्तव में तथ्य यह है कि इसके लिये कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया गया है। सरकार के व्यय के विभिन्न मदों को देखने से यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जाएगी।

जहां तक प्रतिरक्षा का सम्बन्ध है, बजट में यह बताया गया है इस वर्ष की अपेक्षा आगामी वर्ष के व्यय में २४.१९ करोड़ रुपए की कमी होगी। बजट में विभिन्न प्रकार के युद्धोपकरणों की खरीद के आंकड़े दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि इन उपकरणों की खरीद के बजाय यदि हम इस धन को विश्व में शांति के प्रश्न में जनमत तैयार करने में व्यय करें तो अधिक अच्छा होगा। हमारे प्रधान मंत्री और उपराष्ट्रपति का व्यक्तित्व इस योग्य है कि वे इस कार्य को भली प्रकार कर सकते हैं। उन्हें संसार के विभिन्न देशों की यात्रा करनी चाहिये। इससे एक लाभ यह भी होगा अभी हमारे देश के संबंध में दूसरे देशों में जो गलतफहमियां फैली हुई हैं वे भी दूर हो जायेंगी।

असैनिक व्यय के संबंध में आगामी वर्ष में ७५.३२ करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है जिसमें से २.५ करोड़ रुपये की वृद्धि प्रशासकीय सेवाओं पर, २३ करोड़ रुपये की वृद्धि विकास और समाज सेवाओं पर, १७ करोड़ रुपये की वृद्धि सामुदायिक परियोजनाओं पर और ५.५० करोड़ रुपये की वृद्धि अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर होगी। सामुदायिक परियोजनाओं पर जितना व्यय हो रहा है उसकी अपेक्षा में कार्य बहुत कम हुआ है। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के बावजूद अभी केवल २० प्रतिशत कृषि योग्य भूमि को पानी मिल सका है और ८० प्रतिशत मानसून पर ही निर्भर है। इसलिये मेरे विचार से हमें छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये ताकि अधिकाधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सके।

जहां तक राज्य उपक्रमों का संबंध है उनमें नौकरशाही की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिये अन्यथा राष्ट्रीयकरण का आदर्श नष्ट हो जाएगा।

बजट में दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिये कुल ८४३ करोड़ रुपए का उपबन्ध है जिसमें से १५० करोड़ रुपये राजस्व बजट में रखे गये हैं और ६९३ करोड़ रुपये पूंजी बजट में। इसके अतिरिक्त रेलवे और राज्य सरकारों के लिये धन की अलग व्यवस्था की गई है। इतने व्यय के बावजूद भी देश में बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती जा रही है।

बेरोजगारी बढ़ने के अनेक कारण हैं जैसे शिक्षा का प्रसार, भूमि सुधार और संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटना इस समस्या का सही अनुमान लगाना तो बहुत कठिन है। परन्तु राष्ट्रीय नमूना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

सर्वेक्षण द्वारा नागरिक बेरोजगारी के प्रारंभिक सर्वे के आधार पर १९५४ में अनुमानतः २२४ लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। अब तक यह संख्या बहुत बढ़ चुकी होगी। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी का संबंध है कृषि श्रमिक जांच समिति के अनुसार उसका अनुमान २८ लाख है। इसलिये रोजगार के अवसर बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि इस समस्या के संबंध में हमारी नीति स्पष्ट नहीं है। एक ओर तो औद्योगीकरण की बात की जाती है और दूसरी ओर अम्बरचर्खा कार्यक्रम बनाया जाता है। इस संबंध में अधिक स्पष्ट नीति अपनाई जानी चाहिये।

हम आशा करते थे कि दूसरी योजना में ८० लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। परन्तु तीसरा वर्ष प्रारम्भ हो जाने पर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और कुछ में अपेक्षाकृत कम। इस बात को ध्यान में रखते हुये योजना आयोग ने रोजगार के अवसरों के प्रादेशिक वितरण का सुझाव दिया था। संभवतः इसी को ध्यान में रखते हुये उड़ीसा में रूरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। परन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। स्थानीय काम दिलाऊ दफ्तर में ३६०० हजार व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं परन्तु नियुक्ति करते समय काम दिलाऊ दफ्तरों से परामर्श नहीं किया जाता है।

यह बताया गया है कि पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर राष्ट्रीय आय १८ प्रतिशत बढ़ गई है। परन्तु वास्तव में जनसाधारण को इससे कोई लाभ नहीं हो सका क्योंकि वस्तुओं के मूल्य बहुत चढ़ गये हैं। खाद्यान्नों के भावों में वृद्धि से साधारण मनुष्य का जीवन दूभर हो गया है।

जहां तक ऋणों का संबंध है विदेशों में भारत को सहायता देने की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा है। दूसरी योजना के अन्त तक हमें १५०० करोड़ रुपये के विदेशी ऋण प्राप्त हो जायेंगे जिनका पुनर्भुगतान हमें १४० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष करना होगा। सरकार को इस जिम्मेदारी का अनुभव करना चाहिये। उसको सोचना चाहिये कि हम इतने ऋण का भुगतान कैसे कर सकेंगे?

इसके अतिरिक्त एक बात मैं और कहना चाहता हूं। इस समय जब कि देश के विकास के लिये धन की आवश्यकता है हमें सैद्धांतिक आधार पर अपनी आय को कम नहीं करना चाहिये जैसाकि मद्यनिषेध के मामले में किया गया है। इससे सरकार की आय मे ३० करोड़ रुपये की कमी आई है। परन्तु क्या लोगों ने शराब पीना बन्द कर दिया है? नहीं, केवल इतना अन्तर हुआ है कि अब वे छिपकर पीते हैं और शराब के न मिलने के कारण अन्य वस्तुओं का प्रयोग भी करने लगे हैं जिनसे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रश्न पर फिर से विचार करें।

[श्री जयपाल सिंह पीठासीन हुए]

†श्री हिनिटा (स्वायत जिले—रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां): मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पूर्वी सीमांत के लिये आय-व्ययक में जो राशि रखी गयी है वह विकास कार्यों के लिये नहीं है बल्कि शांति और व्यवस्था के लिये है। मैं जानता हूं कि नागा पहाड़ियों को छोड़कर वहां सम्पूर्ण प्रदेश में कोई शांति व सुरक्षा का प्रश्न नहीं है। वैसे इस प्रदेश की जनता शरणार्थी तो नहीं है पर उनकी स्थिति वैसी ही है जैसी शरणार्थियों की।

†मूल अंग्रेजी में

विभाजन के पूर्व हमारे क्षेत्र की जनता का बाजार पूर्वी पाकिस्तान में था। हमने सोचा था कि विभाजन के बाद भारत सरकार हमारी आर्थिक दशा के संबंध में सहायता करेगी पर खेद है कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय तक हम पाकिस्तान से चोरी छिपे लाये गये माल पर गुजर करते रहे पर सैनिक शासन के कारण अब चोरी-छिपे माल भी नहीं आता जाता। हम लोगों की स्थिति अब बहुत खराब हो गयी है। गत वर्ष जब गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हमारे क्षेत्र के दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था कि चोरी छिपे लाये गये माल पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिये। मैं उनकी बात से सहमत हूं। और हमें आशा थी कि १९५९ के आय-व्ययक में हमारी सहायता के लिये कुछ अधिक राशि की व्यवस्था की जायेगी। पर यह भी निराशा ही रही। ५ लाख रुपये की वृद्धि की गयी है। पर यह बहुत कम है। कुल २$^{१}/_{२}$ लाख जनता के लिये कुल ३० लाख रुपये की व्यवस्था बहुत ही कम है।

मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये जायें––जिनमें यहां का कच्चा माल इस्तेमाल हो और साथ ही यहां की जनता को कुछ रोजगार मिले। आर्थिक विकास के लिये हमें सड़कें भी बनवानी होंगी। यद्यपि यह एक दीर्घकालीन कार्य होगा पर फिर भी हमें कार्य अभी आरम्भ कर देना चाहिये।

यहां की जनता को सहायता दी जानी चाहिये। वर्षा की ऋतु में यहां की जनता घास पात व जड़ खाकर गुजारा करती है। कितने लोग भूखो मर गये और कितने बेचारे भूखों मर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उनकी सहायता के लिये जो उपबन्ध किया गया है वह बहुत ही अपर्याप्त है और उसे बढ़ाया जाये।

संविधान के अनुच्छेद २७५ के उपबन्ध के परन्तुकों के अधीन अब तक आसाम सरकार को १३ करोड़ रुपये के लगभग की सहायता दी जा चुकी है। पर वहां की जनता को उसका वास्तविक लाभ नहीं हो पाया है। जनता तक तो उसका १/१० भाग भी नहीं पहुंच पाया है। सरकार ने यह भी पता नहीं लगाया कि क्या राज्य सरकार को दी गयी राशि का समुचित उपयोग हुआ है या नहीं। सरकार के अनुदानों का वितरण करने के लिये जो संस्थायें हैं उनमें काफी गड़बड़ी है जिसके कारण जनता को लाभ नहीं मिलता।

अभी लगभग ६ महीने पूर्व राज्य सरकार की आदिम जाति मन्त्रणादाता परिषद ने मांग की थी कि शिलांग के सब-डिवीजनल विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया जाये। पर अब तक भी राज्य सरकार ने उस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है। यदि स्वार्थ––दलगत स्वार्थ–– के कारण सामान्य जनता के हितों की इस प्रकार अवहेलना की जायेगी तो निश्चय ही सरकारी धन का इसी प्रकार दुरुपयोग होता रहेगा। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार से मांग की जाये कि वह यह जानकारी प्राप्त करने के लिये एक जांच नियुक्त करे, कि स्थानीय सरकार ने अनुदान की राशियों का उपयोग किस प्रकार किया।

इस आय-व्ययक में एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। अनुच्छेद २७५ के अधीन दो प्रकार की अनुदानें दी जानी है (१) मूल उपबन्ध के अधीन और (२) परन्तुकों के अधीन। पर इस आय-व्ययक में मूल उपबन्ध के अधीन उपबन्ध है पर परन्तुकों के अधीन कोई उपबन्ध नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री से स्पष्ट उत्तर मांगता हूं कि क्या संविधान का संशोधन किये बिना ऐसा करना संभव है? फिर अनुच्छेद २७५ के अधीन आदिम जातियों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिये अनुदान दिया जाता है। ध्यान रहे कि अन्य क्षेत्रों की जनता का रहन-सहन का स्तर लगातार ऊंचा उठ रहा है। ऐसी अवस्था में आदिम जातियों के लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिये अधिक राशि का उपबन्ध किया जाना चाहिये। यदि हमें कुल १ करोड़

[श्री हिनिटा]

रु० की सहायता मिलती है जिसमें से यदि अनुच्छेद २७५ के अधीन ९० लाख है, तो हमें केवल १० लाख रुपया आदिम जातियों के लिये मिलेगा। यह भी संविधान के उपबन्धों से बचना हुआ।

आसाम सरकार की साम्प्रदायिक व तंगदिली नीति के कारण आदिम जातियों की हालत इतनी खराब है। नागा लोग आज वहां की सरकार के रवैये से बहुत त्रस्त हैं। आपको स्मरण होगा कि एक बार नागा लोग महात्मा गांधी से मिले थे और उन्होंने मांग की थी कि हम अलग नागा देश चाहते हैं। गांधी जी ने उन्हें अनुमति दे दी थी। पर आज हमारी आसाम सरकार नागाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है उनको सता रही है। अतः मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार बड़ी सावधानी से आदिम जातियों के साथ व्यवहार करे तथा यह भी ध्यान रखे कि आदिम जातियों के उत्थान के लिये जो धन दिया जाता है उसका ठीक उपयोग हो।

श्री रूप नारायण (मिर्जापुर--रक्षित, अनुसूचित जातियां) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि काफी इन्तिजार के बाद आज मुझे समय दिया गया।

यह खुशी की बात है कि इस वर्ष जो हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है उसमें कोई ऐसा विशेष कर नहीं लगाया है जिसका देश में खास विरोध हो। सिर्फ एक टैक्स खंडसारी पर लगाया गया है जिससे कुछ लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रभावित हुए हैं। यह कर कुछ मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा जो कि इस काम को अपने घरों में करते हैं। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस कर में कुछ कमी होनी चाहिए क्योंकि यह कर खास कर गरीबों पर समझा जायेगा। बाकी, जैसा कि मेरे एक भाई ने कहा है, मैं भी यह सुझाव देना चाहता हूं कि वैल्थ टैक्स, एक्सपेंडीचर टैक्स, और गिफ्ट टैक्स को बढ़ाना चाहिए। लेकिन यह इस बजट में नहीं किया गया है। इससे हमको असंतोष है। इन टैक्सों की वसूली भी बहुत कम हुई है। इसलिए भी वित्त मंत्री जी को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

अब मैं उत्तर प्रदेश के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। यों तो हमारा प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश है, वहां पर घनी आबादी है और लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। पर जिस हिस्से से में आता हूं, यानी मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और गोरखपुर जिले बहुत पिछड़े हुए हैं। वहां पर हर साल लोग भुखमरी के शिकार होते हैं।

एक माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिलों में भी भुखमरी बहुत ज्यादा है।

श्री रूप नारायण : पश्चिम जिले पूर्वी जिलों से फिर भी अच्छे हैं। मैं पूर्वी जिलों की तरफ आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और भी कई बार यह प्रश्न इस हाउस में उठाया जा चुका है। पिछले साल भी मैं ने इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। पूर्वी जिलों में सिंचाई की कोई खास योजना नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में ट्यूब वैल्स की योजना चलायी गयी है लेकिन वह काफी सफल नहीं हुई है। पश्चिमी जिलों में तो पहले से नहरें हैं। पर पूर्वी जिलों में ट्यूबवैल की योजना सफल नहीं हुई है, इसलिए हमारे सामने बड़ी विकट समस्या पैदा हो गयी है क्योंकि वहां हर साल सूखे से बड़ी परेशानी पैदा होती है। आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कोई नई इंडस्ट्रीज़ हमारे यहां नहीं दी जा रही हैं। सिर्फ बनारस में बहुत प्रयत्न करने पर साहू कैमिकल फैक्टरी बनी है और एक रेलवे का कारखाना खोला गया है, पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हाल में उसका काम धीमा कर दिया गया है क्योंकि बिजली नहीं मिल रही है। ऐसा मालूम होता है कि कुछ दिन इस कारखाने का काम भी ठप रहेगा।

दूसरे राज्यों को केन्द्रीय सरकार पैसा देने में बहुत उदारता का व्यवहार करती है लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ उसका यह व्यवहार नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टरों की संख्या कम कर दीजिये ।

श्री रूप नारायण : वे तो आपकी सेवा करने के लिए हैं । लेकिन यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उत्तश प्रदेश कितना पिछड़ा हुआ है । आप देखें कि सन् १९५४–५५ में उत्तर प्रदेश के लोगों की पर कैपीटा इनकम २६९.१५ थी जब कि इंडिया की पर कैपीटा आमदनी २७१.९ थी ।

एक माननीय सदस्य : बिहार की क्या थी ।

श्री रूप नारायण : १९५५–५६ में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम २६५.०६ थी जब कि इंडिया की २७३.६ थी । सन् १९५६–५७ में उत्तर प्रदेश की पर कैपीटा इनकम २५८.४० थी जब कि इंडिया की २८४.४० थी और सन् १९५८ में उत्तर प्रदेश की पर कैपीटा इनकम २४८.७६ थी । इस तरह से आप देखें कि देश की पर कैपीटा आमदनी बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश की पर कैपीटा आमदनी २६९ से घटते घटते २४८ पर आ गयी है ।

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर आपके बढ़ते जा रहे हैं ।

श्री रूप नारायण : तो आप देखेंगे कि हमारा प्रदेश कितना पिछड़ा हुआ है । मैं आप को बताना चाहता हूं कि रुपया देने के मामले में यू० पी० के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है । (बिजली) पावर के लिए जो रुपया दिया गया है, उस में यू० पी० के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है । यू० पी० बहुत ग़रीब प्रदेश है । उस को इंडस्ट्रीज की ज़रूरत हैं और इंडस्ट्रीज के लिए पावर की ज़रूरत होती है और पावर के मामले में यू० पी० कितना पिछड़ा हुआ है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : सारे हिन्दुस्तान की पावर उस के हाथ में है ।

श्री रूप नारायण : आन्ध्र की (बिजली) पावर का पर यूनिट कनज़म्प्शन ५.२० है । उस को केन्द्रीय सरकार ने पावर के लिए ५२३. रु० फारेन एक्सचेंज में दिया है, यानी फ़ारेन एक्सचेंज एलाटमेंट का ४.१ परसेंट आन्ध्र को दिया गया है । वैस्ट बंगाल का पर यूनिट कनज़म्प्शन ६२.०६ है और उस को २८०३.० रु० फ़ारेन एक्सचेंज मिला है, जिसका अर्थ यह है कि उस को फ़ारेन एक्सचेंज एलाटमेंट का २०.६ परसेंट दिया गया है । मद्रास का पर यूनिट कनज़म्प्शन २२.१५ है और उस को फ़ारेन एक्सचेंज ३४०९.९७ रु० दिया गया है, अर्थात् उस को फ़ारेन एक्सचेंज एलाटमेंट का २६.५ परसेंट दिया गया है । मध्य प्रदेश का पर यूनिट कनज़म्प्शन ८.७१ है और उस को १०२३.० रु० फ़ारेन एक्सचेंज दिया गया है और इस तरह उस को फ़ारेन एक्सचेंज एलाटमेंट का १८ परसेंट दे दिया गया है । पंजाब का पर यूनिट कनज़म्प्शन १५.०५ है और उस को १०४१.० रु० फ़ारेन एक्सचेंज दिया गया है, जिस का मतलब यह है कि उस को १८.१ परसेंट दिया गया है । अब यू० पी० के बारे में सुनिए । उस को सुन कर आप घबरा जायेंगे । यू० पी० का पर यूनिट कनज़म्प्शन ८.१० है और उस को फ़ारेन एक्सचेंज सिर्फ़ ६५.९७ रु० दिया गया है, जो कि सब से कम है और जो फ़ारेन एक्सचेंज एलाटमेंट का .५ परसेंट माने १/२% है । इस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यू० पी० के साथ कितनी उदारता दिखाई गई है । आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के लोग भूखमरी का शिकार हो रहेहैं । वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है । लोग उस को और भी मारना चाहते हैं । इस लिए मैं इस हाउस का ध्यान आकर्षित

[श्री रूप नरायण]

करना चाहता हूं कि यू० पी० के हम लोग भी आदमी हैं और हम भी जिन्दा रहना चाहते हैं और मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि .....

श्री च० द० पाण्डे (नैनीताल) : कोई वित्त मंत्री नहीं है ।

श्री रूप नारायण : इस से मालूम होता है कि कोई हामरी बात को सुनना भी नहीं चाहता है । यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि कोई यू० पी० की बात को सुनना नहीं चाहता है, लेकिन हम को सुनानी है । मैं आप को बता रहा था कि हम लोग किस तरह से पिछड़े हुए हैं । इसी तरह हम ूसरे विभागों में भी मिसाल के तौर पर एजूकेशन में भी पिछड़े हुए हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह मानते हैं ।

श्री रूप नारायण : अब आप सब प्रदेशों का लिटरेसी का परसेंटेज देखिए । आन्ध्र में लिटरेसी का परसेंटेज १५ परसेंट है, आसाम में १८ · १ परसेंट है, बिहार में १२ . २ परसेंट है, बम्बई में २४ . ६ परसेंट है, मद्रास में २१ . ८ परसेंट है, उड़ीसा में १५ . ८ परसेंट है, पंजाब में १६ . १ परसेंट है, और यू० पी० में १० . ८ परसेंट है, वैस्ट बंगाल में २४ . ५ परसेंट है, मैसूर में २० . ३ परसेंट है, सौराष्ट्र में १८ . ५ परसेंट है और ट्रावनकोर-कोचीन में ४६ . ४ परसेंट है ।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) : मध्य प्रदेश ?

एक माननीय सदस्य : केरल ?

श्री रूप नारायण : केरल के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : ये फ़िगर्ज़ कहां से लाए हैं ?

श्री रूप नारायण : मैं यह कहना चाहता हूं कि यू० पी० एजूकेशन में भी पिछड़ा हुआ है । शिक्षा के एलाटमेंट में भी यू० पी० का सब से कम हिस्सा है । जहां तक रोड्ज़ का ताल्लुक है, उस में भी यू० पी० सब से पिछड़ा हुआ है और प्लानिंग कमीशन ने इस के लिए भी यू० पी० को सब से कम रुपया दिया है । मैं क्या बताऊं । अगर यही हाल रहा, तो यू० पी० बेचारा मर जायेगा । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना में यू० पी० के साथ इस तरह का व्यवहार न किया जाये और उस को और रुपया दिया जाये । जो योजनायें चल रही हैं, उन का भी ठीक तौर पर ख्याल नहीं किया जाता है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

हमारे यहां कई प्राजेक्ट्स हैं । दोहरीघाट पम्प्ड कैनाल, टांडा पम्प्ड कैनाल, कुआनो पम्प्ड कैनाल, माता टीला डैम, रामगंगा रिवर प्राजेक्ट, नानक सागर प्राजेक्ट, शारदा सागर प्राजेक्ट और टोमरिया रेज़रवायर वगैरह कई छोटी छोटी प्राजेक्ट्स हमारे यहां हैं । हमारा प्रदेश इन सब प्राजेक्ट्स को चलाना चाहता है, लेकिन उन सब में रुकावट आ रही है और वह इसलिए कि केन्द्रीय सरकार उस को फ़ारेन एक्सचेंज का एलाटमेंट नहीं दे रही है । आज यू० पी० को उन प्राजेक्ट्स के लिए मशीनें मंगाने के लिए इम्पोर्ट लाइसेन्स नहीं मिल रहे हैं । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारी जो प्राजेक्ट्स चल रही हैं, उन के लिए हम ने मशीनरी का आर्डर प्लेस कर दिया है, लेकिन हम को फ़ारेन एक्सचेंज क्यों नहीं दिया जा रहा है, ताकि वे प्राजेक्ट्स पूरे हो सकें । मिसाल के तौर पर मिर्ज़ापुर में रिहंद डैम बन रहा है । वहां के लिए ट्रांसफ़ार्मर मंगाने

के लिए एक कम्पनी से टेन्डर मंगाया गया, लेकिन उस टेन्डर को इसलिए कैन्सल कर देना पड़ा कि केन्द्रोय सरकार ने उस के लिए हम को फ़ारेन एक्सचेंज नहीं दी और उस के यहां से यह लिख कर गया कि फ़ारेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा ।

इस रिहंद डैम के बारे में बहुत लोग अंगुली उठाते हैं कि यू० पी० को बहुत बड़ा प्राजेक्ट दिया गया है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक ही है । जैसाकि श्री सी० डी० पांडे ने उस के बारे में कहा है, इट इज़ दि फ़र्स्ट एण्ट इट इज़ दि लास्ट । तात्पर्य यह है कि हमारे यहां वह एक ही प्राजेक्ट है और हमारी केन्द्रीय सरकार उस में बाधा डाल रही है, जिस से वहां काम रुका हुआ है । जैसा कि मैंने अभी बताया फ़ारेन एक्सचेंज न मिलने की वजह से ट्रांसफ़ार्म्ज़ के टेण्डर को कैंसल कर देना पड़ा और यू०पी० गवर्नमेंट ने हमको बताया है कि दूसरे टेंडर में खर्च और बढ़ जायगा । परिणाम यह है कि फ़ारेन एक्सचेंज न देने से एक तो खर्चा बढ़ता है और दूसरे काम भी रुक जाता है और हमारे यहां परेशानियां बढ़ रही हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : मंत्री-मंडल की परेशानियां बढ़ रही हैं ?

श्री रूप नारायण : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ दिया गया है, कम से कम उस को तो एक्सपीडाइट कराया जाये और फ़ारेन एक्सचेंज दिया जाये, ताकि हमारे प्राजेक्ट्स चालू हो जायें ।

श्री प्रभु नारायण सिह ने, जोकि बनारस के नये सदस्य हैं, कहा कि हमारे देश पर कर्ज़ा बहुत हो रहा है और उस की वजह से हमारे देश की परेशानी बढ़ जायेगी । उन के क्षेत्र में एक मंत्री जी ने इतना काफी काम कर दिया है कि जिधर जाइये उधर कैनाल्स हैं, जिधर जाइये उधर पक्की सड़कें हैं और यहां तक कि पगडंडियां भी पक्की कर दी गई हैं । इतना होने पर भी उन्होंने मंत्री जी की शिकायत की है । उस क्षेत्र की तो यही बात है कि काम अगर अधिक हुआ है तो ज्यादा शिकायत करो । हम तो यह कहते हैं कि हम तो काम करते हैं और उन का काम खाली शिकायत की जांच करने के लिये कमेटी बिठवाना ही है । प्रभु नारायण जी दूसरें क्षेत्र में काम होना पसन्द नहीं करते इसलिये अब कर्जा लेना नहीं चाहते ।

अब मैं एग्रिकलचर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । कृषि का जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । वहां की आबादी भी बढ़ रही है और उस का भार कृषि पर पड़ रहा है । इस नतीजे के तौर पर उत्तर प्रदेश की जो परेशानियां हैं वे बढ़ रही हैं और बढ़ती जा रही हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : फैमिली प्लानिंग करो ।

श्री रूप नारायण : हमारी सरकार का यह मंशा है . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करें ।

श्री रूप नारायण : कुछ तो हमारा वक्त अपोज़ीशन वालों ने ले लिया है । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे दो मिनट का समय और दिया जाये ।

मैं चाहता हूं कि जहां तक सीलिंग लगाने का सवाल है वह चीज़ स्टेट गवर्नमेंट्स को न सौंप कर के केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले । मैं यह भी चाहता हूं कि इस मामले में सरकार स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करे कि कितनी सीलिंग फिक्स की जाये । मैं आप को अपनी स्टेट की बात बतलाना चाहता हूं । जब यह सीलिंग का सवाल नहीं आया था तो हमारी सरकार कुछ इस बात की तरफ़

[श्री रूप नारायण]

इनक्लाइंड थी कि साढ़े बारह एकड़ सीलिंग हम फिक्स करेंगे । लेकिन नागपुर कांग्रेस ने जब से इस के बारे में रेज़ोल्यूशन पास किया तब से ऐसी चर्चा सुनने में आ रही है कि ५० एकड़ की सीलिंग करने हम जा रहे हैं । यह बात बतलाने का मेरा मंशा यह है कि जब किसी चीज़ को अमली जामा पहनाने की बात आती है तो लोगों के जो विचार होते हैं वे बदल जाते हैं । मैं चाहूंगा कि ऐसा न हो । मैं यह भी चाहता हूं कि इस सवाल को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले ।

अब मैं शैड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इनके बारे में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है यह हमेशा ही उदासीनता का व्यवहार करती है और इस के अन्दर जो ये लोग हैं उन-की बहुत ही खराब हालत है । मैं दो साल पहले की एक मिसाल बतलाना चाहता हूं । एक हरिजन जोकि इनकम टैक्स आफिसर था और जिस ने दस साल की सर्विस पूरी कर ली थी, इंस्पैक्टर की जगह पर रिवर्ट कर दिया गया और दूसरे लोगों को जोकि नान-शेड्यूल्ड कास्ट के थे उन को एग्जैम्प्ट कर के पचासों की तादाद में इनकम-टैक्स आफिसर परमानेंट कर दिया गया । वह हरिजन वहां पर इतना दुखी हुआ कि उसको फाइनेंस विभाग को छोड़ना पड़ा । इस की शिकायत श्री ब० रा० भगत जी से भी की गई थी और वह आदमी उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट का था और उन्होंने भी इस बात को महसूस किया था कि उस के साथ ज्यादती हो रही है, उस ज्यादती को दूर नहीं किया । ऐसी सूरत में उसको रोते हुए इस विभाग को छोड़ना पड़ा । आज वह रेलवे में क्लास वन आफिसर बन गया है ।

एक माननीय सदस्य : तब तो अच्छा हुआ है ।

श्री रूप नारायण : क्लास वन की हैसियत से जिस नें इनकम-टैक्स विभाग की सेवा की हो और दस बरस तक की हो, उस को उस पद से हटा दिया जाये, उस को वह विभाग छोड़ना पड़ें, तो उस को कितना दुःख हो सकता है, यह आप समझ सकते हैं । तो मैं कहना चाहता हूं इस तरह का व्यवहार हरिजनों के प्रति करना ठीक नहीं है ।

अब जो आप रुपया हरिजनों के अपलिफ्टमेंट के लिये देते हैं, उस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । आप रुपया तो देते हैं लेकिन वह रुपया किस तरह से खर्च किया जाता है, यह देखना भी तो आपका कर्त्तव्य है, किस तरह से स्टेट्स उस रुपये को खर्च करती हैं, यह भी तो आप देखें । हरिजनों के नाम पर वह रुपया खर्च तो अवश्य किया जा रहा है और इसके लिये आपने एक शैड्यूल्ड कास्ट कमिशनर भी बिठा दिया है, लेकिन वहां क्या होता है, किस तरह से रुपया वेस्ट होता है, यह देखना भी तो आपका फ़र्ज है । ऐसे ऐसे असिस्टेंट शैड्यूल्ड कास्ट कमिशन नियुक्त किये जाते हैं जोकि एंटी-शैड्यूल्ड कास्ट होते हैं । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे यहां बनारस में एक गांव भदोई है, वहां पर कोई सौ हरिजन परिवारों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया । उन पर पुलिस ने अत्याचार किया, मारा पीटा । इस सब की जांच पडताल करने के लिये केन्द्रीय सरकार के असिस्टेंट शैड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर गये । वहां के अधि-कारियों ने उन्हें कहा कि यह हरिजनों का मामला है इस में आप ज्यादा दखल न दें और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी वह हरिजनों के खिलाफ दे दी । वे हरिजन बेघरबार हो गये हैं और बिचारों को रीज़ी उन से छीन ली गई है । इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को असिस्टेंट कमिश्नर क्यों नियुक्त किया जाता है जिन की हमदर्दी इन लोगों के प्रति न हो, जिन के दिलों में इन लोगों के लिये कोई स्थान न हो ।

बजट में यह आ तो जाता है कि इतना रुपया हम ने इन लोगों के ऊपर खर्च किया है और इतना हम खर्च करनें वाले हैं, लेकिन उस रुपये का जितना फायदा हरिजनों को पहुंचना चाहिये, उतना नहीं पहुंचता है। जहां तक एप्वाइंटमेंट्स का सवाल है कुछ असिस्टेंट कमिश्नर्स को चुना गया है जिन में ज्यादातर हरिजन या शैड्यूल्ड कास्ट के हैं। अब यह सवाल पैदा हुआ कि इन की तादाद ज्यादा हो गई है इसलिये बहाना किया जा रहा है और यह कह कर कि इकोनोमी ड्राइव है, नियुक्तियों को रोक दिया गया है। यह जो इकोनोमी ड्राइव होती है यह भी इन्हीं के लिये होती है दूसरों के लिये नहीं। यह ठीक नहीं है।

अब उन को जो रुपया स्कालरशिप्स के तौर पर दिया जाता है, उस के बारे में मैं थाड़ा सा कहना चाहता हूं। आपके पास इस तरह की शिकायतें आई होंगी और एम० पीस० साहबानों के पास भी सैंकडों और हज़ारों लैटर आ रहे हैं कि लोग फाइनल के इम्तिहान में बैठ रहे हैं और स्कूल को छोड़ने जा रहे हैं लेकिन आज तक भी उन को स्कालरशिप का रुपया नहीं दिया गया है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। उनको समय पर रुपया मिल जाना चाहिये। एक तो आप इन लोगों के लिये बहुत ही कम रुपया अलग रखते हैं और जो थोड़ा बहुत देते भी हैं वह भी ठीक से खर्च नहीं हो पाता है, यह ठीक नहीं है ? यह रुपया ठीक तरह से खर्च हो, यह भी आप को देखना चाहिये।

अन्त में मैं वित्त मंत्री महोदय को उन के इस बजट के लिये धन्यवाद देता हूं।

पंडित ब्रजनारायण "ब्रजेश" : कृष्णम् बन्दे जगद्गुरुम्।

अध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में ही आप से यह प्रार्थना करूंगा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने आध आध घंट तक भाषण दिया है और जब मैं भाषण देता हूं तो प्रायः देखा गया है कि उस का खमियाज़ा मुझे भुगतना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता है। मैं दूसरों को भी अधिक टाइम नहीं देता हूं और न आपको दे सकता हूं।

श्री ब्रजनारायण "ब्रजेश" : इस बजट पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किय हैं और उन में प्रायः एक ही बात की आपत्ति उठाई गई है और वह यह कि इस देश में शासन को चलाने के लिये जिस प्रकार का बजट बनना चाहिये था उस प्रकार का बजट बना नहीं है। लोग यह चाहते हैं कि देश में सर्वतोमुखी प्रतिभा जाग्रत हो, देश उन्नति करे। लेकिन आम तौर पर लोग यह बात भूल जाते हैं कि उन्नति का आधार तो अर्थ है। जब तक पैसा नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा किसी भी दिशा में उन्नति हो नहीं सकती है। जैसा कि स्पष्ट रूप से हमारे यहां घोषित किया गया है :

यस्यास्ति वित्तम् स नरः कुलीनः, सपण्डितः सय्युतवान गुणज्ञः।
सएववक्ता सचदर्शनीयां सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्त ।।

हम जानते हैं कि आज अमेरीका और रशिया का सारे संसार में इसलिये बोलबाला है कि वहां अर्थ चमक रहा है और हमारे यहां अर्थ न होने के कारण अनर्थकारी घटनायें घट रही हैं। साथ ही हमारे पास जो अर्थ है उस अर्थ को जिस प्रकार से लगाया जाना चाहिये, उस अर्थ को जिस प्रकार स व्यय किया जाना चाहिये, उस प्रकार से नहीं हो रहा है, उसके सम्बन्ध में असावधानी बरती जा रही है। उसका उपयोग करने में जिस दूरदर्शिता, जिस बुद्धिमत्ता , जिस जागरूकता, जिस सावधानी का हमें उपयोग करना चाहिये, वैसा हम कर नहीं रहे हैं। इसके कारण भी अनेकों कठिनाइयां खड़ी हो रही हैं।

[श्री ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

हमारे यहां आज सब से प्रथम धर्म का नाम लेना भी अपराध हो गया है। लेकिन धर्म का तात्पर्य केवल पूजा पाठ से नहीं है। धर्म की व्याख्या करते हुए हमारे ऋषियों ने भी एक सूत्र कहा है :

आचारः प्रथमो धर्माः

धर्म का प्रथम स्वरूप आचार है। जिस का आचार ठीक नहीं है उसका व्यवहार ठीक नहीं हो सकता है। जिस का आचार और व्यवहार ठीक नहीं है, उस को सफलता कभी नहीं मिल सकती है। हमारा आचार पतनशील हो गया है, हमारा आचार दूषित हो गया है और उस आचार को हम ने भ्रष्टाचार का नाम दे दिया है। हमारा आचार जब भ्रष्टाचारी हो गया तो भ्रष्टाचरण के द्वारा किसी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है। हम जानते हैं कि हमारे शासन के पास अर्थ का अभाव है और उस अर्थ के अभाव की पूर्ति के लिये उसे ऋण लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। हम दूसरों से कर्ज लेते हैं और इसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं है। लेकिन इस को एक मर्ज तो नहीं बना दिया जाना चाहिये। जब देखो कर्ज हम लेते चले जा रहे हैं। कर्ज लेने के पश्चात् हमें यह देखना चाहिये कि जो हम ने ऋण लिया है उस ऋण को वापस करने की क्षमता हममें आ रही है या नहीं आ रही है अन्यथा वणिक् वृत्ति तो यह देखी गई है कि जो अच्छे प्रकार का साहूकार होता है वह कर्जा दे कर वापस मांगता ही नहीं है। क्योंकि वह जानता है कि यदि बाप के द्वारा वापस मिलेगा तो साहूकारी ठीक नहीं चलेगी, नाती द्वारा मिलेगा तभी आगे जा कर वह सम्पन्न बन सकेंगे। इसके कारण लोग हमें बड़ी उदारतापूर्वक ऋण दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारी संख्या आज ३५ करोड़ के लगभग है।

एक माननीय सदस्य : उससे भी ज्यादा है।

पंडित ब्रजनारायण "ब्रजेश" : आप ४० करोड़ मान लीजिये। अगर हमारे देश में हिसाब लगाया जाये तो रोज ही करोड़ों लोग बढ़ रहे हैं। संख्या वृद्धि में कोई भी कमी नहीं है। चूंकि हमारी संख्या अधिक है इसलिये वे जानते हैं कि हम भारतीय भेड़ों पर से कभी भी ऊन काटा जा सकेगा। इसलिये वे बड़े आराम से पैसा दिये जाते हैं और हमारी स्थिति यह हो गई है कि हम को जो पैसा बाहर से मिल जाता है उसको हम आंख बन्द करके व्यय करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि हमें वह पैसा वापस ही नहीं करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि इन दिनों सरकार की तरफसे लोगों को पैसा कर्ज मिलता है। जैसे सरकार अमरीका से कर्ज लेती है वैसे ही हम सरकार से कर्ज लेते हैं। लोग भी क्या करते हैं? वे कृषक तो हैं नहीं, खेती तो करते नहीं, लेकिन खेती के नाम में पैसा लेते हैं और देश भर में आराम से सामान खरीदते हैं, जैसे कि वह पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति हमारी और सरकार की मिल कर हो गई है। हमारे समाज का भी पतन हो रहा है हमारे राष्ट्र का भी पतन हो रहा है और समाज और शासन दोनों खराब होते चले जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदयः** सभा में बहुत शोर हो रहा है। एक दो उप मंत्रियों को छोड़ कर अन्य मंत्री भी उपस्थित नहीं हैं। सामान्य आय-व्ययक की चर्चा एक महत्वपूर्ण विषय है। संसद् कार्य मंत्री भी उपस्थित नहीं हैं। अजीब स्थिति है। माननीय सदस्य भी जरा शान्त रहें।

†**वित्त उपमंत्री श्री ब०रा० भगत :** वित्त मंत्री उस सभा में उत्तर दे रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदयः** अन्य मंत्री कहां हैं? उपमंत्री भी तो हैं, राज्य मंत्री भी तो हैं? अजीब बात है कि सभा को समुचित महत्व नहीं दिया जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित ब्रजनारायण "ब्रजेश": अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि समाज और शासन दोनों का स्तर गिर रहा है और जैसा कि आप स्वयमेव अनुभव कर रहे हैं, हमारी उत्तरदायित्वहीनता का यह प्रमाण है कि हम जहां हमें बैठना चाहिये वहां बैठते नहीं, जो करना चाहिये वह करते नहीं, जो सोचना चाहिये वह सोचते नहीं। हमारी दशा ही एक विभिन्न प्रकार की बन गई है और उसका परिणाम यह हुआ है कि जैसा हमारे मंत्रिगण करते हैं वैसा ही हमारे सदस्य भी करते हैं। भाषण देने के पश्चात् बैग दबा कर सीधे भाग जाते हैं जैसा उनका इस सदन से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा। हर एक की बात को सुनना, अपनी बात सुनाना, और उस के पश्चात् किसी निर्णय पर पहुंचना, यह तो हुई दायित्व की बात और केवल बोलने के लिये बोलना, सुनने के लिये सुनना, इससे देश का कल्याण नहीं होगा। मैं देखता हूं कि मंत्री महोदय यह समझते हैं कि बोलने वाले इसलिये बोलते हैं कि बोलने के लिये आये हैं या फिर इसलिये बोलते हैं कि अपने क्षेत्र में सुना सकें कि हम ने यह बोला, ताकि आगे हम वोट ले सकें, और उन्होंने सोच लिया है कि हम ने जो बना लिया वही हमें करना है, जिस को जो भी बोलना हो वह बोलता रहे। जब इस भावना का निर्माण हो जायेगा तो बोलने का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा, सुनने का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा और बोलना एक प्रकार से व्यर्थ हो जायेगा। इसलिये जो बोला जाये उस में कुछ तथ्य होना चाहिये और उस में जो तथ्य हो उसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

मैं निवेदन कर रहा था कि हमें अपना आचार पवित्र बनाना होगा, हमारा देश पवित्र देश है और उसने संसार को पवित्रता का सन्देश दिया है। हमने अपना जो युद्ध आरम्भ किया था, जो संघर्ष आरम्भ किया वह भी पवित्रता के आधार पर किया। हम ने ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध किया तो भी पवित्र रह कर युद्ध किया। हमने अपने अधिकारों के लिये कहा कि यह हमारे अधिकार हैं और यह हमें मिलने चाहियें। तो जब हमारा युद्ध करने का प्रकार पवित्र था तो हमारे शासन करने का प्रकार भी पवित्र होना चाहिये। लेकिन आज जब देखता हूं और सुनता हूं कि जो कुर्सियों पर बैठ जाते हैं वे यह सोचते हैं कि यह अवसर फिर मिले, न मिले। यह अवसर मिले या न मिले यह सोच कर जो लोग जाते हैं उन में भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है, पनपता जाता है। ऐसी स्थिति रही तो पैसा कहां से आयेगा? जब अव्यवस्थापूर्वक पैसा लगेगा तो कितना ही खर्च करो, आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। जब सावधानी से पैसा खर्च किया जाता है तो थोड़े में अधिक काम हो जाता है। जैसे मान लीजिये कि किसी बागीचे या उद्यान में पानी दिया जाता है। अगर उस में क्यारी बना कर पानी डाला जाता है तो थोड़े पानी में अधिक भूमि सिंच जाती है और अगर बिना क्यारी बनाये हुए पानी डाला जाता है तो जितना चाहे पानी डालो, पृथ्वी पीती चली जायेगी, लेकिन वह सब जगह पहुंच नहीं पायेगा। आज पैसे का जो उपयोग हो रहा है वह ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। इस के कारण कर्ज भी बढ़ रहा है और काम भी नहीं हो रहा है। अतएव सारे के सारे जितने विभाग हैं उन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं नहीं मानता हूं कि सारे विभागों में जितने भी पदाधिकारी हैं सब के सब भ्रष्ट हैं, लेकिन जो पैसा नहीं खाते हैं उन को दूसरों का प्रतिरोध करना चाहिये और देश में भ्रष्टाचार बन्द होना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री सबों को बिठला कर कसम तो नहीं दिला सकते, खुद ही कुछ करने से हो सकता है। तो वह होना चाहिये। लेकिन सब को शपथ ले लेनी चाहिये कि हम अपने विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हमारे देश में एक वायुमंडल का निर्माण होना चाहिये और जनता को यह विश्वास होना चाहिये कि हमारे देश से भ्रष्टाचार उठेगा। विदेशियों को भी यह पता लगना चाहिये कि भले ही हिन्दुस्तान में दरिद्रता हो लेकिन भारतीय पवित्रापूर्वक अपने देश के लिये कष्ट उठा कर जीवन निर्वाह करना जानते हैं, हमारे मंत्री महोदय भी सब के सब त्यागपूर्वक जीवन व्यतीत करना जानते हैं। आज देश में त्याग बढ़ना चाहिये, जागृति होनी चाहिये और ब्रिटिशर्स से लड़ते समय जो हमारी भावना थी वही हम में होनी चाहिये। जब वह भावना आयेगी तभी भारतवर्ष बढ़ेगा। लोग कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष विकास कर रहा है, हमारी योजना हमें

[पंडित ब्रजनारायण ब्रजेश]

विकास की तरफ ले जा रही है। लेकिन मालदार का विकास और गरीब का त्रास, देश का ह्रास और संसार में उपहास, ऐसी स्थिति आज हमारी हो रही है। जब हमारी यह स्थिति बनेगी तो फिर योजनाओं के लिये केवल प्रोपेगन्डा या प्रचार मात्र से काम नहीं चलेगा।

शासन इतना शिथिल हो गया है कि जो भ्रष्टाचार है, जो दुराचार है, जो अनाचार है, जो सोच विचार है, वह उस को दिखता ही नहीं। उस को प्रोत्साहन मिलता है। अगर ऐसा मालूम होने लगा कि हमारे सिर पर कोई नहीं है तो काम नहीं चलेगा। सारे देश में यह भावना उत्पन्न हो रही है कि पता नहीं हमारे ऊपर कोई राज्य है अथवा नहीं है। लोगों को ऐसा सन्देह होने लगा है। मैं कहता हूं कि एक विश्वास का निर्माण होना चाहिये कि हमारा राज्य है, हमारा शासन है, यदि कोई मुझे सतायेगा तो हमारा राज्य उस को दंड देगा और मुझे बचायेगा। जनता में यह भावना होनी चाहिये, लेकिन इस के विपरीत आज यह हो रहा है कि यदि आज किसी के सिर पर कोई गुंडा रास्ता चलते मार दे चोट, वह लिखाने जाये थाने में रिपोर्ट तो दरोगा जी मांगते हैं नोट। अगर कोई रिपोर्ट लिखाने जायें तो भी नोट मांगे जायें तो कैसे कार्य चलेगा? कैसे राज्य चलेगा और कैसे हम समझेंगे कि हमारे लोग राज्य कर रहे हैं? हमारे राज्य में शिथिलता आ गई है। अनुशासन शिथल हो गया है। जिस चीज़ को अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहते हैं, वह डिसिप्लिन हमारे यहां से समाप्त हो रही है। यहां पर धीरे धीरे अराजकता का निर्माण हो रहा है। मालदार मालदार हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है। गरीब को पनपने का और अपना न्याय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। न्याय नहीं मिलता, शिक्षा नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, स्थान नहीं मिलता तो मुझे बतलाइये कि दुनिया में इस स्वराज्य का क्या अर्थ हुआ? कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पनपते हैं और उन्नति करते हैं। बाकी जनता त्राहि त्राहि करती है। खास तौर पर इस समय जब सारे संसार में आपत्ति के काले बादल मंडला रहे हैं, कितनी संकटपूर्ण स्थिति है, उस समय हमें कर्ज मिल रहा है। जब हम को कर्ज लेने की स्थिति ही आ जायें तो हम को त्यागमय जीवन व्यतीत करना चाहिये। भीतरी अनैतिकता का कम करने की कोशिश करनी चाहिये और एक-एक पैसे का हिसाब रखना चाहिये। अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो वह कर्ज हमें भुगतना भी पड़ेगा। यह सत्य है कि हमारे देश में पैसे की अब भी कमी नहीं है। मालदार लोग पैसा दबा कर बैठ गये हैं क्योंकि उन को विश्वास नहीं है कि जो पैसा वे देश के काम में लगायेंगे, उद्योग धंधों में लगायेंगे, वह उन को वापस मिलेगा। हम को अपनी ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिये जिस से जो लोग उद्योगों में पैसा लगाते हैं उन को विश्वास हो जाये कि उन को पैसा वापिस मिलेगा। लेकिन यहां तो एक तरफ हम भ्रष्टाचार विरोधी बात चलाते हैं दूसरी तरफ से दूसरी बात करने लगते हैं। पहले यहां घोषणा की गई कि हम गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे हम छोटे छोटे धंधों को प्रोत्साहन देंगे। लोगों ने अपनी पत्नियों के गहने बेच कर या गिरवीं रख कर अल्प बचत योजनाओं में पैसा लगाया और सरकार ने उन्हें कर्जा दिया। एक एक काम करने वाले को ५०, ५० हजार रु० ऋण दिया, लेकिन जब उन उद्योगों को थोड़ीं सी कमर सीधी करने का अवसर आया तो वैसे ही बिजली की तरह से हमारे देसाई साहब कूद पड़े। बज्रपात होगया। खंडसारी उद्योग को एक प्रकार से खत्म ही कर दिया है। उसको कत्ल कर दिया है। हमेशा देश के गरीब लोगों पर ही छुरी चलती है। उन्होंने गरीबों को नष्ट कर दिया। लोअर मिड्ल क्लास अर्थात् मध्यम वर्ग के आदमियों का जो कि साधारण उद्योग धंधे करते हैं उनको विशेष नुक्सान हो गया। सरकार को इन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिये भले ही औरों पर कर लगा दे। मैं समझता हूं कि सिगरेट पर कर लग सकता है। कर तो लगाना ही पड़ेगा। मैंने कभी नहीं कहा कि सरकार कर न लगाए। सरकार बिना कर के चल नहीं सकती है, और जब सरकार और हम एक हैं तो हम और शासन दोनों ही बराबर रहेंगे। सरकार कर लगाए हम घर से कर देंगे।

लेकिन कहीं ऐसा नहो कि हम जायें मर और सरकार लगाए जाए कर । ऐसा नहीं होना चाहिए । हमारी सरकार की मालाकार की वृत्ति होनी चाहिये जैसे कि माली बागीचे में से जो चुनने लायक फूल होते हैं उन को तो चुन लेता है और छोटी-छोटी कलियों को बिकसने और फूलने का अवसर देता है । लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि माली बिल्कुल दियासलाई लगा दे पूरे बागीचे में। उद्यान में से सुगन्ध कहां से आयेगी शोभा कैसे रहेगी ? शासन को कर लगाते समय यह देखना चाहिये कि इस प्रकार के धंधे और ऐसी वस्तुऐं जो कि एक प्रकार से विलास को प्रोत्साहन देती हैं, उन पर डट कर कर लगाना चाहिये । मैं कहता हूं कि झूठे आदर्श में न पड़ना चाहिये । अब आपने फ़िज़ूल ही देश में शराब पीना बंद कर दिया । अरे पीने दो अलबत्ता उस पर खूब टैक्स लगाओं और जो मालदार होगा वह उसे पीने के लिए आपको पैसा देगा और पीकर मरता है मरे, हमें क्या लेना है हमको तो वह पैसा दे । ग़रीब आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो वह पियेगा कैसे । ज़हर को आप इतना मंहगा कर दीजिये कि जो शोषक है वह उसको खाये और ग़रीब खा न सके और ज़हर के खाने से यदि शोषक का नाश हो जायेगा तो कोई हानि नहीं होगी । लेकिन आपने उलटा कर दिया । विदेशी शराब तो बराबर आती है और देशी शराब पर टैक्स लगा दिया और हुआ यह कि लोग घरों में कच्ची शराब निकाल कर पीने लगे और बीमार पड़ने लगे । पैसा का पैसा भी शासन को मिलता नहीं और यह बुराई बंद होती नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसे नेता देखे हैं जो पीकर ही मंच पर आकर कहते हैं कि हमारी सरकार ने शराब पीना बंद कर दिया । मैं समझता हूँ कि ऐसे पाखंडपूर्ण आदर्श और ऐसे अव्यवहारिक त्यांग के आदर्श को छोड़ देना चाहिये । सच्चा त्याग तो हृदय की चीज़ है, भीतर से निकलता है और उसको हमें किसी को दिखलाना नहीं है । हमारा अपना घर है और यदि हम त्यागी हैं तो किसी को उसके दिखलाने की ज़रूरत नहीं है । घर में तो बिलकुल रिऐल्टी के साथ वास्तविकता के साथ और सच्चाई के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिये लेकिन आज हो यह रहा है कि हम नाम तो सत्य का लेते हैं लेकिन झूठ का प्रचार करते हैं, अहिंसा का नाम लेते हैं और हिंसा का काम करते हैं, त्याग का नाम लेते हैं और भोग की तरफ़ दौड़ते हैं, यह पाखंडपूर्ण वृत्ति है । इससे देश का पतन हो रहा है और देश के लोग यह समझते हैं कि भाई अब तो ऐसा ज़माना आ गया कि दुनियां ठगना मक्कर से रोटी खाना शक्कर से और जैसे कि चारवाक् ने कहा है:

ऋण कृत्वा घृतं पिवेत्, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः । फिर आना जाना कहां है ? मध्यम मामसमच मीनम च मुद्रा मैथननमेव च एते पंच मकाराश्च मोक्षदाहि युगे युगे । तो वैसे ही हमारी यह मोक्षकारी प्रवृति हो गई और जो हमारी पवित्र सात्विक वृत्ति थी वह समाप्त हो गई ।

देश में शिक्षा की जो अवस्था है उसके बारे में मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि ३३प्रतिशतः तो हम बुद्धिमान हैं और ६७ प्रतिशतः बेवकूफ़, अब घर का काम कैसे चलेगा ? शिक्षा में आमूल चूल परिवर्त्तन होना ही चाहिये । संतान स्वयंमेव बुद्धिमान उत्पन्न नहीं होती उसको शिक्षा देनी पड़ती है ।

मातृपितृ कृताभ्यासोगुणता मेति बालकाः नगर गर्भच्युत मातेण पुत्रो भवति पंडिताः । हमें अपनी संतान को योग्य बनाने की तरफ़ क़दम बढ़ाना चाहिये ।

जहां तक कि टैक्सेज़ का सवाल है हमें इस प्रकार के टैक्स जिनका कि साधारण जनता पर प्रभाव पड़ता हो नहीं लगाना चाहिये । अब हमारे वित्त मंत्री महोदय ने मोटर टायर्स और डीज़ेल आयल पर टैक्स लगा दिया है और ज़ाहिर है कि ट्रैक्टर्स जो कि डीज़ेल आयल से चलते हैं तो डीज़ेल आयल पर टैक्स लगने से साधारण जनता पर प्रभाव पड़ेगा । अब ट्रक्टर्स पर तो आप इस तरह

बोझा डाल रहे हैं और उधर बैलों को क़साईखाने भेज रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि देश में खाद्य का उपादन कैसे बढ़ेगा। अब न तो आप बैलों को ज़िन्दा रहने देते हैं न ट्रैक्टर्स को चलने देते हैं। ऐसी हालत में आप किसानों से कैसे आशा कर सकते हैं कि वे अधिक उपज करेंगे। अब खाली उपदेश करने से काम नहीं चलने वाला है। केवल पंडित जी के कोरे उपदेश से क्या होगा? यह पंडिताई की जगह नहीं है बल्कि यह शासन का स्थान है और यहां हमको व्यवहारिक और कार्यकुशल होना पड़ेगा, हमको वास्तविकता को देखना पड़ेगा तभी हमारा कार्य चलेगा। लेकिन यदि हमने केवल डिमांसट्रेशन और प्रचारात्मक पद्धति ही अपनाई तो उससे शासन और राज कार्य नहीं चलता है। शासन कार्य मज़बूती, कठोरता, वास्तविकता, सत्यता और दूरदर्शिता के साथ चलता है। इस लिए हमारे मंत्री महोदयों को यह कार्य बुद्धिमानी पूर्वक और दूरदर्शिता पूर्वक चलाना चाहिये।

अब शासन ने जो खंडसारी शुगर पर टैक्स लगाया है तो इसका असर जन साधारण पर पड़ने वाला है और इस लिए इसको हटा लेना चाहिये। सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिये कि आख़िर यह बजट है कोई हठ नहीं है और बजट बजट की तरह ही लेना चाहिये और उस पर कोई सरकार को हठ नहीं होना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

वित्त मंत्री महोदय ने सिगरेट पर जो कर लगाया है मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। दिया-सलाई लगाने वाले जितने भी काम हैं उन पर यदि सरकार टैक्स लगाये तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा तो कहना है कि जिस उद्योग धंधे में पैसे का अपव्यय हो और जो विलास की ओर ले जाय उस पर यदि कर लगाया जाता है तो अनुचित नहीं होगा। क्योंकि उससे साधारण जनता पर असर नहीं पड़ेगा और सरकार को रुपया भी प्राप्त हो जायगा। अब मेरा तो यह कहना है कि सरकार यदि जन साधारण पर करों का भार डालती गई तो वह स्वयं अप्रिय हो जायगी। विरोधी दल आलोचना करके कार्य पूर्ण न होने पर व्यर्थ चिन्तित होता है क्योंकि यदि शासन नहीं मानेगा तो वह अप्रिय हो जायगा और अगले चुनाव में वे चुनकर नहीं आयेंगे और विरोधी दल वालों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन हम इसको इस दृष्टि से नहीं देखते हैं। हम तो शासन को ग़लत क़दम उठाने पर सावधान कर देना चाहते हैं और देश के और जनता के हित को ध्यान में रखना यह हम सब का कर्त्तव्य है और इसी नाते मैं यह चन्द एक सुझाव शासन को देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वित्त मंत्री उन बातों की ओर ध्यान देंगे। मेरी राय में आय-व्ययक की सब से बड़ी विशेषता यह है कि योजना के चौथे वर्ष में व्यय के लिये १·१२१ करोड़ रूपये का उपलब्ध किया गया है। यह कहा जा चुका है कि योजना का व्यय काफी कम किया जाये किन्तु १·१२१ करोड़ रुपये का यह उपबन्ध सरकार के योजना को पूरा करने के दृढ़ निश्चय का द्योतक है। यदि योजनाओं का कार्य तथा उनके कार्यान्वय की गति पूर्ववत् ही रहती है तो योजना के पांचवे वर्ष में १२५० करोड़ रुपये का उपलब्ध आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि सरकार अपने दायित्व का निर्वाह कर सकेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामाजिक सेवाओं के लिये २० करोड़ रुपये का उपबन्ध रखा गया है जिस का मैं स्वागत करता हूं । माननीय अशोक मेहता ने अपने भाषण में यह आशंका व्यक्त की थी कि संभवतः इस व्यय में कटौती की जायेगी । बड़े हर्ष की बात है कि इस वर्ष भी हम ने २२ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है । मैं इन सब बातों के लिये सरकार को बधाई तो देता हूं किन्तु मेरा मत है कि सरकार की जिन त्रुटियों का उल्लेख अन्य सदस्यों द्वारा किया गया उन्हें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है । असैनिक व्यय बढ़ता ही जा रहा है और इन परियोजनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों में जिस ढंग से कार्य किया गया है वह किसी भी सभ्य समाज में क्षम्य नहीं है ।

दोषपूर्ण प्रशासन के कारण राजस्थान में खाद्यान्न का अभाव किस प्रकार हुआ यह मैं आप को बताता हूं । कुछ महीने पहले वहां १६---१७ रुपये प्रति मन का भाव था । वहां से खाद्यान्न अन्य राज्यों को भेज दिया गया जिस के परिणामस्वरूप गल्ला व्यापारियों ने २७ से ले कर ३० रुपये प्रति मन की दर से गल्ला बेचा और खासा मुनाफा कमाया । किसान को इस में से कुछ नहीं मिला । उसे तो १३ या १४ रुपये मन की दर से गल्ले की कीमत चुकाई गई । इन व्यापारियों ने कोई ८---१० करोड़ रुपया कमाया होगा । राजस्थान में जब बिल्कुल गल्ला न बचा तो खाद्य मंत्री और खाद्य आयुक्त को चिन्ता हुई । उन्हों ने बम्बई से वहां अनाज भिजवाया जिस का रेल भाड़ा कम से कम ५० लाख रुपया हुआ होगा । इस प्रकार कोई एक करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय हुआ जिस का भार गरीब जनता को ही सहन करना पड़ा । गत अधिवेशन में मैं ने इस सम्बन्ध में एक सवाल भी उठाया था किन्तु उस की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । प्रबन्ध ठीक न होने से जन साधारण को काफी कठिनाइयां पेश आईं और साथ ही राष्ट्रीय राजकोष को भी हानि उठानी पड़ी । ऐसी बातों के कारण ही लोगों को सरकार में आस्था नहीं रहती है और ये बातें हमारे प्रजातंत्र के लिये बहुत खतरनाक हैं । मैं चाहता हूं कि खाद्य मंत्रालय के कार्य के बारे में पूरी तौर से जांच की जाये । मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे किसी आयकर पदाधिकारी को इन व्यापारियों के लेखे की जांच करने का आदेश दें ।

एक दिन मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय खाद्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान से कितना अनाज बाहर गया यह उन्हें ज्ञात नहीं है । इस का अर्थ यह है कि या तो वे बताना नहीं चाहते, किन्तु मेरा विश्वास है कि वे प्रामाणिक व्यक्ति हैं, या वे बिल्कुल अयोग्य हैं । यदि वे खाद्यान्न के यातायात पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो वे अपने मंत्रालय को और अनाज के मूल्य किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं । मेरा निवेदन है कि खाद्य परिस्थिति पर हमारा आय-व्ययक, हमारे भावी कार्यक्रम और योजनायें निर्भर हैं और यदि हम अनाज के बढ़ते हुए मूल्य कम न कर सके तो हम आय-व्ययक या योजना इन दो में से किसी पर अमल नहीं कर सकेंगे ।

सामुदायिक विकास मंत्रालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को गतिशील बनाने में वह असफल रहा है । उन्हों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित किये, कुछ स्कूल और सड़कों का निर्माण किया किन्तु ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को वे गतिशील न बना सके ।

अब कृषि उत्पादन को लीजिये । आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये पांच या छः अभिकरण हैं । ये अभिकरण प्रायः एक जैसा कार्य करते हैं और नतीजा यह होता है कि कोई ठोस काम नहीं हो पाता । मैं चाहता हूं कि ऐसे सब अभिकरणों को एक अभिकरण के ज़रिये चलाया जाये और सब के संसाधन मिला कर राज्य के विकास के लिये एक योजना बनाई जाये ।

खाद्य मंत्रालय में क्या गड़बड़ी है और उस की किन-किन गलतियों के कारण खाद्य की कृत्रिम कमी पैदा हो गई है, इस का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं । छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

की ओर ध्यान देने पर आप को पता लगेगा कि ये उद्योग प्रायः बड़े-बड़े शहरों में हैं। गांवों व कस्बों में ये उद्योग पहुंच नहीं पाये हैं क्योंकि गांवों में उन के लिये आवश्यक व उपयुक्त वातावरण तैयार नहीं किया जा सका।

सिंचाई और विद्युत मंत्री ने राजस्थान के संसद-सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में मैं ने पूछा था कि क्या राजस्थान के १२ गांवों में आप बिजली की व्यवस्था कर सके। उत्तर में वह ६ से अधिक गांवों के नाम भी नहीं बता सके। जब तक आप गांवों की अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ाते आप कदापि उन्नति नहीं कर सकते। छोटी बचत योजना की असफलता का क्या कारण है ? जब तक आप गांवों की उन्नति नहीं करते यह योजना कदापि सफल नहीं हो सकती।

जहां तक देश के भीतर के संसाधनों का प्रश्न है, घाटे की अर्थव्यवस्था से मुझे बहुत भय है। यदि माननीय मंत्री मूल्यों के स्तरों में १० या १५ प्रतिशत की कमी करने में सफल हो जायें तो संकट बहुत कुछ टल सकता है। हद निश्चय के साथ ऐसा कर लेना उन के लिये कुछ असंभव नहीं है। धन-कर के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उस के सम्बन्ध में जो विवरण आये हैं वह सही नहीं हैं। एक राजा ने अपनी सम्पत्ति १·६१ करोड़ रुपये विवरण में दिखाई है पर मैं जानता हूं कि उस के पास कम से कम ५० करोड़ की सम्पत्ति है। ये राजे धन का बहुत दुरुपयोग करते हैं। अतः उन्हें समझा बुझा कर उन की सम्पत्ति को उपयोगी कार्यों में लगाया जाये तो लगभग ३०० करोड़ की सम्पत्ति उन से मिल सकती है। इस प्रकार उन्हें भी आय-कर के रूप में बहुत थोड़ी ही राशि देनी पड़ेगी।

एक माननीय सदस्य ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उल्लेख किया। मैं भी चाहता हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। इस से दो लाभ होंगे। एक तो ये बैंक बड़े-बड़े पूंजीपतियों के होते हैं और ये पूंजीपति अनेक अनियमतताएं करा कर इन बैंकों की सहायता से अपना उल्लू सीधा करते हैं। अतः यदि सरकार इन का राष्ट्रीयकरण कर दे तो इन की सम्पत्ति विकास कार्यों में लगाई जा सकती है। दूसरा लाभ इस से यह भी होगा कि इस प्रकार सरकार यह भी जान सकेगी कि सरकारी कर्मचारी बैंकों में कितना धन जमा कर रहे हैं। अतः गैर-सरकारी बैंकों का, जो भ्रष्टाचार के बड़े मजबूत साधन हैं, राष्ट्रीयकरण किया जाना उचित तथा लाभप्रद होगा।

डीजल तेल पर जो कर लगाया गया है, उस के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण दिया है कि सामान्य उपभोक्ता पर इस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिल्ली निगम की बैठक में हुई उस चर्चा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिस में बताया गया कि दिल्ली परिवहन सेवा पर इस करके प्रभाव स्वरूप ७$\frac{१}{२}$ लाख रुपये का आवर्तक व्यय बढ़ जायेगा। अतः दिल्ली परिवहन सेवा बसों का किराया बढ़ाने की बात सोच रही है। मैं पूछता हूं कि क्या सामान्य उपभोक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कर के प्रभाव से सड़क परिवहन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही छोटे पैमाने के उद्योगों पर भी इस कर का बुरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण स्थानों में छोटे-छोटे उद्योग डीजल तेल से ही शक्ति तैयार करते हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः स्पष्ट है कि छोटे-छोटे उद्योगों पर भी इस कर का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

यद्यपि खांडसारी के सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक ज्ञान नहीं है पर मैं ने लोगों को जो कहते सुना है उस से पता लगता है कि इस से खांडसारी उद्योग को बहुत ठेस पहुंचेगी। यदि माननीय मंत्री चीनी पर अतिरिक्त कर लगा देते तो, मैं समझता हूं कि, इतनी हानि न होती। यह कर बेरोजगारी स्थिति को और भी खराब कर देगी ? अतः डीजल तेल कर तथा खांडसारी कर से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को बहुत हानि होगी।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : मैं भी अपने पूर्ववक्ता की तरह माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देश की ग्रामीण एवं कृषि-अर्थव्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस में उन्हों ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है । उन्हों ने बताया है कि सरकार के समक्ष कौन सी कठिनाइयां हैं और उनके हल के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है । हम जानते हैं कि गत वर्ष में कृषि उत्पादन कम हुआ है और औद्योगिक प्रगति भी मन्द पड़ गई । हम यह भी जानते हैं कि सरकार राष्ट्रीय कार्यों को पूरा करने के लिये समस्त उपलब्ध संसाधन टटोल रही है ।

परन्तु इस के बावजूद भी योजना को पूरा करने के लिये हमें घाटे का बजट अपनाना होगा । यह ठीक है कि इस से मूल्यों में वृद्धि होगी । परन्तु नियंत्रणों के कारण वे अधिक नहीं बढ़ सके हैं । यह ठीक है कि औद्योगिक विकास से देश को बल मिलेगा परन्तु देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिये हमें कृषि उत्पादन पर ही अधिक ध्यान देना होगा । परन्तु खेद है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के इसी पहलू पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है ।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि खाद्यान्न के आयात पर जो धन व्यय किया जा रहा है वह हमारी अर्थ व्यवस्था के लिये बहुत बड़ा भार है । गत दो वर्षों में हम ने करोड़ों रुपये का खाद्यान्न आयात किया है और इस वर्ष भी वित्त मंत्री ने बताया है कि लगभग २५ करोड़ रुपये का विनियोजन खाद्यान्न की खरीद में करना होगा । इस से मालूम होता है कि खाद्यान्न के मामले में हमें कितना व्यय करना पड़ रहा है । इसलिये इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिये हमें बहुत प्रयत्न करना चाहिये । जब हम इस दृष्टि से बजट को देखते हैं तो बहुत निराशा होती है ।

यह खुशी की बात है कि सरकार खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में ले रही है । इस से किसानों को मूल्य के सम्बन्ध में लाभ हो सकेगा । मैं यह नहीं चाहता कि मूल्य अधिक हों परन्तु इतना अवश्य चाहता हूं कि उपभोक्ता द्वारा दिये गये मूल्य और उत्पादक को दिये गये मूल्य के बीच संतुलन अवश्य होना चाहिये । किसान को अधिक उत्पादन की प्रेरणा देने के लिये यह आवश्यक है कि खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारित कर दिये जायें तथा अन्य सुविधायें प्रदान की जायें ।

वास्तव में खेती में जितनी लागत और मेहनत लगती है उस की अपेक्षा आजकल लाभ बहुत कम होता है इसलिये खेती का काम अब निर्धन अथवा दलित वर्ग का रह गया है । योग्य आदमी इस काम को छोड़ रहे हैं । इसलिये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिये जिन में योग्य आदमी भी कृषि की ओर आकर्षित हों । तभी अधिक उत्पादन के मामलों में सफलता मिल सकेगी ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय देश में किसानों और उद्योग-धन्धे करने वालों की आय में बहुत असमानता थी । इसीलिये योजना में कृषि विकास पर बल दिया गया था । परन्तु यह असमानता घटने के बजाय अब और बढ़ गई है । इसलिये इस समस्या का हल किया जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारी जनसंख्या के ७५ प्रतिशत लोग खेती पर ही जीवन-निर्वाह करते हैं । १९४८-४९ में खेती करने वालों के वर्ग की कुल आय ४,२५० करोड़ रुपये थी जो १९५५-५६ में ४,२२० करोड़ रुपये रह गई है । फिर आप कैसे कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अजित सिंह सरहदी]

मेरे पूर्ववक्ता श्री माथुर ने ठीक ही कहा है कि आप की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था तब तक विकसित नहीं होगी जब तक कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग नहीं खोले जायेंगे । किसानों को कुछ अतिरिक्त काम देना बहुत आवश्यक है । परन्तु इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

पंजाब का उदाहरण ले लीजिये जहां सब से अधिक संख्या में छोटे पैमाने के उद्योग हैं । सदन को यह जान कर आश्चर्य होगा कि वहां इन उद्योगों के विकास के लिये केवल २ करोड़ रुपये की छोटी सी राशि रखी गई है । यह राशि समस्त योजनावधि के लिये है । कैसी विचित्र बात है कि हम पंजाब जैसे राज्य के लिये इतनी सी राशि रख रहे हैं जहां कि भारी उद्योगों में प्रति व्यक्ति विनियोजन केवल १३ है जबकि बंगाल और बिहार का क्रमशः १०८ और ९८ है । विभिन्न राज्यों में भारी उद्योगों में विनियोजन की इस असमानता को दूर करना चाहिये और इस का एक मात्र उपाय छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों का विकास है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बजट यथार्थवादी होते हुए भी उस में कृषि-अर्थव्यवस्था पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस के सम्बन्ध में सदन को विचार करना चाहिये ।

मैं एक बात की ओर भारत सरकार का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं । प्रतिरक्षा व्यय में कमी की गई है और कुछ लोगों ने उस में और भी कमी करने का सुझाव दिया है । परन्तु मेरा विचार है कि अपने देश की स्थिति को देखते हुए हमें अपनी प्रतिरक्षा सेवाओं को दृढ़ रखना चाहिये । यह ठीक है कि अब युद्ध नीति बदल गई है परन्तु फिर भी हमें अपनी प्रतिरक्षा सेवाओं को रखना ही होगा ।

हमें अपनी स्थिति का विचार करना चाहिये । एक तो हमारे सीमान्तों पर आक्रमण होते रहते हैं जिन का उल्लेख माननीय सदस्य श्री रघुनाथ सिंह ने कल किया था । इस के अतिरिक्त एक बात और है जिस की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । १९५५ में हिन्दुओं और सिक्खों के पाकिस्तान स्थित धार्मिक स्थानों के सम्बन्ध में हमारे गृह मंत्री और पाकिस्तान के तत्कालीन गृह मंत्री जनरल मिर्जा के बीच एक करार हुआ था कि उन की एक सूची तैयार की जायेगी और उन की धार्मिक पवित्रता की रक्षा के लिये कदम उठाये जायेंगे । परन्तु तीन वर्ष बीत गये हैं और इस सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है । इन स्थानों में जो सम्पत्ति है उस को पाकिस्तान की सरकार हड़प रही है । मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार इन स्थानों की धार्मिक पवित्रता को बनाये रखने का कोई उपाय निकालेगी । मैं सरकार की कठिनाइयों को समझता हूं और यह भी नहीं चाहता कि हम युद्ध करें परन्तु फिर भी इतना तो आवश्यक है ही कि हम अपनी शक्ति दृढ़ करें और इस तरह की स्थितियों का सामना करने की क्षमता रखें । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस का ध्यान रखेंगे ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर): इस वर्ष का बजट ऐसा है जिस में कोई विवादास्पद बात नहीं है । इसलिये जो कुछ थोड़ी बहुत आलोचना की गई है वह केवल आलोचना करने के उद्देश्य से ही की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं यह मानता हूं कि यह बजट विवादास्पद नहीं है । परन्तु फिर भी मैं कुछ बातों के सम्बन्ध में वित्त मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं । जहां तक करों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि कराधान ५६ प्रतिशत से कम कर के ४५ प्रतिशत कर दिया गया है । इस में सम्पत्ति कर और अतिरिक्त लाभांश कर भी सम्मिलित हैं । परन्तु लाभांश की प्रणाली इस प्रकार है कि अंशधारियों को जितना अभी मिलता है उस से कम मिलेगा । इसलिये इस का असर साधारण लोगों पर पड़ेगा क्योंकि ८५ प्रतिशत अंशधारी ऐसे हैं जिन के पास बहुत थोड़ा धन है ।

दूसरी बात कम्पनियों पर लगाये गये निगम-कर से सम्बन्धित है । सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब एक बार किसी कम्पनी से निगम कर ले लिया तो यदि अगली बार उस के अंश कोई सहायक कम्पनी ले ले तो उस से निगम कर न लिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कराधान के सम्बन्ध में जो कुछ कह रहे हैं वह वित्त विधेयक पर चर्चा के समय कहा जाना चाहिये । इस समय तो अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कहना चाहिय कि वे उचित है या नहीं ।

मैं देखता हूं कि भाषणों में पुनरावृत्ति बहुत होती है । राष्ट्रपति के भाषण में जो बातें कही गई थीं वही अब कही जा रही हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये । इस तरह के सामान्य भाषणों से कोई लाभ नहीं होता । माननीय सदस्यों को लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिशों की तैयारी कर के आना चाहिये ।

माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें । अब सदन की बैठक अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित रहेगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ११ मार्च, १९५९/२० फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगलवार, १० मार्च, १९५९

१९ फाल्गुन, १८८० (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२६७१–९६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०४७	युद्धोपकरणों की खरीद	२६७१–७३
१०४८	गुप्तचर संस्थायें	२६७३–७४
१०४९	अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह का नौ विभाग	२६७४–७५
१०५०	रूरकेला में विश्राम-गृह	२६७५–७६
१०५१	कच्चा लोहा	२६७६–७८
१०५२	इस्पात कारखानों के लिये आयात किये हुए इंजन	६२७८–७९
१०५३	नक्शों की छपाई	२६८०
१०५४	भारत-विभाजन का इतिहास	२६८१
१०५५	दवा बनाने के काम आने वाली बूटियां	२६८१–८४
१०५६	भारत इलैक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	२६८४
१०७५	भारत इलैक्ट्रानिक्स का उत्पादन	२६८४–८६
१०५७	सेना के लिये निवास-स्थान	२६८६–८८
१०५८	सम्पत्ति सम्बन्धी विवरणियां	२६८९–९०
१०५९	दिल्ली में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां	२६९०–९२
१०६०	रूरकेला में धमन भट्टी	२६९२–९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२६९६–२७४१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०६१	बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती स्मारक	२६९६–९७
१०६२	अध्ययन सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन	२६९७
१०६३	जीवन बीमा निगम	२६९७
१०६४	दिल्ली के परामर्शदाताओं को भत्ते	२६९७–९८
१०६५	यूनेस्को के प्रकाशन	२६९८–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०६६	विमान वाहक पोत	२६९९
१०६७	जीवन बीमा निगम	२६९९
१०६८	सोने का चोरी-छिपे ले जाना	२६९९-२७००
१०६९	सामान्य निर्वाचन में मतदान	२७००
१०७०	पेंशनें तथा उत्पदान	२७००-०१
१०७१	नहन का बिरोजा और तारपीन का सरकारी कारखाना	२७०१
१०७२	अफीम और चरस का तस्कर व्यापार	२७०२
१०७३	तिरुपति में इंजिनियरिंग कालिज	२७०३
१०७४	कृत्रिम पैट्रोलियम उत्पाद	२७०३
१०७७	दिल्ली नगरपालिका निगम की इमारत	२७०३
१०७८	नेपाल के हवाई अड्डे	२७०४
१०७९	मद्रास सीमा शुल्क	२७०४
१०८०	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	२७०४-०५
१०८१	सैनिक अभ्यास	२७०५-०६
१०८२	पूंजी निर्गम पर नियन्त्रण को ढीला करना	२७०६
१०८३	वायुयानों का निर्माण	२७०६
१०८४	स्टेनलैस स्टील का कारखाना	२७०६-०७
१०८५	बिहार में इस्पात पुनर्वेल्लन मिल	२७०७
१०८६	संग्रहालय	२६०७-०८
१०८७	ईंधन तेल	२७०८
१०८८	भिलाई में होटल	२७०८-०९
१०८९	उत्तरी ज़ोन की 'कॉमन पुलिस रिज़र्व'	२७०९
१०९०	'बाक्स स्ट्रेपिंग'	२७०९-१०
१०९१	ब्रिटेन के साथ भुगतानान्तर	२७१०
१०९२	अस्थायी असिस्टेन्ट	२७१०
१०९३	संस्कृत आयोग	२७११
१०९४	कोयला उत्पादन	२७११-१२
१०९५	विश्वव्यापी प्रतिलिपि अभिसमय	२७१२
१०९६	परीक्षा प्रणाली	२७१२-१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६३९	भारत का राज्य बैंक	२७१३
१६४०	व्यय कर	२७१३–१४
१६४१	बाल कल्याण	२७१४
१६४२	शिक्षा संस्थाओं में छात्रों की अधिकता	२७१४–१५
१६४३	युद्ध सामग्री डिपो में सामान का नीलाम	२७१५
१६४४	युद्ध सामग्री कारखानों की उत्पादन क्षमता	२७१५
१६४५	हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर को खानों का संभरण	२७१५–१६
१६४६	युद्ध सामग्री कारखानों में रेलवे के लिये किया गया काम	२७१६
१६४७	दिल्ली में मनोरंजन कर	२७१६
१६४८	दिल्ली का लाल किला	२७१७
१६४९	आगरा का किला	२७१७
१६५०	एलोरा और अजन्ता की गुफायें	२७१७
१६५१	पंजाब में 'बाद की देखभाल' कार्यक्रम	२७१८
१६५२	उड़ीसा में गन्धक् वाले पानी के झरो	२७१८–१९
१६५३	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का पैतृक निवास स्थान	२७१९–२०
१६५४	उड़ीसा में छात्रावास	२७२०
१६५५	होशियारपुर में समाज सेवा शिविर	२७२०
१६५६	जिला कांगड़ा में समाज सेवा शिविर	२७२०–२१
१६५७	हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये मकान	२७२१
१६५८	आदमपुर हवाई अड्डा	२७२१
१६५९	पंजाब में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति में कृषक	२७२२
१६६०	लुनेज के तेल के कुएं के पास आग लगना	२७२२
१६६१	महिला शिक्षा	२७२३
१६६२	पंजाब में श्रव्य-दृश्य-शिक्षा	२७२३
१६६३	पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी	२७२३–२४
१६६४	जेट इंजन गवेषणा केन्द्र	२७२४
१६६५	विद्या भवन सोसाइटी, उदयपुर	२७२४
१६६६	भारत सर्वेक्षण विभाग	२७२४–२५
१६६७	भारत का सर्वेक्षण विभाग	२७२५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६६८	प्रादेशिक भाषाओं का विकास	२७२५
१६६९	लिग्नाइट	२७२६
१६७०	औद्योगिक वित्त निगम के कर्मचारी	२७२६
१६७१	संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन	२७२६
१६७२	विमान बल भर्ती केन्द्र	२७२६–२७
१६७३	कोर्णाक मंदिर	२७२७
१६७४	सरकारी ठेके	२७२७–२८
१६७५	यूनेस्को की चलती-फिरती लाइब्रेरी	२७२८
१६७६	देहू रोड डिपो में सामान की जांच	२७२८
१६७७	रामगुन्दम और कोठागुदेम में कोयला	२७२९
१६७८	हिमाचल प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा	२७२९
१६७९	हिमाचल प्रदेश में बुनियादी प्राथमिक स्कूल	२७३०
१६८०	अन्तरिक्षगामी यंत्र के अवशेष	२७३०
१६८१	चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना	२७३०
१६८२	देहर (हिमाचल प्रदेश) में तेल की खोज	२७३१
१६८३	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी	२७३१–३२
१६८४	कलकत्ता हवाई अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना	२७३२
१६८५	उड़ीसा के बोलनगिर जिले में स्मारक	२७३२
१६८६	मद्रास में चूने के पत्थर के निक्षेप	२७३३
१६८७	आजाद स्मारक भाषणमाला	२७३३
१६८८	डिग्रियों को मान्यता	२७३४
१६८९	दुर्गापुर में विश्राम-गृह	२७३४
१६९०	करों का वसूली का रोका जाना	२७३४
१६९१	दिल्ली पोलिटेक्नीक	२७३५
१६९२	पुरातत्व विभाग का पूर्वी सर्किल	२७३५
१६९३	रत्नगिरि में खुदाई	२७३५–३६
१६९४	मनीपुर में हाउस टैक्स	२७३६
१६९५	मनीपुर हवाई अड्डे के लिये क्षतिपूर्ति	२७३६
१६९६	एक भारतीय का पाकिस्तान भाग जाना	२७३६–३७
१६९७	अमरीका और रूस से सामान की खरीद	२७३७

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६९८	शिशु कल्याण	२७३७–३८
१६९९	बिहार में कोयले वाले क्षेत्र	२७३८–३९
१७००	मध्य प्रदेश के टट्टम गांव में भग्नावशेष . . .	२७३९
१७०१	विद्रोही नागा	२७३९
१७०२	हार्ड कोक की मांग	२७३९–४०
१७०३	पंजाब में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन . . .	२७४०
१७०४	कपड़े पर बिक्री-कर	२७४०
१७०५	भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण . . .	२७४०
१७०६	आज़ाद मेमोरियल चेयर	२७४१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		२७४२

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) वर्ष १९५६-५७ के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे तथा तत्सम्बन्धी वाणिज्यिक परिशिष्ट ।

(दो) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत डाक तथा तार का १९५८ का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन और १९५६-५७ के विनियोग लेखे ।

(तीन) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत दिल्ली सरकार का १९५६ का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन और १९५५-५६ के वित्त लेखे ।

(२) वर्ष १९५७-५८ के लिये कोयला बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(३) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादनशुल्क) अधिनियम १९५५ की धारा १९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २८ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २२७ ।

विषय पृष्ठ

राज्य सभा से सन्देश ४७४२

सचिव ने राज्य सभा से दो सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य सभा को निम्नलिखित विधेयकों के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(१) लोक-सभा द्वारा २४ फरवरी, १९५९ को पारित किया गया भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

(२) लोक-सभा द्वारा २५ फरवरी, १९५९ को पारित किया गया विनियोग विधेयक, १९५९ ।

विशेषाधिकार के प्रश्न . २७४३–४७

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित विशेषाधिकार के प्रश्नों को उठाने की अनुमति नहीं दी, जिनकी सूचना उनके आगे दिखाये गये सदस्यों ने दी थी :—

(१) मनीपुर के बारे में १९५९-६० के आय-व्ययक के आंकड़ों का समय से पूर्व पता लग जाना । — श्री लैं० अचौसिंह द्वारा सूचना दी गई ।

(२) १९५९-६० के लिये आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का समय से पूर्व पता लग जाना । — श्री स० म० बनर्जी द्वारा सूचना दी गई ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . २७४७–४९

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने २ मार्च, १९५९ को गिरीडीह् कोयला खान के एक भाग में लगी आग की ओर, जिसके फलस्वरूप चार व्यक्ति मरे, श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाया ।

श्रम और रोजगार मंत्री के सभा-सचिव (श्री लो० ना० मिश्र) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पारित २७४९–८५

श्री जगजीवन राम द्वारा विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५९ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

बुधवार, ११ मार्च, १९५९/२० फाल्गुन १८८० (शक) के लिये कार्यावलि

सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।